स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जून, 2019

I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-6-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2019 अंक - 6

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

आईएनए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी) अर्थात् भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संघीय अन्वेषण अभिकरण बनाया गया है । यह आतंकवाद विरोधी कानून से संबंधित अभिकरण की हैसियत से कार्य करता है । यह अभिकरण राज्यों से विशेष अनुमति लिए बिना ही उन राज्यों में आतंकवादी संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है । तारीख 31 दिसंबर, 2008 को यह अभिकरण संसद् द्वारा पारित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया । इस अभिकरण को 2008 को मुम्बई हमले के पश्चात् स्थापित किया गया । केन्द्रीय कैबिनेट ने तारीख 24 जून, 2019 को देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच करने हेतु इस अभिकरण को और प्रबल बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे आतंकवाद से जुड़े लोगों को आतंकी घोषित किया जा सके और भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों या उनके हितों को हानि पहुंचाने की स्थिति में मामला दर्ज कर अन्वेषण कर सके । राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक आने के पश्चात् ऐसे कुछ अन्य मामलों में भी यह अभिकरण अन्वेषण कर सकेगा जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66(च) के अधीन साइबर आतंकवाद तथा दंड संहिता की धारा 370 और 371 के अधीन मानव-तस्करी के अपराध । इस संशोधन के बाद इस अभिकरण को किसी भी राज्य में तलाशी लेने के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अन्वेषण के पश्चात् विचारण की प्रक्रिया का आरंभ होता है जिसमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए चाहे अपराध किसी भी धारा के अधीन बनता हो । अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध से संबंधित साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में सूक्ष्मता से संवीक्षा करनी चाहिए और यदि न्यायालय साक्षी की ग्राह्यता का विनिश्चय करने में असमर्थ रहता है तो निर्णय अनुचित और विधिविरुद्ध माना जाता है जिसे विचारण न्यायालय को

विनिश्चय के लिए पुनः प्रतिप्रेषित किया जा सकता है । इस स्थिति को **प्रकाश कुशवाहा और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 839 वाले मामले में दर्शाया गया है ।

इस अंक में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त इसमें कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है । इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
जावेद खान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	725
प्रकाश कुशवाहा और एक अन्य **बनाम** बिहार राज्य	839
मनोज नैनवाल **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य	749
रौशनारा बेगम **बनाम** असम राज्य और एक अन्य	799
विष्णु कान्त पंडित **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	827
संजीव कुमार और अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	858
सुखदेव मंडल और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	763
सेरल मंडी **बनाम** झारखंड राज्य	814
हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य	779

संसद् के अधिनियम

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 19

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 194 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – घटना का 6 बजे अपराह्न घटित होना और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 7.10 बजे अपराह्न दर्ज किया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते समय मृतका का जीवित होना – दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का कोई अवसर न होना – अत: मृतका की मृत्यु हो जाने के पश्चात् 8.10 बजे अपराह्न ही दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो न्यायसंगत है ।

जावेद खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 725

– धारा 204 – आदेशिका का जारी किया जाना – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड संहिता की धारा 498क, 323 और 379 के अधीन अपराधों का संज्ञान लेकर मामला उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया और साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशिका का जारी किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

विष्णु कान्त पंडित बनाम **बिहार राज्य और अन्य** 827

– धारा 354 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 304ख तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख और 136] – निर्णय की अन्तर्वस्तु – न्यायाधीश को अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित अपराधों से संबंधित साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में सूक्ष्मता से संवीक्षा करनी चाहिए और धारा 354 के अनुसार निर्णय की अन्तर्वस्तु का ठीक से उल्लेख करना

पृष्ठ संख्या

चाहिए, यदि न्यायाधीश दहेज मृत्यु के मामले में साक्ष्य की ग्राह्यता का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो निर्णय अनुचित और विधिविरुद्ध है अतः मामले को विद्वान् निचले न्यायालय को नए सिरे से विनिश्चय के लिए पुनः प्रतिपेषित किया जाता है ।

प्रकाश कुशवाहा और एक अन्य बनाम **बिहार राज्य** 839

– धारा 354 – दंडशास्त्र – दंडादेश आपराधिक न्याय तंत्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है – दंड देने का प्रयोजन निवारक और सुधारात्मक है – दंड देने वाले न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए – उन्हें गंभीर और प्रशामक दोनों कारकों पर सचेत रहना चाहिए ।

मनोज नैनवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 749

– धारा 432 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302] – दंड का लघुकरण – आधार – अभियुक्त का अधिक समय तक कैद में रहना – अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड दिया जाना जो जेल में रहने के लिए 14 वर्ष से भी अधिक है – अभियुक्त दंड के लघुकरण का फायदा प्राप्त करने का हकदार है, अत: जेल अधीक्षक को यह निदेश दिया जाता है कि समुचित प्राधिकारी को दंड के लघुकरण के संबंध में प्रस्ताव भेजे ।

जावेद खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 725

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 28] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा देशी पिस्तौल से मृतका पर गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त द्वारा यह

पृष्ठ संख्या

कथन किया जाना कि उसके द्वारा मृतका से छेड़छाड़ किए जाने पर मृतका के माता-पिता भविष्य में छेड़छाड़ न किए जाने के बारे में अभियुक्त को चेतावनी देकर उसे अपमानित किया गया जिस पर अभियुक्त मृतका की हत्या किए जाने के बारे में उसका हेतु साबित हुआ है जहां मामले में अभियुक्त के कहने पर देशी पिस्तौल की बरामदगी हुई है और घटना घटने और स्थान के बारे में इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य की अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और क्षति रिपोर्ट तथा घटनास्थल के नक्शे से संपुष्टि हुई है वहां पर स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है – अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुई है, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

जावेद खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 725

– धारा 302 और 304, भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अचानक झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में मृतक के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया जाना – अभियुक्त को क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य करने पर असम्यक् फायदा नहीं दिया जाना – अचानक झगड़ा होने के कारण पूर्व चिन्तन के लिए कोई समय नहीं होना – प्रहार किए जाने की कोई पुनरावृत्ति नहीं की गई – इन परिस्थितियों में अभियुक्त-अपीलार्थी का हत्या करने का आशय नहीं हो सकता, अत:, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 304, भाग II में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है ।

सेरल मंडी बनाम **झारखंड राज्य** 814

पृष्ठ संख्या

– धारा 304, भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – पारिस्थितिक साक्ष्य – विष देकर मृत्यु कारित किया जाना – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी-पुत्रवधू ने दूध में विष का मिश्रण किया था – इस बारे में यह उपदर्शित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि विष किसने दूध में मिलाया – ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है कि अभियुक्त घर पर अकेली थी – अभियुक्त ने धमकी और अवपीड़न के कारण पुलिस व ग्रामवासियों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दी – विश्वसनीय मामला प्रकट न होना – अभियुक्त की दोषिता को इंगित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है – अभियुक्त/ अपीलार्थिनी दोषमुक्त होने की हकदार है ।

रौशनारा बेगम बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 799

– धारा 304ख [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 व साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – उपधारणा – यह साबित नहीं हुआ है कि मृतका मृत्यु से तत्काल पूर्व दहेज मांग के कारण क्रूरता के अध्यधीन रही तब धारा 113ख की उपधारणा का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता – इसी तरह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला भी नहीं बनता है ।

मनोज नैनवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 749

– धारा 306 और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – आत्महत्या और क्रूरता का दुष्प्रेरण – सबूत – मृतका (पत्नी) की जहर पीने के कारण मृत्यु होना – पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध – यदि पति द्वारा किसी विवाह समारोह में पत्नी के

पृष्ठ संख्या

मित्रों तथा नातेदारों के सामने उसको अपमानित किया गया हो तथा पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण सार्वजनिक रूप से पत्नी का मान भंग हुआ हो उस पर पत्नी द्वारा आत्महत्या की गई तो अभियुक्त (पति) को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

मनोज नैनवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 749

– धारा 306, 498क और 53 – आत्महत्या और क्रूरता का दुष्प्रेरण – दंड – लघुकरण – प्रशामक कारक – जहां पत्नी (मृतका) ने जहर पीकर आत्महत्या की, उस समय अभियुक्त (पति) ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रयत्न किया और अभियुक्त का सात वर्ष का पुत्र है जिसे अपने पिता की संरक्षण की जरूरत है और अभियुक्त कठोर अपराधी नहीं है न उसका आपराधिक इतिहास है, इसलिए, अभियुक्त के 7 वर्ष के कठोर कारावास को पहले भोगी गई अवधि से कम किया जाना न्यायोचित है ।

मनोज नैनवाल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 749

– धारा 379 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – चोरी – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का महत्व – साक्ष्य की ग्राह्यता – वृक्षों से काटे गए स्लीपरों का अभियुक्तों द्वारा चोरी किए जाने का अभिकथन – चोरी की गई लकड़ी (स्लीपर) के स्वामित्व का सुनिश्चित न किया जाना – स्लीपरों के स्वामित्व से संबंधित बनाए गए रजिस्टर का न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना – चोरी किए गए स्लीपरों के स्वामित्व से संबंधित तैयार किए गए रजिस्टर को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और उनकी शनाख्त

पृष्ठ संख्या

भी नहीं की जा सकी है जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वामित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, अतः चोरी के अपराध के लिए आवेदकों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

संजीव कुमार और अन्य बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 858

– धारा 498क, 307 और 34 – क्रूरता और हत्या का प्रयत्न – सामान्य आशय – मामले में यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त व्यक्तियों, पति और ननद द्वारा पीड़िता के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी – यदि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से घटना की रीति साबित हुई है और चिकित्सा रिपोर्ट से पीड़िता के शरीर पर सरसरी तौर पर 10 प्रतिशत दाह क्षतियां साबित हुई हैं तथा चिकित्सा अधिकारी ने यह राय व्यक्त की कि पीड़िता के शरीर पर लगाई गई आग अधिक समय तक रहती तो उसकी मृत्यु होना निश्चित था तो अभियुक्त/अपीलार्थी पति को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

सुखदेव मंडल और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 763

– धारा 498क, 307 और 34 – क्रूरता और हत्या का प्रयत्न – जहां अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा में यह कथन किया गया है कि पीड़िता को चाय बनाते समय दाह क्षतियां पहुंचीं जो बात विश्वसनीय नहीं है और पीड़िता के ननद के विरुद्ध अपराध में शामिल होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है वहां पर ननद को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

सुखदेव मंडल और अन्य बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 763

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा मृतका पर गोली चलाने के बारे में संगत वृत्तांत दिया जाना – मामले में यह तथ्य प्रकट होना कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतका के निकट के नातेदार हैं तो स्वत: यह मत व्यक्त करने का कोई आधार नहीं होगा कि उनका साक्ष्य शंकायुक्त है ।

जावेद खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 725

– धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका की मृत्यु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट करने के एक घंटे पश्चात् होना – डाक्टर द्वारा मृतका के गर्दन में बुलेट की क्षति होने के कारण मृत्युकालिक कथन किए जाने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाना – ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में थी, अत:, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित न करने से अभियोजन पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

जावेद खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 725

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 22(ग) [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114] – स्वापक पदार्थ होने का खंडन – प्रतिकूल निष्कर्ष – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे में अलप्राजोलम, स्वापक पदार्थ पाया गया – अभिगृहीत वस्तुओं पर लगाए गए लेबलों पर लिखत के बारे में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य

पृष्ठ संख्या

में भिन्नता – यदि नमूनों में लगाए गए लेबलों पर लिखत में छोटे मोटे विचलन हैं तो इससे अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है तथा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से घटनास्थल पर विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण किया जाना और उनका नमूना लिया जाना और उन्हें गोदाम में रखा जाना साबित हुआ है और गोदाम में रखे हुए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की मौखिक साक्ष्य से संपुष्टि हुई है तो अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

हबीब मुस्तफा अहमद उर्फ **फातिक** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य** 779

– धारा 22(ग) – जहां विचारण के समय पर स्वतंत्र साक्षियों को समन भेजे गए और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी वहां पर स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न होने के कारण अभियोजन मामले के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अत: अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषसिद्धि उचित है ।

हबीब मुस्तफा अहमद उर्फ **फातिक** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य** 779

(2019) 1 दा. नि. प. 725 इलाहाबाद

जावेद खान

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2008 की दांडिक अपील सं. 1099)

तारीख 8 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति अनन्त कुमार और न्यायमूर्ति मनीष माथुर

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – नातेदार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा मृतका पर गोली चलाने के बारे में संगत वृत्तांत दिया जाना – मामले में यह तथ्य प्रकट होना कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतका के निकट के नातेदार हैं तो स्वत: यह मत व्यक्त का कोई आधार नहीं होगा कि उनका साक्ष्य शंकायुक्त है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 28] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा देशी पिस्तौल से मृतका पर गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियुक्त द्वारा यह कथन किया जाना कि उसके द्वारा मृतका से छेड़छाड़ किए जाने पर मृतका के माता-पिता भविष्य में छेड़छाड़ न किए जाने के बारे में अभियुक्त को चेतावनी देकर उसे अपमानित किया गया जिस पर अभियुक्त मृतका की हत्या किए जाने के बारे में उसका हेतु साबित हुआ है जहां मामले में अभियुक्त के कहने पर देशी पिस्तौल की बरामदगी हुई है और घटना घटने और स्थान के बारे में इत्तिलाकर्ता के परिसाक्ष्य की अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों और क्षति रिपोर्ट तथा घटनास्थल के नक्शे से संपुष्टि हुई है वहां पर स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा न करना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है – अभियुक्त की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुई है, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – मृतका की मृत्यु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के एक घंटे पश्चात् होना – डाक्टर द्वारा मृतका के गर्दन में बुलेट की क्षति होने के कारण मृत्युकालिक कथन किए जाने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाना – ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है कि मृतका मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में थी, अतः, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित न करने से अभियोजन पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 194 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब – घटना का 6 बजे अपराह्न घटित होना और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 7.10 बजे अपराह्न दर्ज किया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करते समय मृतका का जीवित होना – दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का कोई अवसर न होना – अत: मृतका की मृत्यु हो जाने के पश्चात् 8.10 बजे अपराह्न ही दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो न्यायसंगत है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 432 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302] – दंड का लघुकरण – आधार – अभियुक्त का अधिक समय तक कैद में रहना – अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड दिया जाना जो जेल में रहने के लिए 14 वर्ष से भी अधिक है – अभियुक्त दंड के लघुकरण का फायदा प्राप्त करने का हकदार है, अत: जेल अधीक्षक को यह निदेश दिया जाता है कि समुचित प्राधिकारी को दंड के लघुकरण के संबंध में प्रस्ताव भेजे ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 27 सितंबर, 2005 को शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) अपनी माता श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) और अपनी बहिन किरण सिंह (मृतका) के साथ शाम को कुछ सामान खरीदने के पश्चात् बाजार से वापस लौट रहे थे जबकि शिकायतकर्ता अपनी माता और बहिन से कुछ दूरी पर पीछे-पीछे चल रहा था । लगभग 6.00 बजे अपराह्न जब वे अपीलार्थी के घर के सामने पहुंचे तब अपीलार्थी ने अचानक देशी पिस्तौल से उसकी बहिन किरण

सिंह पर हत्या करने के आशय से गोली चलाई जो उसकी गर्दन पर लगी जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गई । शिकायतकर्ता की माता जोर से चिल्लाई जबकि शिकायतकर्ता चिल्लाते हुए अपीलार्थी की ओर दौड़ कर गया परंतु अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को धमकाया और उसके पश्चात् देशी पिस्तौल के साथ भागने में सफल हो गया । इस घटना को शिकायतकर्ता, उसकी माता श्रीमती राज देई और उसकी बुआ श्रीमती चंपा देवी के साथ कई अन्य लोगों द्वारा देखा गया था । शिकायतकर्ता की बहिन किरण सिंह को शिकायतकर्ता, उसकी माता और अन्य लोगों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर में भर्ती किया गया था, जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (जिसे इसमें इसके पश्चात् एफ. आई. आर. कहा गया है) को दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इस घटना के पीछे अपीलार्थी का सम्पूर्ण हेतु पुरानी घटना से संबंधित है जिस घटना में अपीलार्थी द्वारा मृतका से छेड़छाड़ की गई थी जिसके बारे में मृतका ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता और उसके पिता ने मृतका से आगे छेड़छाड़ न करने के बारे में उसे चेतावनी दी थी और इसलिए, अपीलार्थी जो मृतका से शत्रुता रखता था, उसने यह अपराध किया था । अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण करने के पश्चात् सेशन न्यायाधीश, लखीमपुर, खेरी में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की प्रथम दलील का संबंध है कि हेतु जो उसका माना गया, उसका अपर्याप्तता से संबंध है, उक्त दलील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के स्वयं के कथन को ध्यान में रखते हुए कायम योग्य नहीं है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि उसे शत्रुता की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया है । चूंकि अपीलार्थी द्वारा मृतका से छेड़छाड़ करने की घटना से अलग, वह मृतका के कुटुंब के साथ कोई अन्य शत्रुता के बारे में किसी बात को उपदर्शित करने में समर्थ नहीं हुआ है, सुरक्षित

रूप से यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा केवल शत्रुता का उल्लेख किए जाने के बारे में मृतका से छेड़छाड़ की घटना के बारे में कहा गया है जिसके बारे में मृतका ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी और उसके पश्चात् मृतका के कुटुंब द्वारा अपीलार्थी को चेतावनी दी गई थी जिसके बारे में अपीलार्थी का उक्त अपराध को कारित किए जाने के लिए पर्याप्त हेतु होना सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है और इसलिए, इस बारे में अपमान होने के कारण अप्रासंगिक हेतु नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी मृतका के कुटुंब द्वारा चेतावनी देने पर कष्ट भोग रहा हो । अपीलार्थी उक्त घटना में अपने को गलत रूप से फंसाने के लिए किसी अन्य हेतु के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हुआ है जिससे सभी असंगत कार्यवाही के बारे में अपने विरुद्ध किसी तरह के परेशान करने के अभिकथन को साबित भी कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप उसके बारे में ऐसा कष्ट भोगने पर उसके परिणामस्वरूप बदला लेने के बारे में कहा जा सकता है । जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दूसरी दलील का संबंध है कि मृतका के वास्तविक ससुराल वाले भी थे जिन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपने विरुद्ध दर्ज किए गए मामले को ध्यान में रखते हुए घटना को कारित किए जाने के लिए प्रत्यक्ष हेतु को अंजाम दिया था कि ऐसी दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की कोई सहायता भी नहीं करती है कि मामले में कोई प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक पूर्णतया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि ससुरालियों की ओर से कोई व्यक्ति मृतका की हत्या करने में शामिल था । यह उपदर्शित करना भी सुसंगत है कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता राजेश कुमार (अभि. सा. 1) और उसकी माता श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) के कथनों की तुलना करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों साक्षियों के कथन एक-दूसरे से पूर्णतया संपुष्टि हुई है, यद्यपि दोनों से प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें अपीलार्थी के समर्थन में उनसे कोई प्रतिकूल कथन प्रकट नहीं हुआ है । हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील की परीक्षा की जो पूर्व दिनांकित है और यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त दलील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार घटना के बारे में तारीख 27 सितंबर, 2005 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न घटित होना

कहा गया है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन 7.10 बजे अपराह्न दर्ज की गई और, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में विलंब हुआ था । चूंकि घटना के पश्चात् श्रीमती किरन सिंह काफी समय जिंदा रही, इसलिए, उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज करें और केवल 8.10 बजे अपराह्न के पश्चात् उक्त धारा के अधीन मामले को दर्ज किया जा सकता था जब मृतका अपनी अंतिम सांस ले रही थी । एस. एस. आई. श्री सिया राम तिवारी (अभि. सा. 8) के अनुसार जो मामले को दर्ज करते समय पुलिस थाने में मौजूद था और उसके पश्चात् उसने अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया । उसने यह कथन किया है कि वह 7.50 बजे अपराह्न अस्पताल पर पहुंचा परंतु श्रीमती किरन सिंह उस समय बेहोश थी परंतु जब उसने शिकायतकर्ता और उसकी माता के कथनों को अभिलिखित किया था, उसे यह सूचना दी गई कि श्रीमती किरन सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके पश्चात् शवगृह में शव को रखा गया था वह घटनास्थल पर गया जहां उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अगले दिन मृतका की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों के साथ तैयार की गई थी । अस्पताल पर पहुंचने के समय के बारे में अन्वेषक अधिकारी के कथन की अभि. सा. 2 के कथन से पूर्णतया संपुष्टि हुई है और अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 8 द्वारा उन दशाओं के बारे में दिया गया वृत्तांत की इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संपुष्टि हुई है कि अभि. सा. 8 मृतका के पिता के पहुंचने के काफी पूर्व अस्पताल पर पहुंचा था । इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा में विस्तार से कुछ भी प्रकट नहीं हो सका जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती थी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 7.10 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी न कि 11.00 बजे अपराह्न के पश्चात् अर्थात् मृतका के पिता के पहुंचने के पश्चात् । जहां तक मृत्युसमीक्षा के विलंब का संबंध है, अभि. सा. 8 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इस तथ्य की वजह से कि श्रीमती किरन सिंह की मृत्यु रात्रि के दौरान घटित हुई इसलिए, सुबह के लिए मृत्युसमीक्षा को स्थगित किया गया था । अगले दिन मृत्युसमीक्षा को रखे जाने पर उस पर हमारी यह राय है, उस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में पूर्व दिनांकित की बात को नहीं रखा गया चूंकि अगले दिन मृत्युसमीक्षा को रखा जाना नैसर्गिक परिणाम हो

सकता है क्योंकि उसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि अभि. सा. 8 ने अस्पताल में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों को भी अभिलिखित करने के पश्चात्, वह घटनास्थल पर गया और वह नमूनों को एकत्रित करने में और घटनास्थल नक्शा तैयार करने में व्यस्त था जिसमें समय लगता है । अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रकट हुआ है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 6 अक्तूबर, 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त की गई थी जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा एक आधार के रूप में लिया गया है जो पूर्व दिनांकित है, यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में समय और तारीख को अभिलिखित नहीं किया गया है । हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण से पूर्णतया सहमत हैं कि चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सर्किल अधिकारी के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजी गई थी, यह निश्चित रूप से संबंधित न्यायालय में पहुंचने में समय लगा होगा और इसलिए, इस तथ्य से स्वत: यह साबित होना पर्याप्त नहीं होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित थी । उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई, पूर्व दिनांकित थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई तीसरी दलील के अनुसार इस आधार पर अभियोजन के पक्षकथन दूषित है कि मृतका का कोई मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया गया था जिसकी मृत्यु अभिकथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के एक घंटे पश्चात् हुई थी । उक्त आधार श्रीमती किरन सिंह के अस्थिर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अधिसंभाव्य होना अभिनिर्धारित नहीं किया है क्योंकि उस समय जब मृतका को अस्पताल पर लाया गया था, उस समय उसकी गर्दन में बुलेट से क्षति हुई थी और जिस स्थान से रक्त बह रहा था । श्रीमती किरन सिंह की ऐसी गंभीर हालत को देखते हुए नैसर्गिक रूप में संबंधित डाक्टर द्वारा सभी प्रयास किए गए आहत के जीवन को बचाया जा सके और उसे स्थिर हालात में लाया गया जिस पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और श्रीमती किरन सिंह की घटना के दो घंटे के भीतर मृत्यु हो गई । संबंधित फिजिशियन द्वारा स्वाभाविक रूप से कोई कथन करने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जा सका क्योंकि वह अस्थिर

हालत में थी उस समय पहले ही उसके द्वारा कोई मृत्युकालिक कथन दिया जाता जिस पर विश्वास किया जा सकता । यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि श्रीमती किरन सिंह स्थिर स्वास्थ्य की दशा में थी जो मृत्युकालिक कथन देने के लिए अच्छी दशा मानी जाती है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती किरन सिंह का मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित न करने से अभियोजन पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा चौथी यह दलील दी गई कि अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना के समय पर मौजूद नहीं थे और उक्त दुर्घटना का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है । इस बात से अपीलार्थी के पक्षकथन को कोई भी सहायता नहीं मिलती है । शिकायतकर्ता राजेश कुमार (अभि. सा. 1) और श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) के कथनों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने और तुलना करने पर इससे यह स्पष्ट होगा कि दोनों व्यक्तियों के अभिलिखित कथनों में कोई भिन्नता नहीं है । प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा विस्तृत रूप से की गई प्रतिपरीक्षा में कुछ भी प्रकट नहीं हो सका जो बात इनके द्वारा दिए गए कथनों या उनकी मुख्य परीक्षा में भी प्रतिकूल प्रकट होती है । मात्र यह तथ्य कि दोनों साक्षी मृतका के कुटुंब के सदस्य हैं और इसलिए हितबद्ध साक्षी हैं, उनके परिसाक्ष्य में अप्रसन्नता व्यक्त किया जाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे केवल वे व्यक्ति थे जो घटना के समय पर मृतका के काफी नजदीक थे और इसलिए वे लोग उत्तम और नैसर्गिक साक्षी थे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का परिसाक्ष्य जब एक साथ उनका परिशीलन किया जाए तो एक दूसरे से स्पष्ट संपुष्टि होती है और इसलिए अभियोजन पक्षकथन से न केवल विश्वास प्रेरित होता है बल्कि उन्हें विश्वसनीय ठहराया जा सकता है जिन पर विश्वास किया जाना पर्याप्त है । उनके परिसाक्ष्य की क्षति रिपोर्ट तथा घटनास्थल के नक्शे से भी संपुष्टि होती है जिनसे स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि घटना के घटने तथा स्थान के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसलिए, यह भी निवेदन किया जाता है कि अभियोजन पक्षकथन मात्र इस तथ्य की वजह से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कपड़ों से रक्त का कोई नमूना नहीं लिया गया था, यह बात ठीक नहीं थी क्योंकि उक्त लोप

अभियोजन पक्ष की ओर से हुआ था और यह बात इतनी तात्विक नहीं है जिससे कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो जाए, जिनसे अन्य दस्तावेजी साक्ष्य घटनास्थल का नक्शा और क्षति रिपोर्ट की संपुष्टि हुई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई यह दलील कि घटना के समय पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी, अविश्वसनीय है क्योंकि उनके पास बाजार जाने के लिए मृतका के साथ चलने का कोई अवसर नहीं था और यह बात स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि कोई हेतु या स्पष्टीकरण कुटुंब के सदस्यों के बारे में माना नहीं जा सकता है जिससे कि बाजार जाने के लिए अन्य कुटुंब के सदस्यों के साथ अग्रसर होते । हमने पूर्वोक्त निर्णय का परिशीलन किया जो इस न्यायालय के समन्वित पीठ का है और जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन फायदा अपीलार्थी के काफी समय से जेल में रहने पर मंजूर किया जाता है । इस न्यायालय के समन्वित पीठ के पूर्वोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम उसका अनुसरण करना समुचित समझते हैं और जेल अधीक्षक को इस बाबत आवश्यक निदेश जारी करते हैं कि अपीलार्थी के दंड के लघुकरण के प्रस्ताव को समुचित प्राधिकारी के पास भेजे जिस पर विधि के अनुसरण में त्वरित रूप से विचार किया जाए । (पैरा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	2017 (98) ए. सी. सी. 97 : **सोनू** उर्फ **शशांक तिवारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	16, 31
[2012]	(2012) 10 एस. सी. सी. 433 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1085 : **कुरिया और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** ।	26

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1099.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री रिशाद मुर्तजा और आर. एन. गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया ।

न्या. माथुर – यह अपील तारीख 15 अप्रैल, 2008 के सामान्य निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसे पुलिस थाना, कोतवाली, खेरी (राज्य बनाम जावेद खान) में दर्ज दंड संहिता की धारा 302 के अधीन, 2005 के मामला अपराध सं. 1937 से उद्भूत 2007 के सेशन विचारण सं. 199 में तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन 2005 का मामला अपराध सं. 1950 से उद्भूत 2007 का सेशन विचारण सं. 200 में सेशन न्यायाधीश लखीमपुर खेरी द्वारा पारित किया गया ।

2. तारीख 15 अप्रैल, 2008 के पूर्वोक्त निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी पाया गया था और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन उसे दोषसिद्ध किया गया और उसे आजीवन कारावास का दंड भोगने तथा 5,000/– रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने का संदाय व्यतिक्रम करने पर उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया । अपीलार्थी आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन भी दोषी पाया गया था और उसे दोषसिद्ध किया गया तथा 1 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री करूणा कांत गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान् ए. जी. ए.-I श्री हरिशंकर वाजपेयी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

4. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 27 सितंबर, 2005 को शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) अपनी माता श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) और अपनी बहन किरण सिंह (मृतका) के साथ शाम को कुछ सामान खरीदने के पश्चात् बाजार से वापस लौट रहे थे जबकि शिकायतकर्ता अपनी माता और बहन से कुछ दूरी पर पीछे-पीछे चल रहा था । लगभग 6.00 बजे अपराह्न जब वे अपीलार्थी के घर के सामने

पहुंचे तब अपीलार्थी ने अचानक देशी पिस्तौल से उसकी बहिन किरण सिंह पर हत्या करने के आशय से गोली चलाई जो उसकी गर्दन पर लगी जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गई । शिकायतकर्ता की माता जोर से चिल्लाई जबकि शिकायतकर्ता चिल्लाते हुए अपीलार्थी की ओर दौड़ कर गया परंतु अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को धमकाया और उसके पश्चात् देशी पिस्तौल के साथ भागने में सफल हो गया । इस घटना को शिकायतकर्ता, उसकी माता श्रीमती राज देई और उसकी बुआ श्रीमती चंपा देवी के साथ कई अन्य लोगों द्वारा देखा गया था । शिकायतकर्ता की बहिन किरण सिंह को शिकायतकर्ता, उसकी माता और अन्य लोगों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल लखीमपुर में भर्ती किया गया था, जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (जिसे इसमें इसके पश्चात् एफ. आई. आर. कहा गया है) को दर्ज करने के लिए पुलिस थाने पहुंचा । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इस घटना के पीछे अपीलार्थी का सम्पूर्ण हेतु पुरानी घटना से संबंधित है जिस घटना में अपीलार्थी द्वारा मृतका से छेड़छाड़ की गई थी जिसके बारे में मृतका ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी जिसके पश्चात् शिकायतकर्ता और उसके पिता ने मृतका से आगे छेड़छाड़ न करने के बारे में उसे चेतावनी दी थी और इसलिए, अपीलार्थी जो मृतका से शत्रुता रखता था, उसने यह अपराध किया था ।

5. यह भी निवेदन किया गया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में पहुंच कर लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) दर्ज की जिस पर पुलिस थाना कोतवाली, लखीमपुर खेरी के कांस्टेबल ब्रज लाल सरोज ने उसी दिन 7.10 बजे अपराह्न चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श का-9) तैयार की और इस प्रभाव की प्रविष्टि तारीख 27 सितंबर, 2005 को रपट सं. 57 के स्तम्भ 19/10 पर साधारण डायरी में प्रविष्टि की गई थी और अपीलार्थी के विरुद्ध 307/506 के अधीन मामला दर्ज किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के पश्चात् पुलिस थाना कोतवाली लखीमपुर के एस. एस. आई. श्री सीया राम तिवारी अस्पताल पर गए और शिकायतकर्ता और उसकी माता का कथन अभिलिखित किया परंतु यह इत्तिला प्राप्त की गई थी कि कथनों को अभिलिखित करने के दौरान आहत किरन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी जिसके पश्चात् एस. एस.

आई. श्री सिया राम तिवारी शिकायतकर्ता और उसकी माता के साथ घटनास्थल पर गया और घटनास्थल नक्शा (प्रदर्श का-13) तैयार किया । घटना के स्थान से श्री तिवारी ने रक्तरंजित मिट्टी तथा सादी मिट्टी एकत्रित की और दो अलग-अलग पात्रों में उन्हें मुहरबंद किया तथा ज्ञापन (प्रदर्श का-14) तैयार किया । उसी रात्रि को उसने तीसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीमती चंपा देवी शिकायतकर्ता की बुआ की परीक्षा की और अगले दिन शवगृह पर पहुंचा और मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श का-15) तैयार किया । शव को मुहरबंद करने के पश्चात् अन्य सुसंगत दस्तावेज, फोटोलाश (प्रदर्श का-16), नमूना मुहर (प्रदर्श का-17) फार्म सं. 13 (प्रदर्श का-18) आदि को तैयार किया । उसके पश्चात् शव को कांस्टेबल श्रवण कुमार के माध्यम से शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था ।

6. तारीख 28 सितंबर, 2005 को 3.00 बजे अपराह्न जिला अस्पताल लखीमपुर खेरी में डा. एस. के. शुक्ला (अभि. सा. 4) द्वारा मृतका के शव का शवपरीक्षण किया गया था । मृतका के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई गई थीं :-

(i) बाएं कान के 6 से. मी. नीचे गर्दन के बाईं ओर 1.00 से. मी. x 1.00 से. मी. x वक्ष की गुहिका तक गहरा अग्न्यायुध घाव की प्रविष्टि । घाव के चारों ओर 5 से. मी. पर औसत रूप से उलटे, अनियमित नीलांछन, कालापन, गोदन मौजूद थे । मांसपेशियों के नीचे विच्छेदन करने पर वाहिकाएं, दाहिना फुप्फुसावरण, दाहिना फेफड़ा विदीर्ण पाए गए थे और एक शंकुरुप बुलेट वक्ष के पीछे दाहिने ओर मांसपेशी के अंदर से बरामद किया गया । घाव की दिशा बाएं से दायां नीचे ओर था । वक्ष गुहिका में एक लीटर रक्त के थक्के और तरल रक्त मौजूद था ।

(ii) शव की आंतरिक स्थिति ऐसी थी कि आमाशय में 100 ग्राम लेईदार सामग्री थी । छोटी आंत में चिपचिपा पदार्थ और गैस थी । बृहत् आंत में मल पदार्थ और गैस थी । पित्ताशय आधा भरा हुआ था । आमाशय एन. ए. डी. था, प्लीहा एन. ए. डी. और पीला था । मूत्राशय एन. ए. डी. और खाली था ।

7. डा. की यह राय है कि मृतका की मृत्यु पूर्व अग्न्यायुध की क्षति

के कारण आघात और रक्तस्राव से मृत्यु हुई थी ।

8. शवपरीक्षण परीक्षा पूरा करने के पश्चात्, शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श का-2) तैयार की गई थी और तथा उसे मुहरबंद किया गया था और इस तथ्य के कारण कि श्रीमती किरण सिंह की मृत्यु हुई थी, इसलिए, मामले को तारीख 29 सितंबर, 2005 को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन परिवर्तित कर दिया गया था और श्री वीर सिंह (अभि. सा. 5) थाना गृह अधिकारी, कोतवाली, लखीमपुर द्वारा अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया गया । अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि तारीख 30 सितंबर, 2005 को पुलिस ने अपीलार्थी की मौजूदगी के बारे में 3.00 बजे सूचना प्राप्त की थी जो साहिद मर्द बाबा के मजार के नजदीक खड़ा था जिस पर पुलिस कांस्टेबल राम प्रताप वर्मा, रणधीर सिंह, रघवेन्द्र सिंह, एस. एस. आई. श्री सिया राम तिवारी और लोक साक्षी रामशंकर पुत्र तिलक राम पासी और जसकरन लाल पुत्र राम स्वरूप कुम्हार जो ग्राम सिकंदर पुर, पुलिस थाना, कोतवाली, लखीमपुर, जिला खेरी का है, इत्तिला कर्ता द्वारा बताए गए स्थान पर गए जहां से अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था । अपीलार्थी से पूछताछ करने पर उसने इस वजह से मृतका की हत्या किए जाने के बारे में अभिकथित रूप से संस्वीकृति दी है कि उसने उसके प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं पर कुछ भी अनुभव नहीं किया । उसने उस स्थान के बारे में भी बताया है जहां उसके द्वारा हत्या करने के लिए प्रयुक्त देशी आयुध को छुपा रखा था । उसके द्वारा ऐसा प्रकटीकरण करने पर वह स्थान जहां उसके द्वारा आयुध को छुपाया गया था जिस स्थान झाड़ी से उसने 315 बोर की देशी पिस्तौल को उठाया था । इस तरह बरामद किए गए देशी आयुध के नाल के अंदर खाली कारतूस पाया गया था और उक्त पिस्तौल और खाली कारतूस प्रदर्श का-2 का बरामदगी ज्ञापन बरामदी स्थान के घटनास्थल के नक्शों के साथ प्रदर्श का-4 के रूप में तैयार किया गया था । तत्पश्चात् अन्वेषण के पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श का-5 फाइल किया गया था ।

9. देशी पिस्तौल और खाली कारतूस की बरामदगी के कारण एक अन्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन तारीख 30 सितंबर, 2005 को अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई थी जिस

पर श्री रजनीश कुमार मौर्य, पुलिस थाना, कोतवाली सदर द्वारा अन्वेषण कार्य किया गया था । अन्वेषण समाप्ति के पश्चात् आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श का-7) प्रस्तुत किया गया था और इसके पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन तारीख 15 अप्रैल, 2008 को सामान्य निर्णय और आदेश के द्वारा दोषी पाया गया था जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

10. विद्वान् काउंसेल श्री करूणा कांत गुप्ता ने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होकर निम्नलिखित दलील दी हैं :-

(क) पुरानी शत्रुता की वजह से अपीलार्थी के विरुद्ध हेतु को उपदर्शित किया गया है, जो पूर्णतया अपर्याप्त है और वास्तव में मृतका के ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग के कारण कुटुंब में विघ्न उत्पन्न होने पर उसके ससुरालियों द्वारा मृतका की हत्या की गई थी ।

(ख) अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है जो दशाओं के परिणामों से प्रकट होती है और अभि. सा. 1 का अभिसाक्ष्य जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतका के पिता के लखनऊ से वापस आने के पश्चात् उनसे परामर्श करने के बाद दर्ज की गई थी । उक्त तथ्य से यह भी साबित होता है, मृत्युसमीक्षा समय के अंतर्गत नहीं की गई थी ।

(ग) मृतका का कोई मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया गया था जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के एक घंटे पश्चात् मृतका की मृत्यु हुई थी ।

(घ) अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना के घटने के समय पर मौजूद नहीं थे और इसके अतिरिक्त, उनके कथनों की संपुष्टि होने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया था ।

(ङ) अभिकथित क्षति की साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बुलेट की प्रविष्टि का बिन्दु साक्षियों के कथनों के अनुसार

घटनास्थल की तुलना करने पर भिन्न प्रकट होता है ।

11. अंत में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन उपशमन हेतु वैकल्पिक अनुरोध करते हुए इस न्यायालय के निर्णयज विधि का अवलंब लिया है ।

12. अपीलार्थी की ओर से किए गए प्रथम निवेदन के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मामले में अपीलार्थी की ओर से अपर्याप्त हेतु माना गया है क्योंकि घटना जिसके आधार पर अपीलार्थी की मृतका से शत्रुता को दिखाया गया है जिसके बारे में ढाई वर्ष से भी अधिक समय होने का दावा किया गया है और जो केवल एक छोटी-मोटी घटना थी जिसके पश्चात् मृतका की प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ग्राम सैयापुर, पुलिस थाना मोहममंडी के साथ विवाह हुआ था । उसने शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के संबंध में इस न्यायालय को ध्यान दिलाया जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि मृतका का घटना के ढाई वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और दहेज की मांग के संबंध में शिकायत मृतका के माता-पिता द्वारा मृतका के ससुरालियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी । यह भी स्वीकार किया गया था कि मृतका के ससुराली उस तथ्य की वजह से उससे बुरा व्यवहार करते थे कि दहेज की मांग को शिकायतकर्ता और उसके कुटुंब द्वारा पूरा नहीं किया जा सका । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दहेज मांग के संबंध में आपराधिक मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहममंडी के न्यायालय में लंबित है । शिकायतकर्ता की पूर्वोक्त स्वीकृति के कारण अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि वास्तव में कि वे लोग मृतका के ससुराली थे जिनका अपीलार्थी के बजाय मृतका की हत्या करने का प्रत्यक्ष हेतु था, अपीलार्थी का अभिकथित अपराध को करने का कोई हेतु मुश्किल से प्रकट होता है ।

13. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दूसरे आधार का ब्यौरा देते हुए उसे पूर्व दिनांकित बताया और यह दलील दी कि उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतका के पिता से परामर्श करने के पश्चात् 7.10 बजे अपराह्न वास्तविक रूप से तैयार की गई थी और उसे दर्ज किया गया था और इस प्रकार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने शिकायतकर्ता अभि.

सा. 1 के कथन का उल्लेख किया है कि उसने घटना के बारे में अपने पिता राम नारायण सिंह को सूचना दी थी जिन्होंने ऐसी सूचना प्राप्त करने पर उसी दिन लगभग 10-11 बजे अपराह्न अस्पताल पहुंचे थे । जब अस्पताल में उनके पहुंचने के समय के बारे में कांस्टेबल ब्रज लाल सरोज (अभि. सा. 7) के कथनों से तुलना की जाती है जिस पर तारीख 27 सितंबर, 2005 को कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया गया था और अस्पताल में एस. एस. आई. श्री सीया राम तिवारी के पहुंचने के पूर्व कोई मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी तब निष्कर्ष से यह प्रकट होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कुछ समय पश्चात् 11.00 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी जो मृतका के पिता राम नारायण सिंह से विचार-विमर्श करके दर्ज की गई थी और अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या और षड्यंत्र करके उसे फंसाया गया था और जिसे पूर्व दिनांकित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके तैयार किया गया था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध करते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के पूर्व दिनांकित बात को भी सामने रखना चाहा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 6 अक्तूबर, 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्राप्त की गई थी, यद्यपि, तारीख 27 सितंबर, 2005 को पुलिस थाने में इसके बारे में दर्ज किया जाना कहा गया है इसलिए, उसे बहुत विलंब से दर्ज किया गया जिससे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के पूर्व दिनांकित होने के तथ्य को समर्थन मिलता है ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तीसरी यह दलील दी गई है कि जो इस प्रकार है कि अपीलार्थी के विरुद्ध संपूर्ण अभियोजन की सत्यता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संदेहपूर्ण प्रतीत होती है कि मृतका का कोई मृत्युकालिक कथन इस तथ्य के बावजूद मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध नहीं किया गया था कि यह स्वीकार किया गया है कि मृतका की मृत्यु अभिकथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के एक घंटे के पश्चात् 7.10 बजे अपराह्न अस्पताल में हुई थी । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दूसरी यह दलील दी गई है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) और उसकी माता श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) वास्तविक उस समय मौजूद नहीं थे जब अभिकथित घटना के बारे में घटित होना कहा गया है । किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं

की गई या अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त शिकायतकर्ता और उसकी माता द्वारा दिए गए कथनों की संपुष्टि अपीलार्थी के विरुद्ध पेश नहीं की गई जो हितबद्ध साक्षी थे । उन्होंने इस प्रभाव के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथन की ओर भी ध्यान दिलाया कि मृतका का रक्त उसके कपड़ों पर लगा था जब वह मृतका को अस्पताल पर लाई थी परंतु न तो कोई रक्त का नमूना अभि. सा. 2 के कपड़ों से लिया गया था और न ऐसे रक्त की रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की गई थी । उसने यह भी निवेदन किया कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों के अनुसार उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वे बाजार जाने के लिए मृतका के साथ चले थे क्योंकि मृतका के साथ इस प्रयोजन से नहीं गए अर्थात् उन्हें दर्जी के यहां जाना था, ऐसा नहीं हुआ ।

15. अंत में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस तथ्य की वजह से अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा क्षतियों के बारे में संपुष्टि नहीं हो पाई है कि घटनास्थल के अनुसार अपीलार्थी के बारे में घटना के समय पर मृतका के बाईं ओर होना कहा गया है जबकि अभि. सा. 2 के कथन के अनुसार अपीलार्थी ने मृतका के पीछे की ओर अर्थात् दक्षिण दिशा से गोली चलाई थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह भी उपदर्शित हुआ है कि अग्न्यायुध घाव गर्दन के बाईं ओर था और इस प्रकार साक्ष्य के अनुसार बुलेट की प्रविष्टि की संपुष्टि नहीं हुई है ।

16. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अपनी विधिक दलीलें देने के पश्चात्, उन्होंने **सोनू** उर्फ **शशांक तिवारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया जिसमें अपीलार्थी के लंबे समय से कैद में होने की वजह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन अपीलार्थी के दंड का लघुकरण करने के बारे में आवश्यक निदेश जारी किए हैं ।

17. इसके विपरीत विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश पर सफाई देना चाहा है जिस पर प्रारंभिक रूप से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को आधार लिया गया तथा अपीलार्थी-अभियुक्त के कहने पर उसकी गिरफ्तारी और देशी पिस्तौल की बरामदगी का भी

---

[1] 2017 (98) ए. सी. सी. 97.

आधार लिया गया ।

18. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

19. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की प्रथम दलील का संबंध है कि हेतु जो उसका माना गया, उसका अपर्याप्तता से संबंध है, उक्त दलील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के स्वयं के कथन को ध्यान में रखते हुए कायम योग्य नहीं है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि उसे शत्रुता की वजह से मिथ्या रूप से फंसाया गया है । चूंकि अपीलार्थी द्वारा मृतका से छेड़छाड़ करने की घटना से अलग, वह मृतका के कुटुंब के साथ कोई अन्य शत्रुता के बारे में किसी बात को उपदर्शित करने में समर्थ नहीं हुआ है, सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा केवल शत्रुता का उल्लेख किए जाने के बारे में मृतका से छेड़छाड़ की घटना के बारे में कहा गया है जिसके बारे में मृतका ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी और उसके पश्चात् मृतका के कुटुंब द्वारा अपीलार्थी को चेतावनी दी गई थी जिसके बारे में अपीलार्थी का उक्त अपराध को कारित किए जाने के लिए पर्याप्त हेतु होना सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है और इसलिए, इस बारे में अपमान होने के कारण अप्रासंगिक हेतु नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी मृतका के कुटुंब द्वारा चेतावनी देने पर कष्ट भोग रहा हो । अपीलार्थी उक्त घटना में अपने को गलत रूप से फंसाने के लिए किसी अन्य हेतु के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हुआ है जिससे सभी असंगत कार्यवाही के बारे में अपने विरुद्ध किसी तरह के परेशान करने के अभिकथन को साबित भी कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप उसके बारे में ऐसा कष्ट भोगने पर उसके परिणामस्वरूप बदला लेने के बारे में कहा जा सकता है ।

20. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दूसरी दलील का संबंध है कि मृतका के वास्तविक ससुराल वाले भी थे जिन्होंने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपने विरुद्ध दर्ज किए गए मामले को ध्यान में रखते हुए घटना को कारित किए जाने के लिए स्पष्ट हेतु को अंजाम दिया था कि ऐसी दलील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थी की कोई सहायता भी नहीं करता है कि मामले में कोई प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक पूर्णतया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि ससुरालियों की ओर से कोई व्यक्ति मृतका की हत्या करने में शामिल था । यह उपदर्शित करना भी सुसंगत है कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् शिकायतकर्ता राजेश कुमार (अभि. सा. 1) और उसकी माता श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) के कथनों की तुलना करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों साक्षियों के कथनों की एक-दूसरे से पूर्णतया संपुष्टि हुई है, यद्यपि प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा विस्तार से की गई है जिसमें अपीलार्थी के समर्थन में उनसे कोई प्रतिकूल कथन प्रकट नहीं हुआ है ।

21. हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील की परीक्षा की जो पूर्व दिनांकित है और यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त दलील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार घटना के बारे में तारीख 27 सितंबर, 2005 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न घटित होना कहा गया है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उसी दिन 7.10 बजे अपराह्न दर्ज की गई और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने में विलंब हुआ था । चूंकि घटना के पश्चात् श्रीमती किरन सिंह काफी समय जिंदा रही, इसलिए, उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज करें और केवल 8.10 बजे अपराह्न के पश्चात् उक्त धारा के अधीन मामले को दर्ज किया जा सकता था जब मृतका अपनी अंतिम सास ले रही थी । एस. एस. आई. श्री एस. एस. सीया राम तिवारी (अभि. सा. 8) के अनुसार जो मामले को दर्ज करते समय पुलिस थाने में मौजूद था और उसके पश्चात् उसने अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया । उसने यह कथन किया है कि वह 7.50 बजे अपराह्न अस्पताल पर पहुंचा परंतु श्रीमती किरन सिंह उस समय बेहोश थी परंतु जब उसने शिकायतकर्ता और उसकी माता के कथनों को अभिलिखित किया था, उसने यह सूचना दी थी कि श्रीमती किरन सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके पश्चात् शवगृह में शव को रखा गया था वह घटनास्थल पर गया जहां उसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया । अगले दिन मृतका की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट अन्य

दस्तावेजों के साथ तैयार की गई थी ।

22. अस्पताल पर पहुंचने के समय के बारे में अन्वेषक अधिकारी के कथन की अभि. सा. 2 के कथन से पूर्णतया संपुष्टि हुई है और अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 8 द्वारा उन दशाओं के बारे में दिया गया वृत्तांत की इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संपुष्टि हुई है कि अभि. सा. 8 मृतका के पिता के पहुंचने के काफी पूर्व अस्पताल पर पहुंचा था । इन साक्षियों से प्रतिपरीक्षा में विस्तार से कुछ भी प्रकट नहीं हो सका जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती थी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 7.10 बजे अपराह्न दर्ज की गई थी न कि 11.00 बजे अपराह्न के पश्चात् अर्थात् मृतका के पिता के पहुंचने के पश्चात् । जहां तक मृत्युसमीक्षा के विलंब का संबंध है, अभि. सा. 8 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इस तथ्य की वजह से कि श्रीमती किरन सिंह की मृत्यु रात्रि के दौरान घटित हुई इसलिए, सुबह के लिए मृत्यु समीक्षा को स्थगित किया गया था । अगले दिन मृत्युसमीक्षा को रखे जाने पर उस पर हमारी यह राय है, उस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में पूर्व दिनांकित की बात को नहीं रखा गया चूंकि अगले दिन मृत्युसमीक्षा को रखा जाना नैसर्गिक परिणाम हो सकता है क्योंकि उसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि अभि. सा. 8 ने अस्पताल में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों को भी अभिलिखित करने के पश्चात्, वह घटनास्थल पर गया और वह नमूनों को एकत्रित करने में और घटनास्थल नक्शा तैयार करने में व्यस्त था जिसमें समय लगता है । अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन करने पर यह प्रकट हुआ है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 6 अक्तूबर, 2005 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्राप्त की गई थी जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा एक आधार के रूप में लिया गया है जो पूर्व दिनांकित है, यद्यपि, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में समय और तारीख को अभिलिखित नहीं किया गया है । हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण से पूर्णतया सहमत हैं कि चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सर्किल अधिकारी के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भेजी गई थी, यह निश्चित रूप से संबंधित

न्यायालय में पहुंचने में समय लगा होगा और इसलिए, इस तथ्य से स्वत: यह साबित होना पर्याप्त नहीं होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित थी । उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जो अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई, पूर्व दिनांकित थी ।

23. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई तीसरी दलील के अनुसार इस आधार पर अभियोजन के पक्षकथन का अभियोजन पक्षकथन दूषित है कि मृतका का कोई मृत्युकालिक कथन अभिलिखित नहीं किया गया था जिसकी मृत्यु अभिकथित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के एक घंटे पश्चात् हुई थी । उक्त आधार श्रीमती किरन सिंह के अस्थिर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अधिसंभाव्य होना अभिनिर्धारित नहीं किया है क्योंकि उस समय जब मृतका को अस्पताल पर लाया गया था, उस समय उसकी गर्दन में बुलेट से क्षति हुई थी और जिस स्थान से रक्त बह रहा था । श्रीमती किरन सिंह की ऐसी गंभीर हालत को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि आहत के जीवन को बचाने और उसे स्थिर हालत में लाने के लिए संबंधित चिकित्सकों द्वारा सभी प्रयास किए गए थे किन्तु उसे बचाया नहीं जा सका और श्रीमती किरन सिंह की घटना के दो घंटे के भीतर मृत्यु हो गई । संबंधित फिजिशियन द्वारा स्वाभाविक रूप से कोई कथन करने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जा सका क्योंकि वह स्थिर हालत में थी उस समय पहले ही उसके द्वारा कोई मृत्युकालिक कथन दिया जाता जिस पर विश्वास किया जा सकता । यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि श्रीमती किरन सिंह स्थिर स्वास्थ्य की दशा में थी जो मृत्युकालिक कथन देने के लिए अच्छी दशा मानी जाती है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि श्रीमती किरन सिंह का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित न करने से अभियोजन पक्षकथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

24. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा चौथी यह दलील दी गई कि अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी घटना के समय पर मौजूद नहीं थे और उक्त दुर्घटना का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है ।

इस बात से अपीलार्थी के पक्षकथन को कोई भी सहायता नहीं मिलती है । शिकायतकर्ता राजेश कुमार (अभि. सा. 1) और श्रीमती राज देई (अभि. सा. 2) के कथनों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने और तुलना करने पर इससे यह स्पष्ट होगा कि दोनों व्यक्तियों के अभिलिखित कथनों में कोई भिन्नता नहीं है । प्रतिरक्षा काउंसेल द्वारा विस्तृत रूप से की गई प्रतिपरीक्षा में कुछ भी प्रकट नहीं हो सका जो बात इनके द्वारा दिए गए कथनों या उनकी मुख्य परीक्षा में भी प्रतिकूल प्रकट होती है । मात्र यह तथ्य कि दोनों साक्षी मृतका के कुटुंब के सदस्य हैं और इसलिए हितबद्ध साक्षी हैं, उनके परिसाक्ष्य में अप्रसन्नता व्यक्त किया जाना पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे केवल वे व्यक्ति थे जो घटना के समय पर मृतका के काफी नजदीक थे और इसलिए वे लोग उत्तम और नैसर्गिक साक्षी थे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का परिसाक्ष्य जब एक साथ उनका परिशीलन किया जाए तो एक दूसरे से स्पष्ट संपुष्टि होती है और इसलिए अभियोजन पक्षकथन से न केवल विश्वास प्रेरित होता है बल्कि उन्हें विश्वसनीय ठहराया जा सकता है जिन पर विश्वास किया जाना पर्याप्त है ।

25. उनके परिसाक्ष्य की क्षति रिपोर्ट तथा घटनास्थल के नक्शे से भी संपुष्टि होती है जिनसे स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि घटना के घटने तथा स्थान के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसलिए, यह भी निवेदन किया जाता है कि अभियोजन पक्षकथन मात्र इस तथ्य की वजह से अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कपड़ों से रक्त का कोई नमूना नहीं लिया गया था, यह बात ठीक नहीं थी क्योंकि उक्त लोप अभियोजन पक्ष की ओर से हुआ था और यह बात इतनी तात्विक नहीं है जिससे कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक हो जाए, जिनसे अन्य दस्तावेजी साक्ष्य घटनास्थल का नक्शा और क्षति रिपोर्ट की संपुष्टि हुई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई यह दलील कि घटना के समय पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी, अविश्वसनीय है क्योंकि उनके पास बाजार जाने के लिए मृतका के साथ चलने का कोई अवसर नहीं था और यह बात स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है

क्योंकि कोई हेतु या स्पष्टीकरण कुटुंब के सदस्यों के बारे में माना नहीं जा सकता है जिससे कि बाजार जाने के लिए अन्य कुटुंब के सदस्यों के साथ अग्रसर होते ।

26. **कुरिया और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 34 में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि 'प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य यदि सत्य पाया जाता है, उसे मात्र इस कारण से त्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतका के नातेदार हैं । जहां साक्षी पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है, तब न्यायालय ऐसे साक्षी के कथन को त्यक्त कर सकता है, परंतु जहां साक्षी पूर्णतया विश्वसनीय है या न तो पूर्णतया विश्वसनीय है और न पूर्णतया अविश्वसनीय है (यदि उसके कथन की पूर्ण रूप से संपुष्टि होती है और अन्य मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थन मिलता है), तब न्यायालय ऐसे साक्षी के कथन पर अपना निर्णय आधारित कर सकता है ।' उच्चतम न्यायालय द्वारा निरूपित किए गए सिद्धांतों के प्रकाश में और यह तथ्य कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य का अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जैसे घटनास्थल का नक्शा और क्षति रिपोर्ट से संपुष्टि हुई है तब सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि वे दो साक्षी घटना के समय पर घटनास्थल में मौजूद थे और उनका कथन विश्वसनीय है ।

27. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है कि मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, हमारा यह मत है कि अन्य साक्षियों की परीक्षा न कराना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं होगा कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 जैसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से पूर्ण रूप से संपुष्टि की है ।

28. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अंतिम दलील यह दी गई कि अभिकथित क्षति की अपीलार्थी की भिन्न स्थिति को देखते हुए साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं की गई है क्योंकि बुलेट की प्रविष्टि के प्रश्न पर तुलना की गई है ।

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 433 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1085.

29. अभि. सा. 2 के कथन का अवलंब लिया गया जिसमें उसने यह कथन किया है कि घटना के समय पर अपीलार्थी ने मृतका पर दक्षिण की ओर से गोली चलाई थी जबकि घटनास्थल पर दिखाई गई क्षति रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी मृतका के पश्चिम की तरफ खड़ा था ।

30. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई पूर्वोक्त दलीलों पर विचार किया परंतु यह निष्कर्ष निकाला कि डाक्टर एस. के. शुक्ला (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य का घटनास्थल के नक्शे के साथ परिशीलन किया गया और शवपरीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इस तथ्य की संपुष्टि होती है कि अपीलार्थी मृतका के पश्चिम की ओर था जब उस पर गोली चलाई गई थी । हमारी यह राय है कि मृतका के मुकाबले (यानि) अपीलार्थी के खड़े होने की स्थिति के बारे में अभि. सा. 2 का कथन विभेदकारी है, ऐसी भिन्नता इतनी तात्विक नहीं होगी जिससे कि अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में पहचान करने के बारे में जिसने मृतका पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु हुई, के बारे में घटना के दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा विनिर्दिष्ट व निश्चायक पहचान को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्षकथन को व्यक्त नहीं किया जा सकता । एक सुसंगत तथ्य को ध्यान में लाया गया जो घटना के समय पर अभि. सा. 2 की मानसिक स्थिति के बारे में है जब उसकी पुत्री अचानक उसकी आंखों के समक्ष गोली चलने के कारण मरणासन्न स्थिति में चली गई तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने सही रीति में संपूर्ण घटना को अपने स्मरण में रखा हो । पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि अभि. सा. 2 का घटनास्थल तथा शवपरीक्षण रिपोर्ट के बारे में किए गए कथन की मात्र संपुष्टि न होना असंगत है और अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उस बारे में दी गई दलील अस्वीकार किए जाने योग्य है ।

31. अंत में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी 14 वर्ष से भी अधिक समय से जेल में है, इसलिए वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 का फायदा पाने का हकदार है अर्थात् दंड के लघुकरण का और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने **सोनू** उर्फ

शशांक तिवारी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया ।

32. हमने पूर्वोक्त निर्णय का परिशीलन किया जो इस न्यायालय के समन्वित पीठ का है और जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अधीन फायदा अपीलार्थी के काफी समय से जेल में रहने पर मंजूर किया जाता है । इस न्यायालय के समन्वित पीठ के पूर्वोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम उसका अनुसरण करना समुचित समझते हैं और जेल अधीक्षक को इस बाबत आवश्यक निदेश जारी करते हैं कि अपीलार्थी के दंड के लघुकरण के प्रस्ताव को समुचित प्राधिकारी के पास भेजे जिस पर विधि के अनुसरण में त्वरित रूप से विचार किया जाए ।

33. हमने विचारण न्यायालय के निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । विचारण न्यायालय ने मामले के संपूर्ण तथ्य पर स्पष्ट रूप से विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर सही रूप से विचार किया है और तथ्य और विधि के सुसंगत कारकों पर विचार करके अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिलिखित की है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई दुर्बलता को प्रकट करने में विफल हुए हैं जिस पर अपील न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो सकता हो । इसलिए, हमारी विचारित राय यह है कि विचारण न्यायालय के निर्णय को कायम रखा जाता है और अपील को खारिज किया जाता है ।

34. पूर्वोक्त तथ्यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील खारिज की जाती है और तारीख 15 अप्रैल, 2008 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश को कायम रखा जाता है ।

35. इस कार्यालय द्वारा निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ निर्णय के प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को तत्काल भेजी जाती है, ताकि इस निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] 2017 (98) ए. सी. सी. 97.

मनोज नैनवाल

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 378)

तारीख 26 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – आत्महत्या और क्रूरता का दुष्प्रेरण – सबूत – मृतका (पत्नी) की जहर पीने के कारण मृत्यु होना – पति और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध – यदि पति द्वारा किसी विवाह समारोह में पत्नी के मित्रों तथा नातेदारों के सामने उसको अपमानित किया गया हो तथा पति के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण सार्वजनिक रूप से पत्नी का मान भंग हुआ हो उस पर पत्नी द्वारा आत्महत्या की गई तो अभियुक्त (पति) को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304ख [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 व साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – उपधारणा – यह साबित नहीं हुआ है कि मृतका मृत्यु से तत्काल पूर्व दहेज मांग के कारण क्रूरता के अध्यधीन रही तब धारा 113ख की उपधारणा का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता – इसी तरह, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला भी नहीं बनता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 306, 498क और 53 – आत्महत्या और क्रूरता का दुष्प्रेरण – दंड – लघुकरण – प्रशामक कारक – जहां पत्नी (मृतका) ने जहर पीकर आत्महत्या की, उस समय अभियुक्त (पति) ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए प्रयत्न किया और अभियुक्त का सात वर्ष का पुत्र है जिसे अपने पिता की संरक्षण की जरूरत है और अभियुक्त कठोर अपराधी नहीं है न उसका आपराधिक इतिहास है, इसलिए, अभियुक्त के 7 वर्ष के कठोर कारावास को पहले भोगी गई अवधि से कम किया जाना न्यायोचित है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 354 – दंडशास्त्र – दंडादेश आपराधिक न्याय तंत्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है - दंड देने का प्रयोजन निवारक और सुधारात्मक है – दंड देने वाले न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए – उन्हें गंभीर और प्रशामक दोनों कारकों पर सचेत रहना चाहिए ।

25 वर्ष आयु की विवाहित स्त्री जिसका 2 वर्ष का बच्चा था, जब तारीख 8 जून, 2014 को वैवाहिक गृह में उसकी मृत्यु हुई । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि उसे उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा जहर पिलाया गया था । तथापि, केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । तत्पश्चात् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हल्द्वानी द्वारा तारीख 12 दिसंबर, 2014 के आदेश को पारित करके अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख और 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज नैनवाल को अंतिम रूप से दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया । मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका का भाई अर्थात् कमल किशोर ने तारीख 9 जून, 2014 को 5.10 या 9.06 बजे अपराह्न यह कथन करते हुए पुलिस थाना लाल कुआं, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी बड़ी बहिन सुश्री हेमा नैनवाल जिसकी तारीख 20 नवंबर, 2009 को मनोज नैनवाल के साथ विवाह हुआ था (2016 की क्रिमिनल अपील सं. 378 में अपीलार्थी), उसकी उसके पति और ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी गई । यह कहा गया था कि विवाह के समय पर दूल्हे के कुटुंब की मांग के अनुसार, टेलीविजन सैट, मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान उपहार के रूप में दिए गए थे, परंतु उसकी बहिन के ससुराल वाले लालची थे और वे संतुष्ट नहीं थे तथा उन्होंने लगातार 1,00,000/- रुपए की दहेज की मांग की थी । जिसके परिणामस्वरूप उसकी बहिन को रोज प्रताड़ित और परेशान किया गया था तथा उसके ससुराल वाले तथा उसके पति द्वारा उसे पीटा भी गया था । एक अवसर पर उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का विनिश्चय किया था, परंतु दूसरी ओर वे इस बात पर इस कारण से विरत रहे कि उन्होंने

सोचा कि ऐसा करने से उसकी बहिन का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा । वैवाहिक स्थिति में उसकी बहिन ने लड़के को जन्म दिया जो लगभग 2 वर्ष का है । तारीख 8 जून, 2014 को उसकी बहिन अपने पति और पुत्र के साथ "कठघड़िया", हल्द्वानी किसी विवाह समारोह में पहुंची थी । विवाह समारोह के दौरान उसकी बहिन का उसके पति द्वारा लोगों के समक्ष अपमान किया गया । तब वह विवाह समारोह के बीच में ही चला गया । उसकी बहिन रोने लगी और बाद में जब वह अपनी बहिन को उसके वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए जा रहा था तब उसकी बहिन ने यह भी आशंका जताई थी कि उसके ससुर, सास, पति और ननद किसी समय उसकी हत्या कर सकते हैं । उसने यह कहा कि वे दहेज की मांग कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की । वह लगभग 9.00 बजे अपराह्न अपने बहिन के वैवाहिक गृह पर पहुंचा और उसकी बहिन अपने पुत्र के साथ घर के अंदर चली गई परंतु उसकी बहिन के देवर और उसके चचेरे भाई द्वारा उसे गेट पर ही रोक दिया था । कुछ ही समय पश्चात् उसकी बहिन दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसके पैरों पर गिर गई । उसने यह कहा कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा जहर पिलाया गया है और वह मरने की ओर जा रही है । तब उसने यह अभिवाक् किया कि वह उसके पुत्र की देखभाल करे क्योंकि अब वह मृत्यु की ओर जा रही है । तब उसकी बहिन को सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । इस पर, अगले दिन तारीख 9 जून, 2014 को लगभग 5.10 बजे अपराह्न पुलिस थाना, लाल कुआं, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । पुलिस ने मामले में अन्वेषण करने के पश्चात् केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया क्योंकि उन्होंने अन्य कुटुंब सदस्यों के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं पाई । उसके पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था तथा इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी को प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नैनीताल, हल्द्वानी द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त-

अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पूर्वोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज नैनवाल की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 306 तथा 498क के अधीन कायम रखते हैं क्योंकि हमारी यह राय है कि अपीलार्थी मनोज नैनवाल की ओर से किया गया कार्य की प्रकृति ऐसी थी जो क्रूरता की कोटि के अन्तर्गत है क्योंकि मृतका को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और जो तत्काल उसकी आत्महत्या का कारण बना । अपीलार्थी मनोज नैनवाल की ओर से किया गया कार्य "दुष्प्रेरण" की कोटि में आता है । यह सिद्ध नहीं किया गया है कि मृतका के मृत्यु से तत्काल पूर्व वह दहेज मांग के संबंध में क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन थी । इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा लागू नहीं होती है । उसी साक्ष्य पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन भी मामला नहीं बनता है । वास्तव में, वर्तमान मामले में कतिपय प्रशामक कारक जिस पर हमारी यह राय है जो हमारे विचार के योग्य है । अभियुक्त-अपीलार्थी लार्थी मनोज नैनवाल के पक्ष में प्रशामक कारक हैं । जब मृतका ने जहर पिया था तब अभियुक्त-अपीलार्थी अपने साले के साथ अस्पताल पर गया था और अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया । यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मृतका 2 वर्ष के पुत्र को छोड़ गई थी । वर्तमान में जिसकी आयु 7 वर्ष है और न्यायालय में यह कथन किया गया कि वह अपने दादा अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी के पिता के साथ निवास करता है । उक्त बालक को अपने पिता से संरक्षण पाने और देखरेख की जरूरत है । अभियुक्त-अपीलार्थी कठोर प्रकृति का अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है । हमारे विचार से इन सभी बातों से प्रशामक परिस्थितियां पैदा होती हैं जिस पर हम अभियुक्त-अपीलार्थी के लिए दंड संहिता की धारा 306 के अधीन 7 वर्ष के दंड को पहले भोगे गए दंड में से घटाकर कम करते हैं । जुर्माना पहले की तरह ही रहेगा । दांडिक न्याय तंत्र का महत्वपूर्ण भाग दंडादेश है । दंडशास्त्रीय रूप में यह प्रकट है कि दंड देने का प्रयोजन निवारक और सुधार/संशुद्धि है । दंड देने वाले न्यायालय को सावधानीपूर्वक इस

बात पर विचार करना चाहिए । खास तौर पर, उन सभी कारकों के प्रति सचेत रहना चाहिए जो गंभीर तथा कम करने वाली परिस्थितियों को प्रकट करता है । (पैरा 17, 18, 19, 24 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

[2013] (2013) 2 एस. सी. सी. 452 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 447 :
संगीत और एक अन्य बनाम **हरियाणा राज्य** ; 25

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 =
ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898 :
बच्चन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 378.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री पुष्पा जोशी ज्येष्ठ अधिवक्ता, साथ में सुश्री चेतना लटवाल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अमित भट्ट उप महाधिवक्ता, साथ में सुश्री ममता जोशी, बीफ्र होल्डर और ललित शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने दिया ।

न्या. धुलिया – ये सभी अपीलें 2014 के सेशन विचारण सं. 123, राज्य बनाम मनोज नैनवाल वाले मामले में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा तारीख 17 नवंबर, 2016 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई हैं जिसमें अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 498क और धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन 3 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास भोगने तथा साथ-साथ ही 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन 7 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने साथ ही 10,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । दंडादेश

साथ-साथ चलेंगे । उसे दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. 2016 की दांडिक अपील सं. 410 मृतका के भाई द्वारा फाइल की गई है और 2017 की सरकारी अपील सं. 52 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अधीन राज्य द्वारा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. एक 25 वर्ष आयु की विवाहित स्त्री जिसका 2 वर्ष का बच्चा था, जब तारीख 8 जून, 2014 को वैवाहिक गृह में उसकी मृत्यु हुई । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि उसे उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा जहर पिलाया गया था । तथापि, केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । तत्पश्चात् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश हल्द्वानी द्वारा तारीख 12 दिसंबर, 2014 के आदेश को पारित करके अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 304ख् और 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज नैनवाल को अंतिम रूप से दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया ।

4. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका का भाई अर्थात् कमल किशोर ने तारीख 9 जून, 2014 को 5.10 या 9.06 बजे अपराह्न यह कथन करते हुए पुलिस थाना लाल कुआं हल्द्वानी, जिला नैनीताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उसकी बड़ी बहिन सुश्री हेमा नैनवाल जिसकी तारीख 20 नवंबर, 2009 को मनोज नैनवाल के साथ विवाह हुआ था (2016 की क्रिमिनल अपील सं. 378 में अपीलार्थी), उसकी उसके पति और ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी गई । यह कहा गया था कि विवाह के समय पर दूल्हे के कुटुंब की मांग के अनुसार, टेलीविजन सैट, मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान उपहार के रूप में दिए गए थे, परंतु उसकी बहिन के ससुराल वाले लालची थे और वे संतुष्ट नहीं थे तथा उन्होंने लगातार 1,00,000/- रुपए की दहेज की मांग की थी । जिसके परिणामस्वरूप उसकी बहिन को रोज प्रताड़ित और परेशान किया गया था तथा उसके ससुराल वाले तथा उसके पति

द्वारा उसे पीटा भी गया था । एक अवसर पर उन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का विनिश्चय किया था, परंतु दूसरी ओर वे इस बात पर इस कारण से विरत रहे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से उसकी बहिन का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा ।

5. वैवाहिक स्थिति में उसकी बहिन ने लड़के को जन्म दिया जो लगभग 2 वर्ष का है । तारीख 8 जून, 2014 को उसकी बहिन अपने पति और पुत्र के साथ "कठघड़िया", हल्द्वानी किसी विवाह समारोह में पहुंची थी । विवाह समारोह के दौरान उसकी बहिन का उसके पति द्वारा लोगों के समक्ष अपमान किया गया । तब वह विवाह समारोह के बीच में ही चला गया । उसकी बहिन रोने लगी और बाद में जब वह अपनी बहिन को उसके वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए जा रहा था तब उसकी बहिन ने यह भी आशंका जताई थी कि उसके ससुर, सास, पति और ननद किसी समय उसकी हत्या कर सकते हैं । उसने यह कहा कि वे दहेज की मांग कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की । वह लगभग 9.00 बजे अपराह्न अपने बहिन के वैवाहिक गृह पर पहुंचा और उसकी बहिन अपने पुत्र के साथ घर के अंदर चली गई परंतु उसकी बहिन के देवर और उसके चचेरे भाई द्वारा उसे गेट पर ही रोक दिया था । कुछ ही समय पश्चात् उसकी बहिन दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसके पैरों पर गिर गई । उसने यह कहा कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा जहर पिलाया गया है और वह मरने की ओर जा रही है । तब उसने यह अभिवाक् किया कि वह उसके पुत्र की देखभाल करे क्योंकि अब वह मृत्यु की ओर जा रही है । तब उसकी बहिन को सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी ले जाया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था । इस पर, अगले दिन तारीख 9 जून, 2014 को लगभग 5.10 बजे अपराह्न पुलिस थाना, लाल कुआं हल्द्वानी जिला नैनीताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी ।

6. पुलिस ने मामले में अन्वेषण करने के पश्चात् केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया क्योंकि उन्होंने अन्य कुटुंब सदस्यों के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं पाई । उसके पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था तथा इसके पश्चात् अभियुक्त-

अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क और 304ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा की जिसमें से हमारे मूल्यांकन के अनुसार तात्विक साक्षी कमल किशोर (अभि. सा. 1) अर्थात् शिकायतकर्ता जो मृतका का भाई है, बसन्ती देवी (अभि. सा. 2) जो मृतका की माता है, दीपक नाईवालिया (अभि. सा. 3) और प्रकाश चन्द नाईवालिया (अभि. सा. 6) जो मृतका के भाई हैं और तनुज नाईवालिया जो मृतका की ननद है । उमेश चन्द्र (अभि. सा. 5) और गणेश दत्त जोशी (अभि. सा. 8) घटना के साक्षी हैं । तारीख 8 जून, 2014 को जहां अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी पत्नी का अपमान किया था और वे लोग मध्य में ही विवाह समारोह को छोड़कर चले गए थे ।

8. अभि. सा. 9 डा. सी. पी. भेसोड़ा हैं जिन्होंने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था ।

9. अभि. सा. 1 इत्तिलाकर्ता है और मृतका का भाई है जिसने अपने द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए वृत्तांत को दोहराया है । उसने इस बारे में बताया है कि कैसे उसकी बहिन विवाह के बारे में अपने माता-पिता और भाइयों से निरंतर शिकायत करती थी और उसे ऐसा दुर्व्यवहार वैवाहिक गृह में उसके पति द्वारा किया जाता था और उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित करके उसके साथ क्रूरतापूर्ण का व्यवहार करने के साथ-साथ दहेज की मांग भी की जाती थी । तब उसने यह कहा है कि तारीख 8 जून, 2014 को जब उसकी बहिन विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए पहुंची थी तब उसके मातृक कुटुंब के समक्ष "टीका" समारोह में उसकी बहिन की उसके देवर (अभियुक्त) द्वारा अपमान किया गया था जो बीच में ही समारोह छोड़कर चले गए थे । उसकी बहिन ने चीख-पुकार की क्योंकि उसने अमानवीयता का भाव महसूस किया । इसके पश्चात् उसने यह बात दोहरायी कि कैसे उसकी बहिन ने उसे इस बारे में आश्वस्त किया कि उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग की गई थी जब उसे वैवाहिक गृह में ले जाया जा रहा था और तब कैसे उसकी बहिन को मृत्यु से पूर्व जहर पिलाया

गया । उसे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया था जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था । अगले दिन अर्थात् तारीख 9 जून, 2014 को उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । तब अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पिता जी सेवानिवृत्त सैनिक व्यक्ति हैं जो वर्ष 2003 में "हवलदार" के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, अब जिंदा नहीं हैं । तब उसने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में कथन किया कि उसकी माता आदि द्वारा कितनी पेंशन प्राप्त की जा रही है । उसकी बहिन ने हाई स्कूल तक अध्ययन किया था और उसका दामाद अर्थात् अभियुक्त ने कक्षा आठ तक शिक्षा प्राप्त की थी । उसने अपनी बहिन के पति द्वारा 1,00,000/- रुपए की निरंतर मांग के बारे में बताया । उसने यह भी कथन किया कि घटना के पश्चात् तारीख 8 जून, 2014 को विवाह समारोह में वह पहले अपनी बहिन के मातृक घर पर ले गया और उसके बाद उसे उसके वैवाहिक गृह पर ले गया था । मृतका के मातृक के घर से विवाह के स्थल की दूरी 10 किलोमीटर है और उसके वैवाहिक गृह से भी यह दूरी 10 किलोमीटर है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि जब उसे मृतका के देवर द्वारा गेट पर रोक दिया गया था, वह उस स्थान पर 10 मिनट तक खड़ा रहा । इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसकी बहिन घर से चिल्लाते हुए बाहर आई कि उसकी उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या की जा रही है । वह लगभग 15 से 20 मिनट तक अपनी बहिन के घर पर रूका रहा और तब अपनी बहिन को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतका का शवपरीक्षण होने के पश्चात् उसके ससुराल वालों द्वारा उसका दाह-संस्कार कर दिया गया था ।

10. श्रीमती बसन्ती देवी (अभि. सा. 2) मृतका की माता है । उसने मृतका के पति और ससुराल वालों द्वारा उससे दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने के बारे में अभियोजन पक्षकथन को दोहराया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके आंखों के समक्ष कभी भी उत्पीड़न और परेशान करने की घटना नहीं घटी थी । इसके अतिरिक्त उसने यह स्वीकार किया है कि वह तारीख 8 जून, 2014 को मृतका के नातेदार के विवाह समारोह में उपस्थित नहीं हुई थी ।

11. दीपक नाईवालिया (अभि. सा. 3) मृतका का भाई है जो तारीख 8 जून, 2014 को विवाह समारोह में मौजूद था, जिस पर उसने यह कथन किया है कि उसके दामाद और बहिन के बीच पैसों के बारे में कुछ विवाद हुआ था और अभियुक्त मनोज नैनवाल ने अपनी पत्नी का पर्स छीन लिया था और अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ कर उस समारोह से चला गया ।

12. तारीख 8 जून, 2014 को इस घटना के अन्य साक्षी भी हैं । गणेश दत्त जोशी (अभि. सा. 8) जो मृतका का मौसा है ।

13. सभी उपलब्ध साक्ष्यों से पूर्णतया यह स्पष्ट है कि मृतका अभियुक्त मनोज नैनवाल के बीच संबंध यथावत् नहीं थे । तो भी दहेज की मांग की गई थी, घटना से तत्काल पूर्व दहेज की मांग के बारे में परेशानी और प्रताड़ना घटना हुई थी जिस बात को सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि इस बारे में साक्षी अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथन विभेदकारी हैं और विचारण न्यायालय द्वारा उनके कथनों का सही रूप से मूल्यांकन किया गया है ।

14. विवाह समारोह के समय पर तारीख 8 जून, 2014 को अभियुक्त मनोज नैनवाल की मौजूदगी को सिद्ध किया गया और उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अपने कथन में उस बात को स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त, यहां पर उपलब्ध सभी साक्ष्य से यह भी इंगित होता है कि अभियुक्त अपनी पत्नी अर्थात् मृतका और अपने पुत्र के साथ विवाह समारोह में पहुंचा था । दुल्हन के लिए "शगुन" देने के बारे में झगड़ा हुआ था जो सामान्य रीतिरिवाज है । पति अर्थात् अभियुक्त ने अपनी पत्नी का अपमान किया और उत्सव के बीच में उसे छोड़ कर वहां से चला गया ।

15. यद्यपि, दहेज की मांग को सिद्ध नहीं किया गया है तो भी यह सही है कि पति और पत्नी के बीच संबंध कड़वाहट से भरे हुए थे । उसने तारीख 8 जून, 2014 को विवाह समारोह में उसके समुदाय के मित्रों और नातेदारों के सामने मृतका को अपमानित किया जिस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है । यह सही है कि यद्यपि, उपलब्ध साक्ष्य से दंड संहिता की धारा 304ख का मामला इंगित नहीं होता है

और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के अधीन उपधारणा भी लागू नहीं होगी ।

16. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :-

> "113ख. **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा** - जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।
>
> **स्पष्टीकरण** - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में है ।"

17. यह सिद्ध नहीं किया गया है कि मृतका के मृत्यु से तत्काल पूर्व वह दहेज मांग के संबंध में क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन थी । इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा लागू नहीं होती है ।

18. उसी साक्ष्य पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन भी मामला नहीं बनता है ।

19. पूर्वोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज नैनवाल की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 306 तथा 498क के अधीन कायम रखते हैं क्योंकि हमारी यह राय है कि अपीलार्थी मनोज नैनवाल की ओर से किया गया कार्य की प्रकृति ऐसी थी जो क्रूरता की कोटि के अन्तर्गत है क्योंकि मृतका को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और जो तत्काल उसकी आत्महत्या का कारण बना । अपीलार्थी मनोज नैनवाल की ओर से किया गया कार्य "दुष्प्रेरण" की कोटि में आता है ।

20. अब केवल दंड का प्रश्न उद्भूत होता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 498क के अधीन 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने और साथ ही 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश

दिया गया । हम इस दंड को बनाए रखते हैं ।

21. दंड संहिता की धारा 498क का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :-

"498क. **किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** - जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।"

22. दंड संहिता की धारा 306, का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :-

"306. **आत्महत्या का दुष्प्रेरण** - यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

23. दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अधिकतम दंड 10 वर्ष का हो सकता है । इसमें न्यूनतम दंड विहित नहीं किया गया है । अपीलार्थी

को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । जहां तक दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंड का संबंध है, हमारी विचारित राय यह है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंड को उस दंड से कम किया जाता है जो दंड पहले ही भोग चुका है जो अपर्याप्त रूप में तीन वर्ष से अधिक है । कारण नीचे दिए गए हैं ।

24. दांडिक न्याय तंत्र का महत्वपूर्ण भाग दंडादेश है । दंडशास्त्रीय रूप में यह प्रकट है कि दंड देने का प्रयोजन निवारक और सुधार/संशुद्धि है । दंड देने वाले न्यायालय को सावधानीपूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए । खास तौर पर, उन सभी कारकों के प्रति सचेत रहना चाहिए जो गंभीर तथा कम करने वाली परिस्थितियों को प्रकट करता है । यद्यपि, **बच्चन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से मृत्यु दंड के प्रश्न पर विचार किया है, तो भी दंड के प्रश्न पर साधारणतया यह बात महत्वपूर्ण है । बच्चन सिंह मामले में यह कहा गया था जो इस प्रकार है :-

> "गंभीर और प्रशामक परिस्थितियों के बीच संतुलन रेखा खींची जानी चाहिए और ऐसा करते हुए प्रशामक परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प को प्रयोग किए जाने से पूर्व गंभीर कारक तथा प्रशामक परिस्थितियों के बीच संतुलन के प्रभाव को देखा जाना चाहिए ।"

25. **संगीत और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि जहां अपराध के संबंध में गंभीर परिस्थितियां, और अपराधी के संबंध में प्रशामक परिस्थितियां अपराध संबंधित हैं, तब दंड देने की कार्यवाहियों में अपराध तथा अपराधी दोनों का समान रूप से महत्व है ।

26. वास्तव में, वर्तमान मामले में कतिपय प्रशामक कारक जिस पर हमारी यह राय है जो हमारे विचार के योग्य है । अभियुक्त-

---

[1] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 898.

[2] (2013) 2 एस. सी. सी. 452 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 447.

अपीलार्थी मनोज नैनवाल के पक्ष में प्रशामक कारक हैं । जब मृतका ने जहर पिया था तब अभियुक्त-अपीलार्थी अपने साले के साथ अस्पताल पर गया था और अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया । यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मृतका 2 वर्ष के पुत्र को छोड़ गई थी । वर्तमान में जिसकी आयु 7 वर्ष है और न्यायालय में यह कथन किया गया कि वह अपने दादा अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी के पिता के साथ निवास करता है । उक्त बालक को अपने पिता से संरक्षण पाने और देखरेख की जरूरत है । अभियुक्त-अपीलार्थी कठोर प्रकृति का अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है । हमारे विचार से इन सभी बातों से प्रशामक परिस्थितियां पैदा होती हैं जिस पर हम अभियुक्त-अपीलार्थी के लिए दंड संहिता की धारा 306 के अधीन 7 वर्ष के दंड को पहले भोगे गए दंड में से घटाकर कम करते हैं । जुर्माना पहले की तरह ही रहेगा ।

27. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 2016 की दांडिक अपील सं. 378 भागत: मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 17 नवंबर, 2016 को पारित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी वर्तमान में जेल में है, उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा जब तक कि किसी अन्य मामले में वांछित न हो ।

28. ऊपर वर्णित कारणों से 2016 की दांडिक अपील सं. 410 और 2017 की सरकारी अपील सं. 52 जिसे पीड़िता और राज्य-प्रत्यर्थी द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज नैनवाल के दंड के निष्कर्ष को बदलने और बढ़ाने के लिए फाइल किया गया । उसे भी खारिज किया जाता है ।

29. इस आदेश के बारे में रजिस्ट्री के माध्यम से संबंधित जेल प्राधिकारियों को तत्काल सूचना भेजी जाती है ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

आर्य

(2019) 1 दा. नि. प. 763 कलकत्ता

सुखदेव मंडल और अन्य

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2003 की दांडिक अपील सं. 578)

तारीख 15 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति मोहम्मद मुमताज खान और न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क, 307 और 34 – क्रूरता और हत्या का प्रयत्न – सामान्य आशय – मामले में यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त व्यक्तियों, पति और ननद द्वारा पीड़िता के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी – यदि अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से घटना की रीति साबित हुई है और चिकित्सा रिपोर्ट से पीड़िता के शरीर पर सरसरी तौर पर 10 प्रतिशत दाह क्षतियां साबित हुई हैं तथा चिकित्सा अधिकारी ने यह राय व्यक्त की कि पीड़िता के शरीर पर लगाई गई आग अधिक समय तक रहती तो उसकी मृत्यु होना निश्चित था तो अभियुक्त-अपीलार्थी पति को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 498क, 307 और 34 – क्रूरता और हत्या का प्रयत्न – जहां अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा में यह कथन किया गया है कि पीड़िता को चाय बनाते समय दाह क्षतियां पहुंचीं जो बात विश्वसनीय नहीं है और पीड़िता के ननद के विरुद्ध अपराध में शामिल होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है वहां पर ननद को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी सं. 1 का अभि. सा. 2 के साथ विवाह किया गया था परंतु ऐसे विवाह के एक वर्ष पश्चात् अभि. सा. 2 के साथ उसके पति और ससुर तथा ननद अर्थात् अपीलार्थियों द्वारा क्रूरता बरती गई थी । अभि. सा. 2 ने ऐसी प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ होने पर वैवाहिक गृह छोड़ दिया था और अपने पिता के मकान पर रहना शुरू कर दिया था । अभि. सा. 1 ने मामले की रिपोर्ट पंचायत को दी और तब स्थानीय पंचायत द्वारा ग्राम में समझौता किया गया

था । समझौते के अनुसार अभि. सा. 1 ने तारीख 3 जून, 2000 को अभि. सा. 2 को उसके पति के घर भेजा था । तारीख 5 जून, 2000 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 1 को अपीलार्थी के नातेदार से यह सूचना मिली कि उस दिन लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 2 को आग लगा दी गई थी । ऐसी सूचना प्राप्त करने पर अभि. सा. 1 अपीलार्थियों के मकान पर गया और उसने देखा कि उसकी पुत्री जली हुई दशा में बरामदे में पड़ी हुई है । जब उसने अभि. सा. 2 से इस बारे में पूछताछ की तो उसने उसे बताया कि प्रात: लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न वह सफाई करने के लिए गोशाला पर गई हुई थी तब उसके पीछे से अचानक उसके पति और ननद ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । तब वह अपने पड़ोसी धुदु मंडल के मकान पर गई जिसने आग बुझाई थी । तब अभि. सा. 1 द्वारा स्थानीय पंचायत की मदद से अभि. सा. 2 को लाबपुर अस्पताल ले जाया गया था और उसे बुरी हालात में वहां पर भर्ती किया गया था । अभि. सा. 1 ने लिखित शिकायत (प्रदर्श-1) जिसे लाबपुर पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 14) के समक्ष अभि. सा. 9 द्वारा लिखा गया था, दर्ज की गई थी । उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभि. सा. 14 ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/307/326 के अधीन तारीख 5 जून, 2000 को लाबपुर पुलिस थाना मामला सं. 47/2000 में अन्वेषण प्रारंभ किया और उसके पश्चात् अन्वेषण पूरा करने के बाद दंड संहिता की धारा 498क/307/326 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । तारीख 29 जनवरी, 2002 को दंड संहिता की धारा 498क/307/34 के अधीन आरोप अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित किए गए थे और उन्होंने अपने अभिवचन में आरोपों पर दोषी नहीं होने का कथन किया । उसके बाद विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 14 साक्षियों की परीक्षा कराई तथा लिखित शिकायत, औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, सूचकांक के साथ कच्चा नक्शा, अभिग्रहण सूची, क्षति रिपोर्ट आदि को भी पेश किया और उन्हें साबित किया । अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में चार साक्षियों की परीक्षा भी कराई थी और विचारण को पूरा किए जाने के पश्चात् विद्वान्

विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय पारित किया । विद्वान् विचारण न्यायाधीश के दोषसिद्धि व दंडादेश के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा अपील फाइल की गई । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सही है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 पीड़िता के नातेदार हैं परंतु वे पीड़िता के माता-पिता, भाई और चाचा होने के कारण शपथ पर उनके द्वारा दिया गया विनिर्दिष्ट अभिकथन को हटाया नहीं जा सकता है तथा उन पर अविश्वास नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने अपीलार्थियों के ग्राम के किसी व्यक्ति की परीक्षा न करने का सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा आर. एम. पी. चिकित्सा प्रैक्टीसनर, अपीलार्थी सं. 1 के चाचा और अन्य दो ग्रामवासी की परीक्षा करके यह साबित करने की कोशिश की है कि पीड़िता का जलना दुर्घटनावश था जब वह चाय बना रही थी । उन सभी ने यह स्वीकार किया है कि उस सुसंगत तारीख को अभि. सा. 2 को आग पकड़ गई थी और उक्त आग को प्रतिरक्षा साक्षी 2 द्वारा अपने मकान पर बुझाया गया था जहां वह भागकर गई थी । प्रतिरक्षा साक्षी 1 का दावा कि पीड़िता ने उसे यह बताया था कि उसे चाय तैयार करते समय आग पकड़ गई थी, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने चिकित्सा कागजातों में या किसी अन्य जगह पर उस बात का उल्लेख नहीं किया है । इसलिए, यह प्रतीत होता है कि उसने अपने स्मरण के आधार पर यह कथन किया है जिसकी किसी डाक्टर से आशा नहीं की जाती है वह भी काफी लंबे समय के पश्चात् । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि प्रतिरक्षा साक्षी 2 द्वारा उसका उपचार नहीं किया गया था । अन्य प्रतिरक्षा साक्षियों का साक्ष्य यह है कि अभि. सा. 2 को चाय बनाते समय आग पकड़ गई थी और यह बात पीड़िता और अन्य अभियोजन साक्षियों और डाक्टर (अभि. सा. 13) जिसने उसी दिन 12.50 बजे पीड़िता का उपचार किया था, के कथनों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । उसने स्पष्ट रूप से यह

अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता ने उसे यह बताया था कि उसे उसके पति द्वारा आग लगाई गई थी । उस बात को प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस गणना पर चुनौती भी नहीं दी गई थी । इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी सं. 1 सुखदेव मंडल की दोषिता की ओर अचूक संकेत मिलता है कि उसकी पत्नी (अभि. सा. 2) वैवाहिक गृह में रहने के दौरान क्रूरता के अध्यधीन रही थी और तदुपरि उस पर आग लगाई गई थी जिससे उसके शरीर पर दाह क्षतियां कारित हुई जिस पर डाक्टर ने यह कहा है कि अगर कुछ अधिक समय तक वह दाह क्षतियों के अन्तर्गत रही थी तो यह उसके लिए बड़ा घातक होता । इसलिए, आशय से पीड़िता की हत्या करने का प्रकट कारण प्रकट होता है । अपीलार्थी सं. 3 द्वारा अपीलार्थी सं. 1 को अभि. सा. 2 के ऊपर हमला करने के लिए उकसाने की कहानी जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा अभिकथन किया गया है, उस बात की अन्य साक्षियों से संपुष्टि होना नहीं पाया गया है । पीड़िता के साथ क्रूरता बरतने या उसे आग लगाने के बारे में जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन किया गया है, उस बारे में अपीलार्थी सं. 3 के शामिल होने के बारे में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं है । विद्वान् निचले न्यायालय ने संपूर्ण परिस्थितियों को संज्ञान में लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दंड संहिता की धारा 498क/ 307/34 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अपीलार्थियों की दोषिता की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है । हम जहां तक अपीलार्थी सं. 1 का संबंध है उस बारे में विद्वान् निचले न्यायालय के पूर्वोक्त निष्कर्षों के बारे में कोई अनियमितता और या अवैधानिकता नहीं पाते हैं । परंतु अन्य अपीलार्थियों के शामिल होने के बारे में विद्वान् निचले न्यायालय के निष्कर्ष का जहां तक संबंध है उस पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध की दोषिता को अभिनिर्धारित करते हैं, न्यायसंगत कार्य नहीं किया था और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय पर हमारा हस्तक्षेप करना उस विषय पर अपेक्षित है । तद्नुसार हम अपीलार्थी सं. 1 सुखदेव मंडल के विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हैं और

अपीलार्थी सं. 3 सुमित्रा मंडल के विरुद्ध पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे जमानत और बंध पत्रों पर निर्मुक्त किया जाता है । (पैरा 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 578.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री सोविक मित्तर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री मधुसूदन सूर और एम. महाता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद मुमताज खान ने दिया ।

न्या. खान – यह अपील अपीलार्थियों द्वारा 2001 के सेशन मामला सं. 68 से उद्भूत 8 मार्च, 2002 को सेशन विचारण सं. में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सूरी जिला वीरभूम द्वारा पारित तारीख 6 नवंबर, 2003 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तथा तारीख 7 नवंबर, 2003 को पारित किए गए दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है । आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को दंड संहिता (इसमें इसके पश्चात् भा. दं. सं. कहा गया है) की धारा 498क/307/34 के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध के लिए अलग-अलग तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और अलग-अलग 3,000/- रुपए के जर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर तीन मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 307/34 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अलग-अलग 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और अलग-अलग 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर 5 मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा साथ ही यह निदेश दिया गया कि दोनों दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् दं. प्र. सं. कहा गया है) की धारा 428 के उपबंध के अनुसार मुजरा के प्रायिक निदेश के साथ-साथ चलेंगे ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है –

अभि. सा. 1 द्वारा अपीलार्थी सं. 1 का अभि. सा. 2 के साथ विवाह किया गया था परंतु ऐसे विवाह के एक वर्ष पश्चात् अभि. सा. 2 के साथ उसके पति और ससुर तथा ननद अर्थात् अपीलार्थियों द्वारा क्रूरता बरती गई थी । अभि. सा. 2 ने ऐसी प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ होने पर वैवाहिक गृह छोड़ दिया था और अपने पिता के मकान पर रहना शुरू कर दिया था । अभि. सा. 1 ने मामले की रिपोर्ट पंचायत को दी और तब स्थानीय पंचायत द्वारा ग्राम में समझौता किया गया था । समझौते के अनुसार अभि. सा. 1 ने तारीख 3 जून, 2000 को अभि. सा. 2 को उसके पति के घर भेजा था । तारीख 5 जून, 2000 को लगभग 8.00 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 1 को अपीलार्थी के नातेदार से यह सूचना मिली कि उस दिन लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न अभि. सा. 2 को आग लगा दी गई थी । ऐसी सूचना प्राप्त करने पर अभि. सा. 1 अपीलार्थियों के मकान पर गया और उसने देखा कि उसकी पुत्री जली हुई दशा में बरामदे में पड़ी हुई है । जब उसने अभि. सा. 2 से इस बारे में पूछताछ की तो उसने उसे बताया कि प्रात: लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न वह सफाई करने के लिए गोशाला पर गई हुई थी तब उसके पीछे से अचानक उसके पति और ननद ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । तब वह अपने पड़ोसी धुदु मंडल के मकान पर गई जिसने आग बुझाई थी । तब अभि. सा. 1 द्वारा स्थानीय पंचायत की मदद से अभि. सा. 2 को लाबपुर अस्पताल ले जाया गया था और उसे बुरी हालात में वहां पर भर्ती किया गया था । अभि. सा. 1 ने लिखित शिकायत (प्रदर्श-1) जिसे लाबपुर पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 14) के समक्ष अभि. सा. 9 द्वारा लिखा गया था, दर्ज की गई थी ।

3. उपरोक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभि. सा. 14 ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/307/326 के अधीन तारीख 5 जून, 2000 को लाबपुर पुलिस थाना मामला सं. 47/2000 में अन्वेषण प्रारंभ किया और उसके पश्चात् अन्वेषण पूरा करने के बाद दंड संहिता की धारा 498क/307/326 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप

पत्र प्रस्तुत किया ।

4. तारीख 29 जनवरी, 2002 को दंड संहिता की धारा 498क/307/34 के अधीन आरोप अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित किए गए थे और उन्होंने अपने अभिवचन में आरोपों पर दोषी नहीं होने का कथन किया । उसके बाद विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए 14 साक्षियों की परीक्षा कराई तथा लिखित शिकायत, औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, सूचकांक के साथ कच्चा नक्शा, अभिग्रहण सूची, क्षति रिपोर्ट आदि को भी पेश किया और उन्हें साबित किया । अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को पूरा करने के पश्चात् अपीलार्थियों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में चार साक्षियों की परीक्षा भी कराई थी और विचारण को पूरा किए जाने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय पारित किया ।

6. अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी सं. 2 मानिक मंडल की मृत्यु हो गई और इसलिए, अपील का उसके विरुद्ध उपशमन किया गया था ।

7. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री सोभिक मित्तर ने यह दलील दी है कि दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय और आदेश जहां तक अपीलार्थी सं. 3 सुमित्रा मंडल का संबंध है, कायम योग्य नहीं है क्योंकि अपराध को किए जाने में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं था यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उस बारे में अभिकथन किया गया था और न मिट्टी का तेल छिड़कने के बारे में कोई ऐसा प्रश्न तथा पीड़िता पर आग लगाने के संबंध में उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा में उन बातों को नहीं रखा गया था । दूसरी ओर अभिलेख के साक्ष्य से जिसमें डा. का साक्ष्य भी सम्मिलित है यह सुस्पष्ट है कि अभि. सा. 2 को चाय बनाते समय आग लगी थी ।

श्री मित्तर के अनुसार सम्पूर्ण अभिकथन केवल अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध है जो पहले ही दंड को भोग चुका है ।

8. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुसूदन स्वरूप ने यह दलील दी है कि पत्नी पर किसी किस्म का हमला करना और प्रताड़ित करने के लिए बराबर भद्दी भाषा का प्रयोग करने पर भी और दंड संहिता की धारा 498क के उपबंध उन पर लागू होते हैं । श्री सूर के अनुसार अपीलार्थी सं. 3 सुमित्रा मंडल द्वारा अपीलार्थी सं. 1 सुखदेव मंडल को उत्प्रेरित किया जाता था और इस बात की संपुष्टि खास तौर पर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से हुई है कि अभि. सा. 2, 3, और 5 जिन्होंने उसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया है । तथापि, उन्होंने ऋजुतापूर्वक यह निवेदन किया है कि सुमित्रा मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के उपबंधों को लागू करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है । श्री सूर के अनुसार जहां तक अपीलार्थी सं. 1 का संबंध है वह मुख्य अभियुक्त है तथा अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोपों को साबित करने में समर्थ रहा है ।

9. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों पर संपूर्ण रूप से विचार भी किया है तथा विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के औचित्य पर भी विचार किया है ।

10. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का संपूर्ण रूप से निर्धारण करने के पश्चात्, विशिष्ट रूप से कि पीड़िता का पिता अभि. सा. 1 और वास्तविक शिकायतकर्ता अभि. सा. 2, पीड़िता, पीड़िता की माता अभि. सा. 3, पीड़िता के चाचा अभि. सा. 4, पीड़िता का भाई अभि. सा. 5, डाक्टर अभि. सा. 13, अन्वेषक अधिकारी के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/307/34 के अधीन आरोपों को साबित करने में समर्थ हुआ है ।

11. दंड संहिता की धारा 498क में पति या पति के नातेदारों के लिए दंड का उपबंध किया गया है जो किसी महिला (स्त्री) की क्रूरता के संबंध में है । 'क्रूरता' शब्द को किसी स्वैच्छिक आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऐसी प्रकृति का है जिससे किसी स्त्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की संभावना हो या उसे गंभीर क्षति पहुंचाने या उसके जीवन भुजा या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने (चाहे स्त्री के मानसिक या शारीरिक रूप से हो) ।

12. अब हम एक-एक करके अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करेंगे ।

13. अभि. सा. 1 अभि. सा. 2 का पिता है जो इस मामले में शिकायतकर्ता है । उन्होंने तारीख 20 मार्च, 2002 को न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया । उन्होंने शपथ पर विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी पुत्री (अभि. सा. 2) का लगभग 2/1/2/3 वर्ष पहले अपीलार्थी सं. 1 से विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् उसने उसके मकान पर उसके साथ रहना प्रारंभ कर दिया था तथा वैवाहिक गृह में उसके रुकने के दौरान उसके दामाद अर्थात् अपीलार्थी सं. 1 ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर हमला किया । तब उसने पंचायत की बैठक बुलाई और उक्त पंचायत में मामले पर समझौता किया गया था और तब उसने अपनी पुत्री को उसके वैवाहिक गृह पर भेज दिया । इसके पश्चात् उसके दामाद ने उसकी पुत्री के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और उसे आग लगा दी । अपनी पुत्री के जलने का समाचार प्राप्त करने पर उसकी पत्नी अभि. सा. 3 और पुत्र अभि. सा. 5 उनके मकान पर गए परंतु उसका दामाद और उसका पिता मानिक मंडल ने पुत्री को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें इजाजत नहीं दी । तद्नुसार, वह प्रधान (अभि. सा. 11) के पास गया तथा उसके द्वारा हस्तक्षेप करने पर उसकी पुत्री को लाबपुर अस्पताल भेजा गया था जहां वह भर्ती रही थी तथा वहां पर 25/26 दिन रही । तब उसने लाबपुर पुलिस थाने में शिकायत (प्रदर्श-1) दर्ज की जिसे अभि. सा. 9 द्वारा लिखा गया था । उसने अपनी पुत्री की जली हुई साड़ी और ब्लाउज तथा चटाई प्रदर्श-1 की पहचान की । उससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु मुख्य परीक्षा में

किए गए उसके कथन के प्रतिकूल कोई बात प्रकट नहीं हुई है । दूसरी ओर, प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी पुत्री के विवाह के छह माह पश्चात् उसकी पुत्री पर अभियुक्त द्वारा हमला किया गया था तथा ऐसे दुर्व्यवहार के कारण दो अवसरों पर पंचायत भी बुलाई गई थी । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि पंचायत की बैठक होने के पश्चात् उसने दो दिन पूर्व अपनी पुत्री को ससुराल में भेजा था तब उसके पति द्वारा उसे आग लगा दी गई थी । उसने प्रतिरक्षा सुझाव से भी इनकार किया है कि उसकी पुत्री को चाय बनाते समय आग लगी थी । प्रतिरक्षा पक्ष उसकी विश्वसनीयता पर कलंक लगाने में विफल हुआ ।

14. अभि. सा. 2 अभि. सा. 1 की पुत्री है जो पीड़ित है । उसने 20 मार्च, 2002 को न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसका तीन वर्ष पूर्व विवाह हुआ था और विवाह के पश्चात् उसने वैवाहिक गृह में रहना प्रारंभ कर दिया था तथा उसने सियान अस्पताल पर मृत बच्चे को जन्म दिया था । अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात् वह अपने ससुरालियों के मकान पर लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व गई तथा अस्पताल से लौटने के तीन-चार दिन पश्चात् उसके पति ने सुमित्रा के भड़काने पर उस पर हमला किया था तथा पंचायत की बैठक होने के पश्चात् उसके चाचा और बड़ा भाई उसे वैवाहिक गृह पर लाए थे । बाडसवें ज्येष्ठ के ऊषाकाल के दो दिन पश्चात् अवसर पर दो दिन पश्चात् जब वह गोशाला की सफाई कर रही थी तब उस समय उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और लाइटर से उसे आग लगा दी । तब वह कुरसासुर के मकान की ओर दौड़ी और कुरसासुर ने उसके शरीर पर लगी हुई आग को बुझाया । इसके पश्चात् इसके माता-पिता और देवर दुखु मंडल ने उसके माता-पिता को यह बताया जिससे उसके पिता-माता को उक्त घटना के बारे में पता चला तथा उस पर उसका बड़ा भाई भी उनके साथ आया और उसने उन्हें उक्त घटना के बारे में बताया । तब उसके माता-पिता ने अस्पताल ले जाना चाहा परंतु उसके ससुर द्वारा उसे ले जाने की

इजाजत नहीं दी गई और पंचायत प्रधान के हस्तक्षेप के पश्चात् उसे उसके माता-पिता बड़े भाई और अन्य लोगों द्वारा 1/1.30 बजे अपराह्न लाबपुर अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार किया गया था । (उसने अपने अभिसाक्ष्य देने के दौरान न्यायालय के समक्ष अपनी क्षतियों को भी दिखाया था और विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने उसके बाईं भुजा के नीचे और उसके पीठ पर जले हुए घाव की ओर भी ध्यान दिया) । उसके जले हुए कपड़े जो उसने पहन रखे थे अर्थात् साड़ी और ब्लाउज को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था । अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात् वह अपने पिता के मकान पर गई और तब वह वहां पर निवास करने लगी । उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि बच्चे के जन्म से पूर्व उस पर उसके पति द्वारा उसके शरीर पर हमला नहीं किया गया था परंतु उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और उसने दरोगा बाबू को यह कथन किया कि जब वह अपने पति के मकान पर वापस लौटी तब उसके पति ने उसके ननद के उकसाने पर उस पर हमला किया था । उसने विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि गांव में पंचायत की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के पश्चात् वह वापस अपने पति के घर पहुंची परंतु दो दिन के पश्चात् आग लगाने की घटना हुई और 'कुरसासुर' द्वारा उसकी आग बुझाई गई थी और इस प्रकार, उपरोक्त बातों से यह सुस्पष्ट है कि उसके पति अर्थात् अपीलार्थी सं. 1 द्वारा वैवाहिक गृह में रहने के दौरान अर्थात् उसके साथ बरती गई क्रूरता के संबंध में साक्ष्य दिया गया है और दुर्व्यवहार के कारण गांव में पंचायत की बैठक भी बुलाई गई थी तथा उसके वैवाहिक गृह में लौटने के पश्चात् दो दिन के भीतर ही उसे आग लगा दी गई जो बात प्रतिपरीक्षा में विचलित नहीं हुई है तथा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था जिससे कि उसके साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके जो उसके पति द्वारा बरती गई क्रूरता और आग लगाने से संबंधित है ।

15. अभि. सा. 2 के उपरोक्त कथनों की अभि. सा. 3, अभि. सा. 4

और अभि. सा. 5 क्रमश: उसकी माता, चाचा और भाई द्वारा संपुष्टि की गई है । अभि. सा. 3 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री (अभि. सा. 2) ने विवाह के पश्चात्, अपने वैवाहिक गृह में अपने ससुरालियों के साथ रहना प्रारंभ कर दिया था परंतु उसके वहां रुकने के दौरान उस पर उनके द्वारा हमला किया गया था । उसकी पुत्री ने विवाह के पश्चात् एक वर्ष के भीतर मृत बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे को जन्म देने के पश्चात् उसे पति के मकान पर भेज दिया गया था परंतु उसके दामाद (अपीलार्थी सं. 1) ने भद्दी भाषा का प्रयोग करके उसे गालियां दीं तथा उस पर हमला भी किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि ऐसी प्रताड़ना के कारण उसकी पुत्री उनके मकान पर वापस पहुंची । पंचायत में समझौता किया गया था और इसके पश्चात् उन्होंने उसे वैवाहिक गृह भेजा था परंतु उसके पति द्वारा उससे पुन: क्रूरता बरती गई थी जिसके परिणामस्वरूप वह उनके मकान पर वापस लौट आई । इसके पश्चात्, उन्होंने पंचायत की सहायता ली और उसके पश्चात् उन्होंने उसकी पुत्री को वैवाहिक गृह भेज दिया था परंतु उसके वहां पहुंचने के दो दिन पश्चात् उसे पति द्वारा आग लगा दी गई थी । लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न घटना की सूचना प्राप्त करने पर वह और उसका पुत्र वहां गए और उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री बरामदे में पड़ी हुई है और उसे कोई उपचार नहीं दिया गया था । जब उन्होंने अपनी पुत्री से पूछताछ की तब उसने उन्हें बताया कि उसके पति ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपनी पुत्री को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया परंतु उसकी पुत्री के ससुर ने उन्हें इजाजत नहीं दी और तद्नुसार उसके पति ने पंचायत के प्रधान को सूचना दी और पंचायत के प्रधान द्वारा हस्तक्षेप करने पर उसे अस्पताल भेजा गया था जहां उसका उपचार किया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु उसका साक्ष्य अविचलित रहा तथा उसके मुख्य परीक्षा के कथन में कुछ भी प्रतिकूलता प्रकट नहीं हुई है ।

16. अभि. सा. 4 ने यह अभिसाक्ष्य दिया था कि विवाह के पश्चात् अभि. सा. 2 अपने वैवाहिक गृह पर गई थी और वहां पर वह अपने पति

द्वारा बरती गई क्रूरता के अध्यधीन रही थी और उसे अभि. सा. 2 द्वारा इस बात की जानकारी हुई जब वह अपने पिता के मकान पर वापस लौटी । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अभि. सा. 2 के चचेरे देवर ने अभि. सा. 2 के जलने के बारे में रिपोर्ट दी थी और तद्नुसार उसकी माता और बड़ा भाई पी. ओ. के पास गए थे और वह भी वहां गया था तथा उसने यह देखा कि अभि. सा. 2 बरामदे में दर्द से तड़प रही थी । तब वे प्रधान के पास गए और प्रधान के हस्तक्षेप होने पर ही अभि. सा. 2 को अस्पताल ले गए थे ।

17. अभि. सा. 5 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह भी अभिकथन किया है कि अभि. सा. 2 के वैवाहिक गृह में रुकने के दौरान उसके पति द्वारा गालियां दी गईं और उस पर हमला किया गया । इसके पश्चात् बैठक रखी गई थी और उसके पश्चात् उसे वैवाहिक गृह ले जाया गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 2 पुन: उनके मकान पर आई और उन्हें यह बताया कि उसके पति ने उस पर हमला किया और उसे गालियां दीं । उन्होंने पुन: पंचायत बुलाई और उसके पश्चात् अभि. सा. 2 को वैवाहिक गृह पर भेजा गया था और इसके पश्चात् उसकी बहिन को आग लगाकर जलाने की घटना घटी । इस समाचार को पाकर वह अपनी माता के साथ घटना के स्थान पर गया और उसने देखा कि जली हुई हालात में वह पड़ी हुई थी तथा अभि. सा. 2 से पूछताछ करने पर उसने उन्हें बताया कि उसके पति ने उसके शरीर पर आग लगाई है । उन्होंने पीड़िता को उपचार देने की कोशिश की परंतु उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी और केवल प्रधान के हस्तक्षेप के पश्चात् अभि. सा. 2 को अस्पताल ले जाया गया । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उससे प्रतिपरीक्षा भी की गई और उसका साक्ष्य भी अविचलित रहा ।

18. प्रधान (अभि. सा. 11) ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 5 जून, 2000 को वह अपीलार्थी सं. 1 के मकान पर गया था और उसने देखा कि अभि. सा. 2 जली हुई हालात में पड़ी हुई है और उसके हस्तक्षेप करने पर उसे अस्पताल भेजा गया था । उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि वहां बैठक रखी

गई थी और वह तथा उप प्रधान दोनों वहां मौजूद थे । उसके मध्यक्षेप करने पर पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था । इस बात की अभि. सा. 6 और अभि. सा. 10 से संपुष्टि हुई है ।

19. चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 13) लाबपुर बी. पी. एच. सी. पर नियुक्त था, उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि 5 जून, 2000 को लगभग 12.50 बजे उसने सुखदेव मंडल की पत्नी फैन्सी मंडल (अभि. सा. 2) की परीक्षा की और उन्होंने छाती के पीछे बाईं ओर सरसरी तौर पर जली हुई क्षतियां, बाएं कंधे के पीछे की ओर और बाईं भुजा के पीछे 10 प्रतिशत क्षतियां पाई थीं तथा रोगी ने उसे बताया कि उसके पति द्वारा प्रात: उस तारीख को उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी । उसने स्पष्ट रूप से यह भी कथन किया है कि यदि उक्त आग अधिक समय तक रहती तो इससे बहुधा यह संयोग बनता है कि ऐसे जलने के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती । इस प्रकार हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन साक्षियों के पूर्वोक्त कथनों की चिकित्सा रिपोर्ट से भी हुई है ।

20. यह सही है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 पीड़िता के नातेदार हैं परंतु वे पीड़िता के माता-पिता, भाई और चाचा होने के कारण शपथ पर उनके द्वारा दिया गया विनिर्दिष्ट अभिकथन को हटाया नहीं जा सकता है तथा उन पर अविश्वास नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी ने अपीलार्थियों के ग्राम के किसी व्यक्ति की परीक्षा न करने का सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा आर. एम. पी. चिकित्सा प्रैक्टीसनर, अपीलार्थी सं. 1 के चाचा और अन्य दो ग्रामवासी की परीक्षा करके यह साबित करने की कोशिश की है कि पीड़िता का जलना दुर्घटनावश था जब वह चाय बना रही थी । उन सभी ने यह स्वीकार किया है कि उस सुसंगत तारीख को अभि. सा. 2 को आग पकड़ गई थी और उक्त आग को प्रतिरक्षा साक्षी 2 द्वारा अपने मकान पर बुझाया गया था जहां वह भागकर गई थी । प्रतिरक्षा साक्षी 1 का दावा कि पीड़िता ने उसे यह बताया था कि उसे चाय तैयार करते समय आग

पकड़ गई थी, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने चिकित्सा कागजातों में या किसी अन्य जगह पर उस बात का उल्लेख नहीं किया है । इसलिए, यह प्रतीत होता है कि उसने अपने स्मरण के आधार पर यह कथन किया है जिसकी किसी डाक्टर से आशा नहीं की जाती है वह भी काफी लंबे समय के पश्चात् । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि प्रतिरक्षा साक्षी 2 द्वारा उसका उपचार नहीं किया गया था । अन्य प्रतिरक्षा साक्षियों का साक्ष्य यह है कि अभि. सा. 2 को चाय बनाते समय आग पकड़ गई थी और यह बात पीड़िता और अन्य अभियोजन साक्षियों और डाक्टर (अभि. सा. 13) जिसने उसी दिन 12.50 बजे पीड़िता का उपचार किया था, के कथनों को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है । उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता ने उसे यह बताया था कि उसे उसके पति द्वारा आग लगाई गई थी । उस बात को प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस गणना पर चुनौती भी नहीं दी गई थी ।

21. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी सं. 1 सुखदेव मंडल की दोषिता की ओर अचूक संकेत मिलता है कि उसकी पत्नी (अभि. सा. 2) वैवाहिक गृह में रहने के दौरान क्रूरता के अध्यधीन रही थी और तदुपरि उस पर आग लगाई गई थी जिससे उसके शरीर पर दाह क्षतियां कारित हुईं जिस पर डाक्टर ने यह कहा है कि अगर कुछ अधिक समय तक वह दाह क्षतियों के अन्तर्गत रही थी तो यह उसके लिए बड़ा घातक होता । इसलिए, आशय से पीड़िता की हत्या करने का प्रकट कारण प्रकट होता है । अपीलार्थी सं. 3 द्वारा अपीलार्थी सं. 1 को अभि. सा. 2 के ऊपर हमला करने के लिए उकसाने की कहानी जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा अभिकथन किया गया है, उस बात की अन्य साक्षियों से संपुष्टि होना नहीं पाया गया है । पीड़िता के साथ क्रूरता बरतने या उसे आग लगाने के बारे में जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन किया गया है, उस बारे में अपीलार्थी सं. 3 के शामिल होने के बारे में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं है । विद्वान् निचले न्यायालय ने संपूर्ण परिस्थितियों को संज्ञान में लिया है और अभिलेख पर उपलब्ध

साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दंड संहिता की धारा 498क/307/34 के अधीन अपराध किए जाने के लिए अपीलार्थियों की दोषिता की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करता है । हम जहां तक अपीलार्थी सं. 1 का संबंध है उस बारे में विद्वान् निचले न्यायालय के पूर्वोक्त निष्कर्षों के बारे में कोई अनियमितता और या अवैधानिकता नहीं पाते हैं । परंतु अन्य अपीलार्थियों के शामिल होने के बारे में विद्वान् निचले न्यायालय के निष्कर्ष का जहां तक संबंध है उस पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध की दोषिता को अभिनिर्धारित करते हैं, न्यायसंगत कार्य नहीं किया था और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय पर हमारा हस्तक्षेप करना उस विषय पर अपेक्षित है । तद्नुसार हम अपीलार्थी सं. 1 सुखदेव मंडल के विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि करते हैं और अपीलार्थी सं. 3 सुमित्रा मंडल के विरुद्ध पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं । उसे उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और उसे जमानत और बंध पत्रों पर निर्मुक्त किया जाता है ।

22. अत: अपील भागत: मंजूर की जाती है ।

23. निचले न्यायालय के अभिलेखों सहित इस निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को सूचना देने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए वापस भेजी जाती है ।

24. इस निर्णय की आवश्यक फोटोस्टेट अभिप्रमाणित प्रति यदि पक्षकारों द्वारा उसको लेने के लिए आवेदन किया जाता है तो इस बारे में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके उन्हें त्वरित प्रदान की जाए ।

25. मैं जय सेनगुप्ता न्यायमूर्ति से सहमत हूं ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

आर्य

(2019) 1 दा. नि. प. 779 कलकत्ता

हबीब मुस्तफा अहमद उर्फ फातिक

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 286)

तारीख 14 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति जॉयमालया बगची और न्यायमूर्ति मनोजीत मंडल

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 22(ग) [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114] – स्वापक पदार्थ होने का खंडन – प्रतिकूल निष्कर्ष – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे में एलप्राजोलम, स्वापक पदार्थ पाया गया – अभिगृहीत वस्तुओं पर लगाए गए लेबलों पर लिखत के बारे में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में भिन्नता – यदि नमूनों में लगाए गए लेबलों पर लिखत में छोटे मोटे विचलन हैं तो इससे अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है तथा अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य से घटनास्थल पर विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण किया जाना और उनका नमूना लिया जाना और उन्हें गोदाम में रखा जाना साबित हुआ है और गोदाम में रखे हुए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की मौखिक साक्ष्य से संपुष्टि हुई है तो अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 22(ग) – जहां विचारण के समय पर स्वतंत्र साक्षियों को समन भेजे गए और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी वहां पर स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न होने के कारण अभियोजन मामले के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अत: अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन जैसा कि अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथित किया गया है जो इस प्रभाव का है कि विशिष्ट बुद्धिमत्ता के साथ जिस बात को लिखा गया था, उसकी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई थी और आवश्यक प्रस्थान (गति) आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् एम. सी.

बी. अधिकारियों का समूह जो एन. सी. बी., ई. जेड. यू. कलकत्ता के साथ सम्मिलित थे । वे लोग तारीख 30 अक्तूबर, 2009 को लगभग 9.00 बजे बराकपोरे–तालिखोला पर घात लगाकर बैठ गए जो स्थान चकधा बोनगांव मुख्य सड़क पर स्थित है तथा पुलिस थाना गोपाल नगर, जिला 24 परगना, उत्तरी दिशा की ओर आता है । 1.45 बजे एक व्यक्ति बस से नीचे उतरा जो बोनगांव की ओर जा रहा था और लोकेनाथ हार्डवेयर और गिफ्ट सेंटर दुकान के नजदीक खड़ा हुआ और किसी व्यक्ति का इंतजार करने लगा । कुछ क्षणों के पश्चात् एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल से वहां पर पहुंचा जिस मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन सं. डब्ल्यू बी 20 जे 6484 है जो बोनगांव की ओर से आ रहा था और वह व्यक्ति जो बस से नीचे उतरा था उसने एक पारदर्शी पोलीथीन का पैकेट बाहर निकाला जिसमें पदार्थ के रूप में सफेद रंग का पाउडर था जिसे काले रंग के थैले से निकाला गया था और उसे मोटरसाइकिल वाले के पास सौंप दिया जिसने बहुरंगी नायलोन के थैले में पैकेट को रखा । एम. सी. बी. पदधारियों ने उक्त व्यक्तियों को घेर लिया और उन व्यक्तियों से पूछताछ करने पर जो बस से उतरा था उसने अपना नाम हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक बताया और मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम बप्पी दास **उर्फ** अमल दास बताया । एम. सी. बी. अधिकारियों ने उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि उनके कब्जे में एलप्राजोलम, स्वापक पदार्थ है । आगे पूछताछ करने पर हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक ने काले रंग का थैला उनको सौंपा जबकि बप्पी दास ने बहुरंगी नायलोन का थैला एम. सी. बी. पदधारियों को सौंपा था । अधिकारियों ने तलाशी के साक्षियों के रूप में दो स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया । पारदर्शी पोलीथीन पैकेट दोनों थैलों से बरामद किए गए थे । क्रमश: जिनमें पदार्थ के रूप में सफेद पाउडर था । उन दोनों ने अपने-अपने मोबाइल फोन 10,000/- रुपए नकद राशि उन अधिकारियों के सुपुर्द की थी । पैकेटों को अलग-अलग तोला गया था और प्रत्येक में 500 ग्राम सामग्री पाई गई थी और पैकेटों से ली गई थोड़ी मात्रा की फील्ड ड्रग डिक्टेशन किट की मदद से परीक्षा की गई थी और एलप्राजोलम स्वापक पदार्थ की परीक्षा सकारात्मक पाई गई थी । अपराधियों से घटनास्थल पर पूछताछ करने पर उन्होंने दोषी होना स्वीकार किया है । पदार्थ की भांति सफेद पाउडर एलप्राजोलम होने का विश्वास किया गया तथा दो मोबाइल फोन और 10,000/- रुपए

की नकद राशि को मोटरसाइकिल सहित अभिगृहीत किया गया था और अलग-अलग 5 ग्राम के दो नमूने लिए गए थे जो दोनों पैकेटों से अलग-अलग लिए गए थे और उन्हें मुहरबंद पोलीथीन थैलों में रखा गया था और बाकी विनिषिद्ध माल को अलग से मुहरबंद भी किया गया था और दो लिफाफों में उन्हें रखा गया था । अन्य मदों के अलग-अलग लिफाफे भी दो लिफाफों में रखे गए थे । मुहरबंद करके उन पर लेबल लगाया गया था । सभी मुहरबंद पैकेटों पर साक्षियों और अपीलार्थियों तथा जब्त करने वाले अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । स्वापक ओषधि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन मुस्तफा अहमद और बप्पी दास को नोटिस जारी किए गए थे । उन्हें पदधारियों के साथ एन. सी. बी. कार्यालय ले जाया गया था जहां उन्होंने उक्त पदधारियों के समक्ष अपने-अपने स्वैच्छिक कथन दिए । सह अभियुक्त अर्थात् संजीत विसवास के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जिसका नाम अपीलार्थियों के स्वैच्छिक कथन से प्रकट हुआ था । तारीख 10 दिसंबर, 2009 को रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में दोनों प्राप्त किए गए नमूनों में एलप्राजोलम की मौजूदगी को प्रकट किया है और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों और संजीव बिस्वास नामक व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चलाई थी । क्योंकि संजीव बिस्वास को पकड़ा नहीं जा सका था, इसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था तथा उसके विरुद्ध मामला फाइल किया गया था । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 22(ग) के अधीन आरोप अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित किए गए थे । विचारण के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों की परीक्षा की तथा कई दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले थे । अपीलार्थियों की ओर से यह प्रतिरक्षा दी गई कि वे पूर्णरूप से निर्दोष हैं और उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायाधीश ने तारीख 26 फरवरी, 2016 और 29 फरवरी, 2016 को निर्णय और आदेश पारित करके पूर्वोक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इसलिए, वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं । अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्य के प्रकाश में यह दलील दी गई कि वस्तुओं की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही

घटनास्थल पर नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है । निस्संदेह अभिगृहीत वस्तुओं पर लेबल लगाए जाने के बारे में देवु बनर्जी (अभि. सा. 3) और अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विभेद हैं जबकि अन्य अभियोजन साक्षियों ने यह दावा किया है कि अभि. सा. 3 ने घटनास्थल पर अपने स्वयं के हाथ से नमूनों पर लिखित में प्रविष्टि की, उक्त साक्षियों के बारे में घटनास्थल पर मौजूद होना प्रकट नहीं होता है । अभि. सा. 3 ने यह दावा किया है कि वह उस समय कार्यालय पर था जब अभियुक्त व्यक्तियों को अभिगृहीत वस्तुओं के साथ लाया गया था और उसे इस बात की जानकारी हुई थी कि पैकेटों में एलप्राजोलम रखा हुआ है । यद्यपि इस बारे में कुछ भ्रम हुआ कि किसने अभिगृहीत वस्तुओं तथा नमूनों पर लगाए गए लेबल में लिखित प्रविष्टि की । विनिषिद्ध माल को अभिगृहीत करने के बारे में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य और घटनास्थल पर उससे लिए गए नमूने का साक्ष्य अविचलित रहा है । साक्षियों के मौखिक साक्ष्य की अभि. सा. 6 द्वारा तैयार किए गए तलाशी और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 20) से संपुष्टि हुई है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2, 4 और 6 ने समान रूप से यह सिद्ध किया है कि अपीलार्थियों को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और दो पोलीथीन पैकेट जिनमें अलग-अलग 500 ग्राम भार का पदार्थ सफेद पाउडर के रूप में रखा हुआ था जिन्हें उनसे बरामद किया गया था । उक्त वस्तुओं को घटनास्थल पर अलग पोलीथीन पैकेटों में रखा हुआ था तथा उन्हें मुहरबंद किया गया था । प्रत्येक पैकेट से अलग-अलग 5 ग्राम के नमूने लिए गए थे । उन्हें अलग-अलग पोलीथीन पैकेटों में रखा गया था और उन्हें मुहरबंद किया गया था । अभियोजन पक्षकथन के इस भाग को अभि. सा. 2, 4 और 6 के साक्ष्य के माध्यम से पूर्णतया सिद्ध किया गया है तथा उस व्यक्ति के बारे में दिवभागीकरण जिन्होंने उक्त नमूनों के लेबल पर प्रविष्टि की । उस पर मेरी विचारित राय यह है कि अपीलार्थियों के कब्जे से बरामद किए गए विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण के बारे में कोई यथार्थ बात प्रकट नहीं होती है । न्यायालय अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल

द्वारा किए गए निवेदनों से प्रभावित नहीं है कि अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 20) से उपाबंध 1 और तुलाई चार्ट (प्रदर्श 21) जिन्हें अभि. सा. 6 द्वारा तैयार किया गया था । अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं से लिए गए नमूनों का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है । अभिग्रहण सूची प्रदर्श 20 को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए । अभिग्रहण सूची के भाग में अलग-अलग अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं में से दूसरे लिए गए नमूने के प्रति स्पष्ट निर्देश किया गया है और, इसलिए, उपाबंध 1 में ऐसे तथ्यों की गणना करने पर विफल होने पर मेरी यह राय है इससे अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है । यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 6 के गोदाम रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं हैं । अभि. सा. 4 ने यह दावा किया है कि अभिग्रहण करने वाले अधिकारी द्वारा नमूने रखे गए थे और उन्हें कार्यालय के मालखाना में नहीं रखा गया था । इस विषय पर भी मैं अपीलार्थी के निवेदनों से सहमत नहीं हूं । साक्षियों का साक्ष्य विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि एन. सी. बी. कार्यालय से लाई गई विनिषिद्ध वस्तुएं गोदाम मालखाने में रखी गई थीं और उस बारे में गोदाम रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं । अभि. सा. 2 ने गोदाम भारसाधक के रूप में रजिस्टर के पृष्ठ 93 और 94 में प्रविष्टि की । उक्त प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित सभी प्रतियों को प्रदर्श 8 के रूप में साबित किया गया है । अभि. सा. 6 ने अभि. सा. 2 के साक्ष्य की संपुष्टि की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मालखाने में विनिषिद्ध और अन्य वस्तुएं जमा कीं तथा मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर किया था । पूर्वोक्त मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए जिसकी शासकीय कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्यालय में रखे जाने के बारे में गोदाम रजिस्टर पर प्रविष्टियों से संपुष्टि हुई है । मेरा यह मत है कि अभिग्रहण सूची बनाते समय विनिषिद्ध वस्तुओं को अभिरक्षा में रखने और रसायनिक परीक्षक द्वारा कस्टम हाउस में उसकी परीक्षा किए जाने को सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया है । अभि. सा. 4 के साक्ष्य को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि उसके संदर्भ को देखा जाना चाहिए । उसने

प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वस्तुओं को कहां रखा गया था जो बात अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की जानकारी में थी । इसलिए, वस्तुओं को अभिगृहीत करने के पश्चात् उनकी अभिरक्षा के बारे में अभि. सा. 4 को सक्षम साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता । जिस बात को अभि. सा. 2 और 6 के अभिसाक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध किया गया है । शासकीय साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । नमूनों के लेबल पर लिखने के बारे में छोटे-मोटे विचलन, मामले के तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में प्रकट हुए जिसके विचलन से अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं के बारे में अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है । वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, दूसरी ओर स्वतंत्र साक्षियों को समन जारी हुए थे परंतु उनकी हाजिरी विचारण के दौरान सुनिश्चित नहीं की जा सकी । पूर्वोक्त तथ्यात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न करने के कारण अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में मैंने अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा है । (पैरा 10, 12, 15, 21 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 1 एस. सी. सी. 222 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 3751 : **कृष्ण चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	22
[2017]	2017 (8) स्केल 324 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 3859 : **नरेश कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	23

[2015] (2015) 6 एस. सी. सी. 674 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2488 :
कुलविंदर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 20

[2013] (2013) 6 एस. सी. सी. 595 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 3036 :
कश्मीरी लाल बनाम **हरियाणा राज्य** ; 20

[2013] (2013) 14 एस. सी. सी. 235 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2068 :
राम स्वरूप बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ; 20

[2013] (2013) 1 एस. सी. सी. 395 :
सुमीत तोमर बनाम **पंजाब राज्य** । 20

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 286.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री मनोजीत सिंह, अतराउल हक मौला और सतादू लहिरी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सन्जोय वर्धन पलास चन्द्र मांझी और श्रीमती प्रोनोती गोस्वामी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जॉयमालया बगची ने दिया ।

न्या. बगची – ये अपीलें 2009 के स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ मामला सं. एन-90 वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश एवम् न्यायाधीश विशेष न्यायालय, छठा न्यायालय, बारासात उत्तरी-24 परगना द्वारा स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन तारीख 26 फरवरी, 2016 और 29 फरवरी, 2016 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसमें अपीलार्थियों को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 22(ग) के अधीन दंडनीय अपराध पारित किए जाने

के लिए दोषसिद्ध किया गया और उन्हें अलग-अलग दस वर्ष के कठोर कारावास भोगने और अलग-अलग 1,00,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 5 माह के लिए साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया जिसे आक्षेपित किया गया है ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसा कि अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिकथित किया गया है जो इस प्रभाव का है कि विशिष्ट बुद्धिमत्ता के साथ जिस बात को लिखा गया था उसकी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई थी और आवश्यक प्रस्थान (गति) आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् एम. सी. बी. अधिकारियों का समूह जो एन. सी. बी., ई. जेड. यू. कलकत्ता के साथ सम्मिलित थे । वे लोग तारीख 30 अक्तूबर, 2009 को पूर्वाह्न लगभग 9.00 बजे बराकपोरे – तालिखोला पर घात लगाकर लौट गए जो स्थान चकधा बोनगांव मुख्य सड़क पर स्थित है तथा पुलिस थाना गोपाल नगर, जिला 24 परगना, उत्तरी दिशा की ओर आता है । अपराह्न 1.45 बजे एक व्यक्ति बस से नीचे उतरा जो बोनगांव की ओर जा रहा था और लोकेनाथ हार्डवेयर और गिफ्ट सेंटर दुकान के नजदीक खड़ा हुआ और किसी व्यक्ति का इंतजार करने लगा । कुछ क्षणों के पश्चात् एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल से वहां पर पहुंचा जिस मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन सं. डब्ल्यू बी 20 जे 6484 है जो बोनगांव की ओर से आ रहा था और वह व्यक्ति जो बस से नीचे उतरा था उसने एक पारदर्शी पोलीथीन का पैकेट बाहर निकाला जिसमें पदार्थ के रूप में सफेद रंग का पाउडर था जिसे काले रंग के थैले से निकाला गया था और उसे मोटरसाइकिल वाले के पास सौंप दिया जिसने बहुरंगी नायलोन के थैले में पैकेट को रखा । एम. सी. बी. पदधारियों ने उक्त व्यक्तियों को घेर लिया और व्यक्ति से पूछताछ करने पर जो बस से उतरा था उसने अपना नाम हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक बताया और मोटरसाइकिल चलाने वाले को अपना नाम बप्पी दास **उर्फ** अमल दास बताया । एम. सी. बी. अधिकारियों ने उन्हें यह सूचना दी कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि उनके कब्जे में एलप्राजोलम, स्वापक पदार्थ है । आगे पूछताछ करने पर हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक ने

काले रंग का थैला उनको सौंपा जबकि बप्पी दास ने बहुरंगी नायलोन का थैला एम. सी. बी. पदधारियों को सौंपा था । अधिकारियों ने तलाशी के साक्षियों के रूप में दो स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया । पारदर्शी पोलीथीन पैकेट दोनों थैलों से बरामद किए गए थे । क्रमश: जिनमें पदार्थ के रूप में सफेद पाउडर था । उन दोनों ने अपने-अपने मोबाइल फोन 10,000/- रुपए नकद राशि उन अधिकारियों के सुपुर्द की थी । पैकेटों को अलग-अलग तोला गया था और प्रत्येक में 500 ग्राम सामग्री पाई गई थी और पैकेटों से ली गई थोड़ी मात्रा की फील्ड ड्रग डिटेक्शन किट की मदद से परीक्षा की गई थी और एलप्राजोलम स्वापक पदार्थ की परीक्षा सकारात्मक पाई गई थी । अपराधियों से घटनास्थल पर पूछताछ करने पर उन्होंने दोषी होना स्वीकार किया है । पदार्थ की भांति सफेद पाउडर एलप्राजोलम होने का विश्वास किया गया तथा दो मोबाइल फोन और 10,000/- रुपए की नकद राशि को मोटरसाइकिल सहित अभिगृहीत किया गया था और अलग-अलग 5 ग्राम के दो नमूने लिए गए थे जो दोनों पैकेटों से अलग-अलग लिए गए थे और उन्हें मुहरबंद पोलीथीन थैलों में रखा गया था और बाकी विनिषिद्ध माल को अलग से मुहरबंद भी किया गया था और दो लिफाफों में उन्हें रखा गया था । अन्य मदों के अलग-अलग लिफाफे भी दो लिफाफों में रखे गए थे । मुहरबंद करके उन पर लेबल लगाया गया था । सभी मुहरबंद पैकेटों पर साक्षियों और अपीलार्थियों तथा जब्त करने वाले अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन मुस्तफा अहमद और बप्पी दास को नोटिस जारी किए गए थे । उन्हें पदधारियों के साथ एन. सी. बी. कार्यालय ले जाया गया था जहां उन्होंने उक्त पदधारियों के समक्ष अपने-अपने स्वैच्छिक कथन दिए । सह अभियुक्त अर्थात् संजीत बिस्वास के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जिसका नाम अपीलार्थियों के स्वैच्छिक कथन से प्रकट हुआ था । तारीख 10 दिसंबर, 2009 को रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट में दोनों प्राप्त किए गए नमूनों में एलप्राजोलम की मौजूदगी को प्रकट किया है और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों और संजीत बिस्वास नामक व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चलाई थी । क्योंकि संजीत बिस्वास को

पकड़ा नहीं जा सका था, इसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था तथा उसके विरुद्ध मामला फाइल किया गया था । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 22(ग) के अधीन आरोप अपीलार्थियों के विरुद्ध विरचित किए गए थे । विचारण के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों की परीक्षा की तथा कई दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले थे । अपीलार्थियों की ओर से यह प्रतिरक्षा दी गई कि वे पूर्णरूप से निर्दोष हैं और उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायाधीश ने तारीख 26 फरवरी, 2016 और 29 फरवरी, 2016 को निर्णय और आदेश पारित करके पूर्वोक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इसलिए, वर्तमान अपीलें फाइल की गई हैं ।

3. श्री मनोजीत सिंह, विद्वान् अधिवक्ता और श्री सताद्रू लहिरी विद्वान् अधिवक्ता जो अपीलार्थियों की ओर से हाजिर हुए और यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असमर्थ हुआ है । शासकीय साक्षियों के साक्ष्य का एक दूसरे से विचलन हुआ है जो अभिकथित विनिषिद्ध माल को अभिगृहीत करने, मुहरबंद करने और उस पर लेबल लगाने के बारे में विभेद हैं जबकि अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि विनिषिद्ध माल और नमूने अभिगृहीत किए गए थे और उन्हें मुहरबंद करके उन पर लेबल लगाए गए थे और यह कार्यवाही देवु बनर्जी (अभि. सा. 3) द्वारा घटनास्थल पर की गई है । इस बारे में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं होता है कि वह बाद में घटनास्थल पर मौजूद था । इसलिए, विनिषिद्ध माल की तलाशी लेने, अभिग्रहण करने के बारे में गंभीर संदेह है । यह भी दलील दी गई कि घटनास्थल पर विनिषिद्ध माल से नमूना लेने के प्रति कोई निर्देश नहीं है तथा इस बात को अभिग्रहण सूची या तुलाई चार्ट में भी नहीं दर्शाया गया है जो प्रदर्श 20 और 21 इस मामले में तैयार किया गया । रसायनिक परीक्षा से भेजे जाने से पूर्व नमूनों को अभिरक्षा में रखे जाने के बारे में कोई बात साबित नहीं की गई है । गोदाम रजिस्टर में अभि. सा. 6 के हस्ताक्षर नहीं है और अभि. सा. 4 ने यह दावा किया है कि अभिग्रहण करने वाले अधिकारी ने नमूनों को अपनी अभिरक्षा में

रखा था । नमूनों के भार के बारे में भिन्नता जो मामले में परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श में उल्लेख किया गया है जिससे अभियोजन पक्षकथन की प्रमाणिकता के बारे में संदेह पैदा होता है । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन कथन अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किए गए थे और वे विचारण के दौरान ऐसे कथनों से मुकर गए । बप्पी दास का कथन देबू बनर्जी द्वारा अभिलिखित किया गया था, जिसकी वर्तमान मामले में परीक्षा नहीं की गई है, जबकि इस रीति के बारे में संविवाद उत्पन्न हुआ है जिसमें हबीब मुस्तफा का कथन अभिलिखित किया गया था, स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई थी और शासकीय साक्षियों के वृत्तांतों में प्रकट विभेदों या दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी दोषमुक्ति के आदेश को पाने के हकदार हैं । उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में विभिन्न प्राधिकारियों को उत्तर दिया है ।

4. दूसरी ओर एन. सी. बी. की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को मामले में संदेह के परे सिद्ध किया गया है । उनके अभिसाक्ष्यों में छोटे-मोटे विचलन से अभियोजन पक्ष की अन्तर्निहित सच्चाई को घटाया नहीं जाता है । नमूनों के भार में थोड़ी बहुत बढ़ोत्तरी जैसा कि परीक्षा रिपोर्ट से प्रकट है जो विभिन्न कारणों नमी के समावेशन या त्रुटियुक्त तुलाई के कारण हो सकती है और इससे अभियोजन पक्षकथन पर कोई संदेह नहीं हो सकता है क्योंकि नमूनों पर संलग्न मुहरों में हेरफेर नहीं की गई है । गोदाम के रजिस्टर में अभिगृहीत विनिषिद्ध माल के बारे में प्रविष्टियों को प्रदर्श डालकर दिखाया गया है और नमूनों से विनिषिद्ध माल के अभिग्रहण और रसायन परीक्षक द्वारा उनकी परीक्षा के बीच अभिरक्षा की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है । स्वतंत्र साक्षियों को समन जारी किए गए थे परंतु वे पक्षद्रोही घोषित नहीं हुए थे इसलिए, अभियोजन पक्षकथन को स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न करने के कारण बाहर नहीं किया जाना चाहिए । स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन किए गए कथनों से पूर्ववर्ती

अवसर पर मुकरा नहीं गया था और विचारण के दौरान विलंब होने से संज्ञेय अपराध पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में पक्षकारों की परस्पर दलीलों की मेरे द्वारा परीक्षा की गई ।

6. अभि. सा. 2 (लक्ष्मीकांत दत्ता), अभि सा. 4 (शंकर दास सिन्हा), अभि. सा. 5 (आशुतोष पहाड़ी) और अभि. सा. 6 (संतोष कुमार चौधरी) छापामार दल के सदस्य थे ।

7. तारीख 30 अक्तूबर, 2009 को अभि. सा. 6 ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि विनिर्दिष्ट सूचना के आधार पर उसने एन. सी. बी. के अन्य अधिकारियों के साथ छापा डालने की कार्यवाही की । वे 9.00 बजे पूर्वाह्न कार्यालय से चले थे और गोपाल नगर पुलिस थाना तालिखोला पर घात लगाकर बैठे थे । लगभग अपराह्न 1.45 बजे एक व्यक्ति बस से उतरकर बोनगांव की ओर अग्रसर हुआ और घटनास्थल पर किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करने लगा । कुछ समय के पश्चात् एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बोनगांव की ओर से पहुंचा जिसका रजिस्ट्रेशन नं. डब्ल्यू बी 20 जे 6484 है । वह व्यक्ति जो बस से उतरा था । उसने मोटरसाइकिल से अपने हाथ में रखा हुआ काला थैला निकाला जिसमें से पोलीथीन पैकेट निकाल कर उसे सौंपा था जिसने अपने बहुरंगी नायलोन थैले में पैकेट को रखा । उन्होंने उन व्यक्तियों को घेर लिया जिन्होंने अपनी पहचान हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक और बप्पी दास **उर्फ** अमल दास के रूप में बताई । दो पारदर्शी पोलीथीन पैकेटों की तलाशी लेने पर जिनमें सफेद रंग का पदार्थ रखा हुआ था जो उक्त व्यक्तियों के थैले से बरामद किए गए थे । मोबाइल फोन और 10,000/- रुपए की नगदी और भारतीय करेंसी भी बरामद की गई थी । पाउडर की थोड़ी मात्रा की फील्ड ड्रग डिटेक्शन किट की मदद से परीक्षा की गई थी जिस पर एलप्राजोलम, स्वापक पदार्थ की मौजूदगी पाई गई थी । पैकेटों का अलग-अलग भार लिया गया था और प्रत्येक में 500 ग्राम पदार्थ पाया गया था और प्रत्येक पैकेट में से 5 ग्राम के दो नमूने लिए गए थे और इन्हें अलग-अलग पोलीथीन पैकेट में रखा गया था । चार पैकेट को मुहरबंद करके उन पर लेबल लगाए गए थे और उन पर

स्वतंत्र साक्षियों तथा अभियुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराए गए थे और बाकी पदार्थ को अलग पैकेट में भी रखा गया था जिन्हें मुहरबंद करके लेबल लगाकर हस्ताक्षर किए गए थे । उसके द्वारा घटनास्थल पर तलाशी एवम् अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी जो प्रदर्श 20 है । उसने तुलाई चार्ट प्रदर्श 21 भी तैयार किया । उसने छापा डालने के बारे में गतिविधि रजिस्टर प्रदर्श 23 को साबित किया है । अपीलार्थियों को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन नोटिस जारी किए गए थे और वे कलकत्ता में एन. सी. बी. कार्यालय पर छापामार दल के साथ चले थे । अपीलार्थियों के कथन एन. सी. बी. अधिकारियों के समक्ष अभिलिखित किए गए थे । अभिगृहीत वस्तुओं की प्रविष्टियां मालखाना रजिस्टर में की गई थीं । उसने रजिस्टर प्रदर्श 8/1 में अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं । अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के पश्चात् उन्हें गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श-22 के रूप में साबित किया गया था । अन्वेषण के दौरान नमूने मुहर प्रदर्श 19/1 के साथ एक रसायनिक परीक्षा के लिए कस्टम हाउस रसायनिक प्रयोगशाला भेजे गए थे ।

8. अभि. सा. 6 के साक्ष्य की अन्य अधिकारियों द्वारा संपुष्टि की गई है जो घटनास्थल पर मौजूद थे यानि अभि. सा. 2, 4 और 5 हैं । अभि. सा. 5 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए जिसमें यह अभिसाक्ष्य दिया कि मामला संख्या सहित नमूनों पर लगाए गए लेबल पर लिखत देबू बनर्जी अभि. सा. 3 के हाथ से लिखी गई हैं । पुरजोर यह भी दलील दी गई कि वस्तुओं की तलाशी, अभिग्रहण और उन पर लेबल लगाने की कार्यवाही घटनास्थल पर नहीं की गई थी ।

9. इस बारे में प्रतिरक्षा पक्ष ने देवु बनर्जी (अभि. सा. 3) के प्रति भी निर्देश दिया है जिन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह तारीख 30 अक्तूबर, 2009 की सायं में एन. सी. बी. के कार्यालय में था जब एन. सी. बी. पदधारियों द्वारा दो व्यक्तियों को कार्यालय में लाया गया था । 6-7 मुहरबंद पैकेट भी कार्यालय में लाए गए थे । पैकेटों पर लगाए गए लेबल के परिशीलन करने से उसकी जानकारी में यह आया कि पैकेटों में अलग-अलग 500 ग्राम एलप्राजोलम पाया गया था ।

10. अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त साक्ष्य के प्रकाश में यह दलील दी गई कि वस्तुओं की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही घटनास्थल पर नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है । निस्संदेह अभिगृहीत वस्तुओं पर लेबल लगाए जाने के बारे में देवु बनर्जी (अभि. सा. 3) और अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कुछ विभेद है जबकि अन्य अभियोजन साक्षियों ने यह दावा किया है कि अभि. सा. 3 ने घटनास्थल पर अपने स्वयं के हाथ से नमूनों पर लिखित में प्रविष्टि की, उक्त साक्षियों के बारे में घटनास्थल पर मौजूद होना प्रकट नहीं होता है । अभि. सा. 3 ने यह दावा किया है कि वह उस समय कार्यालय पर था जब अभियुक्त व्यक्तियों को अभिगृहीत वस्तुओं के साथ लाया गया था और उसे इस बात की जानकारी हुई थी कि पैकेटों में एलप्राजोलम रखा हुआ है । यद्यपि इस बारे में कुछ भ्रम हुआ कि किसने अभिगृहीत वस्तुओं तथा नमूनों पर लगाए गए लेबल में लिखित प्रविष्टि की । विनिषिद्ध माल को अभिगृहीत करने के बारे में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य और घटनास्थल पर उससे लिए गए नमूने का साक्ष्य अविचलित रहा है । साक्षियों के मौखिक साक्ष्य की अभि. सा. 6 द्वारा तैयार किए गए तलाशी और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 20) से संपुष्टि हुई है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2, 4 और 6 ने समान रूप से यह सिद्ध किया है कि अपीलार्थियों को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और दो पोलीथीन पैकेट जिनमें दूसरा अलग-अलग 500 ग्राम भार का पदार्थ सफेद पाउडर के रूप में रखा हुआ था जिन्हें उनसे बरामद किया गया था । उक्त वस्तुओं को घटनास्थल पर अलग पोलीथीन पैकेटों में रखा हुआ था तथा उन्हें मुहरबंद किया गया था । प्रत्येक पैकेट से अलग-अलग 5 ग्राम के नमूने लिए गए थे । उन्हें अलग-अलग पोलीथीन पैकेटों में रखा गया था और उन्हें मुहरबंद किया गया था । अभियोजन पक्षकथन के इस भाग को अभि. सा. 2, 4 और 6 के साक्ष्य के माध्यम से पूर्णतया सिद्ध किया गया है तथा उस व्यक्ति के बारे में द्विभागीकरण जिन्होंने उक्त नमूनों के लेबल पर प्रविष्टि की । उस पर मेरी विचारित राय यह है कि

अपीलार्थियों के कब्जे से बरामद किए गए विनिषिद्ध माल की तलाशी और अभिग्रहण के बारे में कोई यथार्थ बात प्रकट नहीं होती है ।

11. ऐसा कोई मामला नहीं है कि नमूनों पर लगाए गए मुहरों पर एन. सी. बी. कार्यालय पहुंचकर हेरफेर हुई थी । स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर कराने के पश्चात् यह संभव है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने घटनास्थल पर नमूने प्राप्त किए थे और अभि. सा. 3 द्वारा कार्यालय पर लेबलों में मामला संख्या और अन्य विशिष्टियों के बारे में प्रविष्टि भी की गई थी । मेरी राय में अपीलार्थियों से बरामद विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी का पता नहीं चला जैसा कि अभियोजन साक्षियों द्वारा दावा किया गया है ।

12. मैं अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों से प्रभावित नहीं हूं कि अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 20) से उपाबंध 1 और तुलाई चार्ट (प्रदर्श 21) जिन्हें अभि. सा. 6 द्वारा तैयार किया गया था । अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं से लिए गए नमूनों का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है । अभिग्रहण सूची प्रदर्श 20 को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए । अभिग्रहण सूची के भाग में अलग-अलग अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं में से दूसरे लिए गए नमूने के प्रति स्पष्ट निर्देश किया गया है और, इसलिए, उपाबंध 1 में ऐसे तथ्यों की गणना करने पर विफल होने पर मेरी यह राय है इससे अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है ।

13. इसलिए मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल पर अपीलार्थियों के कब्जे से अलग-अलग 500 ग्राम भार का पदार्थ सफेद पाउडर के रूप में बरामद किया गया था, साबित करने में युक्तियुक्त संदेह के परे समर्थ है ।

14. अभियोजन पक्ष ने विनिषिद्ध वस्तुओं की अभिरक्षा से संबंधित दूसरी चुनौती को साबित नहीं किया है ।

15. यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 6 के गोदाम रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं हैं । अभि. सा. 4 ने यह दावा किया है कि अभिग्रहण करने वाले अधिकारी द्वारा नमूने रखे गए थे और उन्हें कार्यालय के मालखाना में नहीं रखा गया था । इस विषय पर भी मैं अपीलार्थी के निवेदनों से सहमत नहीं हूं । साक्षियों का साक्ष्य विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि एन. सी. बी. कार्यालय से लाई गई विनिषिद्ध वस्तुएं गोदाम मालखाने में रखी गई थीं और उस बारे में गोदाम रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं । अभि. सा. 2 ने गोदाम भारसाधक के रूप में रजिस्टर के पृष्ठ 93 और 94 में प्रविष्टि की । उक्त प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित सभी प्रतियों को प्रदर्श 8 के रूप में साबित किया गया है । अभि. सा. 6 ने अभि. सा. 2 के साक्ष्य की संपुष्टि की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मालखाने में विनिषिद्ध और अन्य वस्तुएं जमा कीं तथा मालखाना रजिस्टर में हस्ताक्षर किया था । पूर्वोक्त मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए जिसकी शासकीय कारबार के साधारण अनुक्रम में कार्यालय में रखे जाने के बारे में गोदाम रजिस्टर पर प्रविष्टियों से संपुष्टि हुई है । मेरा यह मत है कि अभिग्रहण सूची बनाते समय विनिषिद्ध वस्तुओं को अभिरक्षा में रखने और रसायनिक परीक्षक द्वारा कस्टम हाउस में उसकी परीक्षा किए जाने को सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया है । अभि. सा. 4 के साक्ष्य को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए न कि उसके संदर्भ को देखा जाना चाहिए । उसने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे इस बात का पता नहीं था कि वस्तुओं को कहां रखा गया था जो बात अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की जानकारी में थी । इसलिए, वस्तुओं को अभिगृहीत करने के पश्चात् उनकी अभिरक्षा के बारे में अभि. सा. 4 को सक्षम साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता । जिस बात को अभि. सा. 2 और 6 के अभिसाक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध किया गया है ।

16. वर्तमान मामले में प्रदर्श 19 पर बिना आक्षेप किए रसायन परीक्षक रिपोर्ट साबित की गई है । यह भी दलील दी गई कि नमूनों के भार में कुछ विचलन है जैसा कि परीक्षा रिपोर्ट से परिलक्षित होता है ।

मैंने पूर्वोक्त आक्षेपों के प्रकाश में रिपोर्ट की परीक्षा की । नमूनों के भार में विचलन थोड़ा सा है । जबकि एक नमूने के भार में 5 ग्राम के बजाय 6.3 ग्राम का उल्लेख किया गया है और 5 ग्राम के बजाय कुल भार 5.18 ग्राम का उल्लेख किया गया है । नमूनों पर मुहर यथावत पाई गई है और उनका मुहर से मिलान किया गया है जिसे अभि. सा. 6 द्वारा रसायन परीक्षक के पास भेजा गया था ।

17. पूर्वोक्त तथ्यों के प्रकाश में और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नमूनों के भार थोड़ा परिवर्तन है जोकि नमी होने के कारण हो सकता है और उसके भार में अशुद्धि आ सकती है, मेरी यह राय है कि नमूनों के रखरखाव में लापरवाही नहीं बरती गई है जिससे उस पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे कि रसायन परीक्षक द्वारा दी गई राय अविश्वसनीय हो जाए ।

18. तथापि, मैं अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल से सहमत हूं कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के अधीन अपीलार्थियों के कथनों का अवलंब लेना असुरक्षित हो सकता है । अभिलेख पर यह साक्ष्य प्रकट हुआ है कि अपीलार्थियों को घटनास्थल पर निरुद्ध किया गया था और उस समय उन्हें एन. सी. बी. पदधारियों की अभिरक्षा में रखा गया था जब उसने उक्त कथन किया था । अपीलार्थियों की औपचारिक गिरफ्तारी को बाद के समय में दिखाया जाना हो सका है परंतु घटनास्थल पर अपीलार्थियों की गिरफ्तारी और एन. सी. बी. पदधारियों की अभिरक्षा में उनका निरुद्ध किया जाना सुस्पष्ट है । इसलिए, अपीलार्थी उस समय पर स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं थे जब उनके कथन तात्पर्यित रूप से अभिलिखित किए गए थे । अभि. सा. 2 ने यह दावा किया है कि हबीब मुस्तफा अहमद **उर्फ** फातिक के कथन उसकी मौजूदगी में अपीलार्थी द्वारा स्वयं अभिलिखित किया गया था । दूसरी ओर, अभि. सा. 6 ने ऐसे कथन के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है जिसे अभि. सा. 2 द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 5 ने यह दावा किया है कि बप्पी दास का कथन देबू भट्टाचार्या द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसकी परिस्थितियों को साबित करने के

लिए विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की गई जिसमें ऐसे कथन को अभिलिखित किया गया था । अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान अपने-अपने कथनों को वापस ले लिया गया और उन्होंने दावा किया कि उन्हें ऐसे कथन देने के लिए उन पर शारीरिक रूप से हमला किया गया तथा उनका अवपीड़न भी किया गया । पूर्वोक्त विभेदों या देबू भट्टाचार्या की परीक्षा न करने को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियां जिनमें तथाकथित स्वैच्छिक कथन अभिलिखित किए गए थे, उन्हें सिद्ध नहीं किया गया है । यह बात सुस्पष्ट है कि अपीलार्थी उस समय स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं थे जब ऐसे कथन अभिलिखित किए गए थे और उन्होंने शारीरिक रूप से हमला की बात और अवपीड़न की शिकायत को विचारण के दौरान अपने कथनों में वापस ले लिया । इसलिए, मेरी यह राय है कि यह अभिनिर्धारित करना असुरक्षित होगा कि अपीलार्थियों के उक्त कथनों की प्रकृति स्वैच्छिक है और श्रुतलेख या बल प्रयोग के आधार पर उपगत नहीं किया गया था जैसा कि अभिकथित है ।

19. अंततः, यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा नहीं की गई ।

20. यह घिसी-पिटी विधि है कि ऐसी दशा में शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को विश्वसनीय माना गया है, स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्षकथन को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है । इस बारे में दिया गया निर्देश **सुमीत तोमर** बनाम **पंजाब राज्य**[1] (जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था जब स्वतंत्र साक्षी समन जारी होने के बावजूद हाजिर नहीं हुए, तब अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता), **कुलविंदर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] (जहां न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षियों जिन्हें मित्र बना लिया गया, उनकी परीक्षा न होने पर राय व्यक्त की है जिनसे

---

[1] (2013) 1 एस. सी. सी. 395.

[2] (2015) 6 एस. सी. सी. 674 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2488.

अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होता है) और **राम स्वरूप** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[1] और **कश्मीरी लाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] (जहां न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न करना हमेशा घातक नहीं होता है) ।

21. शासकीय साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । नमूनों के लेबल पर लिखने के बारे में छोटे-मोटे विचलन, मामले के तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में प्रकट हुए जिससे विचलन से अपीलार्थियों से बरामद किए गए विनिषिद्ध वस्तुओं के बारे में अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई प्रभावित नहीं होती है । वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, दूसरी ओर स्वतंत्र साक्षियों को समन जारी हुए थे परंतु उनकी हाजिरी विचारण के दौरान सुनिश्चित नहीं की जा सकी । पूर्वोक्त तथ्यात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न करने के कारण अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

22. अपीलार्थियों की ओर से दी गई नजीरें जिनका अवलंब लिया गया, **कृष्ण चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले के अप्रासंगिक है । उक्त रिपोर्ट में शासकीय साक्षियों के वृत्तांत अत्यधिक संदेहपूर्ण पाए गए थे । इसलिए, अभियोजन पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया गया था । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में मैंने अपीलार्थियों से स्वापक पदार्थ की तलाशी और अभिग्रहण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जिसे शासकीय साक्षियों विशिष्ट रूप से अभि. सा. 2, 4 और 6 के माध्यम से पूरी तरह सिद्ध किया गया था । इसलिए, पूर्वोक्त रिपोर्ट इस मामले में लागू नहीं होती है ।

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 235 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2068.

[2] (2013) 6 एस. सी. सी. 595 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 3036.

[3] (2018) 1 एस. सी. सी. 222 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 3751.

23. **नरेश कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में स्वतंत्र साक्षियों ने किसी प्रकार भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था । वर्तमान मामले में स्वतंत्र साक्षी को समन भेजे जाने का प्रयास किया गया था परंतु उनकी हाजिरी सुनिश्चित नहीं की जा सकी । शासकीय साक्षियों के अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट रूप से युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित किया गया है । इसलिए, पूर्वोक्त नजीर उन तथ्यों पर विभेदकारी है ।

24. उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में मैंने अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखा है ।

25. तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है ।

26. अपीलार्थियों द्वारा अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा किया जाएगा ।

27. निचले न्यायालय के अभिलेख (एल. सी. आर.) के साथ निर्णय की प्रति तुरंत निचले न्यायालय को वापस भेजी जाती है ।

28. इस आदेश की अतिआवश्यक फोटो स्टेट अभिप्रमाणित प्रति यदि इसके लिए आवेदन किया गया है तो सभी आवश्यक विधि की औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात् अतिशीघ्र दी जाएगी ।

29. मैं न्यायमूर्ति मनोजीत मंडल से सहमत हूं ।

अपील खारिज की जाती है ।

आर्य

---

[1] 2017 (8) स्केल 324 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. सी. 3859.

(2019) 1 दा. नि. प. 799 गुवाहाटी

रौशनारा बेगम

बनाम

असम राज्य और एक अन्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 220)

तारीख 5 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति सांगखुपचुंग सेरटो और न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304, भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – पारिस्थितिक साक्ष्य – विष देकर मृत्यु कारित किया जाना – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी-पुत्रवधू ने दूध में विष का मिश्रण किया था – इस बारे में यह उपदर्शित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि विष किसने दूध में मिलाया – ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है कि अभियुक्त घर पर अकेली थी – अभियुक्त ने धमकी और अवपीड़न के कारण पुलिस व ग्रामवासियों के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी – विश्वसनीय मामला प्रकट न होना – अभियुक्त की दोषिता को इंगित करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है – अभियुक्त/अपीलार्थिनी दोषमुक्त होने की हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 27 फरवरी, 2003 को अभियुक्त/अपीलार्थिनी जो इत्तिलाकर्ता की पुत्रवधू है, उसने दूध में जहर मिश्रित किया जिसे उसके द्वारा उबाला गया था और डेढ़ वर्ष की बच्ची को जो उसकी भतीजी थी तथा ननद और एक अन्य महिला को उसे पिला दिया जो उनकी पड़ोसी थी जिस पर वे सभी दूध पीने के पश्चात् बीमार पड़ गए थे और अन्ततः उनकी मृत्यु हो गई । पीड़िता कोद भानु का पति, पड़ोसी जिसे भी दूध दिया गया था और उसकी दूध पीने के पश्चात् मृत्यु हो गई । उस मामलों पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 7) दर्ज की गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने बागबार पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 304 के अधीन 2003 का मामला सं. 30 दर्ज किया गया था तथा मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषण के दौरान

शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था और डाक्टर सुरेश शर्मा (अभि. सा. 12) ने शवों का शवपरीक्षण किया था । तथापि, शव-परीक्षा डाक्टर मृत्यु के कारण का अभिनिश्चय नहीं कर सका, और इस प्रकार, विसरा को सुरक्षित रखा गया था तथा उसे रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । विसरा की रसायनिक परीक्षा और दूध और उसके क्रीम के नमूने में ऑर्गनोफास्फोरस कीटनाशक पदार्थ पाया गया है । अन्वेषण से निष्कर्ष निकाल कर दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थिनी के विरुद्ध आरोप पत्र दिया गया था और परिणामस्वरूप उस पर विचारण प्रारंभ हुआ । विचारण के दौरान अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर पन्द्रह साक्षियों की परीक्षा की और आरोप को सिद्ध करने के लिए कई दस्तावेजों को साबित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करके अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया और दंड अधिनिर्णीत किया जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है । अपीलार्थी ने दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् विचारण न्यायालय इस बात से आश्वस्त है कि दूध को उबालना, और उसकी मलाई तैयार करके उसमें से अभियुक्त/अपीलार्थिनी द्वारा दूध नहीं दिया गया था परंतु अभि. सा. 1 द्वारा स्वयं दूध दिया गया था । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि दूध को उबालना या दूध को दिया जाना अतात्विक था और यह बात तात्विक है कि किसने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाया था । विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभि. सा. 1 अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के घर पर गई थी और अपीलार्थिनी के अलावा कोई व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था । स्वाभाविक रूप से अभियुक्त/अपीलार्थिनी के प्रति संदेह प्रकट होता है । परंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि अभिलेख पर कोई विधिक साक्ष्य नहीं था जिससे कि अभि. सा. 1 अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के मकान पर गई थी और 2/3 घंटे के पश्चात् वापस लौटी और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के

अधीन अभिलिखित पहले ही के कथन में प्रकट होती है जिस बात को अभि. सा. 1 पर अविश्वास करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया था कि वह अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के घर पर गई थी । अत: उस आधारवाक्य जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय का निष्कर्ष आधारित है, यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी अभि. सा. 1 के माता-पिता के घर से चले जाने के पश्चात् घर पर अकेली थी, यह बात गलत है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है और न ऐसे कथन करने वाले के विरोध को छोड़ कर जो प्रयोग में नहीं लिया जा सकता । अत:, प्रथम परिस्थिति जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अत्यधिक अवलंब लिया गया है । उस पर हमारा विचारित मत यह है जो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था, इस संदेह पर इस बात को प्रबल रूप से सबूत के स्थान पर नहीं लिया जा सकता । उपरोक्त परिस्थितियों के साथ जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है कि विद्वान् विचारण ने न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लिया है जिसके बारे में अपीलार्थिनी द्वारा ग्रामवासियों और पुलिस के समक्ष किया जाना अभिकथित है । हमने साक्ष्य की संवीक्षा कर यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 6, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने अपीलार्थिनी द्वारा ग्रामवासियों या पुलिस के समक्ष किए गए अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बताया है । अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के पश्चात् दोषी होने की संस्वीकृति दी है । अभि. सा. 4 जो गांव बूराह का है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे घटना के बारे में तब पता चला जब वह अगले प्रात: वहां गया था, अपीलार्थिनी ने उनके समक्ष संस्वीकृति दी परंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह घटना के स्थान पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ गया और उनसे पूछताछ की गई, अपीलार्थिनी ने दोषी होने के बारे में संस्वीकृति दी । अत:, अभि. सा. 4 के अनुसार भी तथाकथित संस्वीकृति अपीलार्थिनी द्वारा पुलिस के समक्ष की गई थी । तथापि, अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने प्रथमत:

घटना के स्थान पर एकत्रित ग्रामवासियों के समक्ष संस्वीकृति दी है और बाद में पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दी । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने सर्वप्रथम उनके समक्ष संस्वीकृति दी कि उसने दूध में जहर मिलाया था और पीड़ितों को उसे दिया था । तथापि, उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी प्रकट हुआ है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी । अभि. सा. 9 ने यह कथन किया है कि जब पुलिस पी. ओ. पर पहुंची तब अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दी । अभि. सा. 10 के अनुसार, जब पुलिस और लोगों ने अभियुक्त से पूछताछ की तब उसने प्रारंभ में कोई संस्वीकृति नहीं दी परंतु जब पुलिस ने उससे सच्चाई बोलने के लिए धमकाया तब उसने संस्वीकृति दी । सभी उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से जो कुछ भी हमने निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने पुलिस के समक्ष तथाकथित संस्वीकृति दी थी जहां ग्रामवासी भी मौजूद थे । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय जैसाकि आक्षेपित निर्णय में हमारे द्वारा निष्कर्ष निकाला गया उस पर दो भागों में संस्वीकृति को अलग-अलग किए जाने की कोशिश की गई जो एक तो ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी और दूसरा पुलिस के समक्ष की गई थी । विवेक में यह भी बात आती है कि साक्षियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर पूर्ण रूप से नहीं टुकड़े के रूप में विचार किया जाना चाहिए । यदि सभी अभियोजन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य जिन्होंने संस्वीकृति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है यदि उन्हें एक साथ लिया जाए तो उससे यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित संस्वीकृति का पुलिस और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से सार निकाला गया है । अतः, हमारा विचारित मत यह है कि संस्वीकृति को अलग-अलग करने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह उल्लेख करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी जो अवपीड़िन और धमकी के परिणामस्वरूप थी जैसाकि अभि. सा. 10 के परिसाक्ष्य से सिद्ध किया गया है । इसलिए, तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन पर विश्वास नहीं किया जाता है । संस्वीकृति की स्वीकारिता कि यह न्यायिक या न्यायिकेतर संस्वीकृति है, जो स्वैच्छिक और सच्चाई पर निर्भर करती है

जब तक संस्वीकृति के बारे में स्वेच्छया से दी गई और उसकी सच्चाई की परख करके समाधान नहीं निकलता है उस पर कार्य नहीं किया जा सकता । हमारा विचारित मत के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी जो धमकी और अवपीड़िन के अधीन थी । अतः, ऐसी संस्वीकृति पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 24/25 को दृष्टिगत करते हुए साक्ष्य के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार दूसरी परिस्थिति जिस का विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, किसी विधिक साक्ष्य पर आधारित भी नहीं है । अत: विधि की सुस्थापित स्थिति है कि जब आपराधिक आरोप पारिस्थितिक साक्ष्य पर एकमात्र रूप से आधारित हैं तब सभी परिस्थितियों को निश्चायक रूप से साबित किया जाना चाहिए और इस तरह साबित की गई परिस्थितियों से पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि इससे यह निष्कर्ष निकलता हो जो केवल संगत हों और अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के भी संगत हों । द्वितीय परिकल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या द्वितीय परिकल्पना से संभवत: यह निष्कर्ष निकलना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत हो सके । उसने ऊपर चर्चित साक्ष्य से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत और प्रतिरोध निष्कर्ष निकालने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला नहीं बननी चाहिए । यद्यपि, परिस्थितियां जिनका दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए अवलंब लिया गया था उन्हें निश्चायक और यथार्थ रूप से साबित नहीं किया गया था । अत: हम दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने में भी असमर्थ हैं । तद्नुसार हम अभियुक्त/अपीलार्थिनी की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं और अपील को मंजूर करते हैं । यदि अभियुक्त/अपीलार्थिनी जेल में है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो । (पैरा 10, 11, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1985] [1985] 1 उम. नि. प. 995 =
ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
शरद विरधी चंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 220.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. इस्लाम और सुश्री आर. बेगम

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एच. के. शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली ने दिया ।

न्या. अली – हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री बी. इस्लाम और राज्य/प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री एच. के. शर्मा को सुना ।

2. यह अपील 2012 के सेशन मामला सं. 81 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) बारपेटा द्वारा तारीख 6 जुलाई, 2015 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा आजीवन कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया तथा 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर प्रतिबन्ध शर्त के लिए दंड अधिरोपित किया ।

3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 27 फरवरी, 2003 को अभियुक्त/अपीलार्थिनी जो इत्तिलाकर्ता की पुत्रवधू है, उसने दूध में जहर मिश्रित किया जिसे उसके द्वारा उबाला गया था और डेढ़ वर्ष की बच्ची को जो उसकी भतीजी थी तथा ननद और एक अन्य महिला को उसे पिला दिया जो उनकी पड़ोसी थी जिस पर वे सभी दूध पीने के पश्चात् बीमार पड़ गए थे और अन्ततः उनकी मृत्यु हो गई । पड़ोस में रहने

वाली पीड़िता कोद भानु के पति, को भी दूध दिया गया था और उसकी दूध पीने के पश्चात् मृत्यु हो गई । उस मामलों पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 7) दर्ज की गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने बागबार पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 304 के अधीन 2003 का मामला सं. 30 दर्ज किया गया था तथा मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषण के दौरान शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था और डाक्टर सुरेश शर्मा (अभि. सा. 12) ने शवों का शवपरीक्षण किया था । तथापि, शव-परीक्षा डाक्टर मृत्यु के कारण का अभिनिश्चय नहीं कर सका, और इस प्रकार, विसरा को सुरक्षित रखा गया था तथा उसे रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । विसरा की रसायनिक परीक्षा और दूध और उसकी क्रीम के नमूने में ऑर्गनोफास्फोरस कीटनाशक पदार्थ पाया गया है ।

4. अन्वेषण से निष्कर्ष निकाल कर दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थिनी के विरुद्ध आरोप पत्र दिया गया था और परिणामस्वरूप, उस पर विचारण प्रारंभ हुआ ।

5. विचारण के दौरान अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर पन्द्रह साक्षियों की परीक्षा की और आरोप को सिद्ध करने के लिए कई दस्तावेजों को साबित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करके अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया और दंड अधिनिर्णीत किया जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि संदेह के परे मामले को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने दूध में जहर मिलाया था और इस प्रकार, अपीलार्थिनी की दोषसिद्धि और दंडादेश पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है ।

7. अभि. सा. 13 सामुन्द्र वैश्य वैज्ञानिक अधिकारी विष विज्ञान विभाग, न्यायालयिक प्रयोगशाला, असम काहिलीपारा का जिन्होंने रसायनिक परीक्षा की थी, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने एक

गिलास जार जिसमें 150 सी सी दूध रखा हुआ था, प्राप्त किया और एक गिलास में 1.50 ग्राम क्रीम रखा हुआ था । उसने यह भी कथन किया है कि उसमें 2 कंटेनर जिसमें विसरा रखा हुआ था, प्राप्त किया । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श 4, 5 और 6) से भी यह दर्शित होता है कि दूध/मलाई का नमूना और 2 विसरा की अभि. सा. 13 द्वारा परीक्षा की गई थी । प्रकटत: तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और तीनों व्यक्तियों के शरीर से विसरा लेकर उसको सुरक्षित रखा गया था जैसाकि डाक्टर के साक्ष्य से प्रकट है । हम इस बात को समझने में विफल हैं कि पीड़ितों में से एक का विसरा रसायनिक परीक्षा के लिए क्यों नहीं भेजा गया था । अत: जो बात अभि. सा. 12, 13 के उपरोक्त साक्ष्य से रहस्यपूर्ण बनी हुई है तथा प्रदर्श 4, 5 और 6 इस बारे में हैं जिसका विसरा रसायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अभि. सा. 13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने इस बारे में यह उल्लेख नहीं किया है कि नमूने में ऑर्गनोफास्फोरस कीटनाशक की कितनी मात्रा उसमें पाई गई थी या ऐसे कीटनाशक की कितनी प्रतिशत मात्रा से मृत्यु कारित हो सकती है । यह उल्लेख करना आश्चर्यजनक है कि शवपरीक्षण परीक्षा बहुत ही औपचारिक ढंग से की गई थी और डाक्टर ने प्रत्येक पीड़ित की शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार भी नहीं की । वस्तुत:, शव-परीक्षा डाक्टर (अभि. सा. 12) ने सभी तीनों पीड़ितों की सामान्य शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की । यह कहना व्यर्थ है कि डाक्टर द्वारा इस बारे में कोई अग्रिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी कि मृत्यु का कारण क्या रहा । इस पर यह तथ्य शेष रह जाता है कि तीन व्यक्तियों की दूध और क्रीम का उपभोग करने पर मृत्यु हुई थी तथा मृत्यु का तथ्य विवादित नहीं ।

8. प्रकटत: इस बारे में यह उपदर्शित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था कि किसने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाया था । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों का आवश्यक रूप से अवलंब लेकर अपीलार्थिनी की दोषसिद्धि को अभिलिखित किया और दंड अधिरोपित किया :-

(i) उस सुसंगत समय पर इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) दूध

देने के लिए अपने पिता के मकान पर गई थी और अभियुक्त/अपीलार्थिनी मकान में अकेली पाई गई थी ।

(ii) अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने ग्रामवासियों के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दी थी ।

9. हमने साक्ष्य की संपूर्ण रूप से संवीक्षा करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि पीड़िता की सास (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने दूध को उबाला था और तब पीड़ित में से एक सानीरा (अभि. सा. 1 की पुत्री) को उसे दिया था, तथा उसे कोद भानू (एक अन्य पीड़िता) को भी दिया था जो पड़ोसी थी और उसने डेढ़ वर्ष की बच्ची जो अभियुक्त/अपीलार्थिनी की भतीजी थी, को भी उसे पिलाया था । उसने अपने साक्ष्य में यह बताने की कोशिश की है कि अपीलार्थिनी ने सानीरा और बच्ची को उनकी अरुचि होने के बावजूद भी दूध पिलाया था । उसने यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने कोद भानू को दूध दिया । उसने दूध न पीने के बारे में कहा क्योंकि उसमें से मिट्टी तेल की दुर्गंध आ रही थी । उसने आगे यह भी कहा कि जब उसने दूध का सेवन किया तब आकाश अली ने यह बताया कि उसमें से दुर्गंध आ रही थी तब अभियुक्त कुछ चीनी और सरसों का तेल लाई तथा दूध की गंध को निष्प्रभावित करने के लिए दूध में उसे मिला दिया । तथापि, अभि. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में उस बात को बताया है कि उसने दूध को उबाला था और उसके द्वारा क्रीम भी तैयार किया गया था और उसने स्वयं पीड़ितों को कोद भानू और सानीरा को उसे दिया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अपने पूर्व के कथन में भी उस बात को कहा था कि अभि. सा. 1 ने स्वयं दूध की दुर्गंध को निष्प्रभावित करने के लिए सरसों का तेल और चीनी उसमें मिलाई थी । अत: अभि. सा. 1 का तात्विक तथ्यों पर अपने पूर्ववर्ती कथन से प्रकटत: विभेद प्रकट होता है जिसमें हमारी विचारित राय यह है जो उसका साक्ष्य विश्वास के अयोग्य

है । अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 सभी उसी कुटुंब के सदस्य रहे हैं जिन्होंने अपने-अपने साक्ष्य में यह बताने की कोशिश की है कि वह अपीलार्थिनी थी जिसने दूध को उबाला था और उसने क्रीम तैयार करने पर दूध निकाला और उसे पीड़ितों को दिया । हमने अभि. सा. 3 के साक्ष्य में यह भी पाया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह भी कथन किया है कि वह अभि. सा. 1 है जिसने पीड़ितों को दूध दिया था । अत:, अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 का साक्ष्य कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने दूध को उबाला था और उसमें से क्रीम तैयार किया गया था और उसे पीड़ितों को दिया गया था जिस बात पर मुश्किल से विश्वास किया जाता है । तथापि, साक्ष्य में यह भी है कि अपीलार्थी ने डेढ़ साल की बच्ची जो उसकी भतीजी है, उसे भी दूध पिलाया था । यह भी सुस्पष्ट है कि अभि. सा. 1 ने स्वयं दूध को उबाला था और दूध की मलाई तैयार की थी जिसमें से दूध अपनी पुत्री और कोद भानू, पड़ोसी को दिया था । अपीलार्थिनी द्वारा बच्चे को दूध पिलाना पूर्ण रूप से नैसर्गिक प्रकट होता है । यद्यपि, अभि. सा. 3 ने यह बताने की कोशिश की है कि अभियुक्त ने बलपूर्वक बच्चे को दूध पिलाया और बलपूर्वक दूध पिलाने के बारे में पुलिस के समक्ष कोई कथन नहीं किया गया था और ऐसा कथन न्यायालय में प्रथम बार दिया गया जिससे बढ़ा-चढ़ाकर बात करना प्रतीत होता है ।

10. विद्वान् विचारण न्यायालय इस बात से आश्वस्त है कि दूध को उबालना, और उसकी मलाई तैयार करके उसमें से अभियुक्त/ अपीलार्थिनी द्वारा दूध नहीं दिया गया था परंतु अभि. सा. 1 द्वारा स्वयं दूध दिया गया था । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि दूध को उबालना या दूध को दिया जाना अतात्विक था और जो बात तात्विक है, यह है कि किसने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाया था । विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभि. सा. 1 अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के घर पर गई थी और अपीलार्थिनी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था । स्वाभाविक रूप से अभियुक्त/

अपीलार्थिनी के प्रति संदेह प्रकट होता है । परंतु यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि अभिलेख पर कोई विधिक साक्ष्य नहीं था जिससे कि अभि. सा. 1 अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के मकान पर गई थी और 2/3 घंटे के पश्चात् वापस लौटी और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित पहले ही के कथन में प्रकट होती है जिस बात को अभि. सा. 1 पर अविश्वास करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया था कि वह अपने पिता को दूध देने के लिए अपने माता-पिता के घर पर गई थी । अत: उस आधारवाक्य जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय का निष्कर्ष आधारित है, यह है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी अभि. सा. 1 के अपने माता-पिता के घर से चले जाने के पश्चात्, घर पर अकेली थी, यह बात गलत है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है और न ऐसे कथन करने वाले के विरोध को छोड़ कर जो प्रयोग में नहीं लिया जा सकता । अत:, प्रथम परिस्थिति जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अत्यधिक अवलंब लिया गया है । उस पर हमारा विचारित मत यह है जो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था, इस संदेह पर इस बात को प्रबल रूप से सबूत के स्थान पर नहीं लिया जा सकता ।

11. उपरोक्त परिस्थितियों के साथ जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है कि विद्वान् विचारण ने न्यायिकेतर संस्वीकृति का अवलंब लिया है जिसके बारे में अपीलार्थिनी द्वारा ग्रामवासियों और पुलिस के समक्ष किया जाना अभिकथित है । हमने साक्ष्य की संवीक्षा कर यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 3, अभि. सा. 4, अभि. सा. 6, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 12 ने अपीलार्थिनी द्वारा ग्रामवासियों या पुलिस के समक्ष किए गए अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति के बारे में बताया है । अभि. सा. 3 के अनुसार अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के पश्चात् दोषी होने की संस्वीकृति दी है । अभि. सा. 4 जो गांव बूराह का है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे घटना के बारे में तब पता चला जब वह अगले प्रात: वहां गया था,

अपीलार्थिनी ने उनके समक्ष संस्वीकृति दी परंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह घटना के स्थान पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ गया और उनसे पूछताछ की गई, अपीलार्थिनी ने दोषी होने के बारे में संस्वीकृति दी । अतः, अभि. सा. 4 के अनुसार भी तथाकथित संस्वीकृति अपीलार्थिनी द्वारा पुलिस के समक्ष की गई थी । तथापि, अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने प्रथमतः घटना के स्थान पर एकत्रित ग्रामवासियों के समक्ष संस्वीकृति दी है और बाद में पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दी । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने सर्वप्रथम उनके समक्ष संस्वीकृति दी कि उसने दूध में जहर मिलाया था और पीड़ितों को उसे दिया था । तथापि, उसकी प्रतिपरीक्षा से यह भी प्रकट हुआ है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी । अभि. सा. 9 ने यह कथन किया है कि जब पुलिस पी. ओ. पर पहुंची तब अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष संस्वीकृति दी । अभि. सा. 10 के अनुसार, जब पुलिस और लोगों ने अभियुक्त से पूछताछ की तब उसने प्रारंभ में कोई संस्वीकृति नहीं दी परंतु जब पुलिस ने उससे सच्चाई बोलने के लिए धमकाया तब उसने संस्वीकृति दी । सभी उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से जो कुछ भी हमने निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त/अपीलार्थिनी ने पुलिस के समक्ष तथाकथित संस्वीकृति दी थी जहां ग्रामवासी भी मौजूद थे । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायालय जैसाकि आक्षेपित निर्णय में हमारे द्वारा निष्कर्ष निकाला गया उस पर दो भागों में संस्वीकृति को अलग-अलग किए जाने की कोशिश की गई जो एक तो ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी और दूसरा पुलिस के समक्ष की गई थी । विवेक में यह भी बात आती है कि साक्षियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य पर पूर्ण रूप से नहीं टुकड़े के रूप में विचार किया जाना चाहिए । यदि सभी अभियोजन साक्षियों का मौखिक परिसाक्ष्य जिन्होंने संस्वीकृति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है यदि उन्हें एक साथ लिया जाए तो उससे यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित संस्वीकृति का पुलिस और लोगों द्वारा संयुक्त रूप से सार निकाला गया है । अतः, हमारा विचारित मत यह है कि संस्वीकृति को अलग-अलग करने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह उल्लेख करना

अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी जो अवपीड़िन और धमकी के परिणामस्वरूप थी जैसाकि अभि. सा. 10 के परिसाक्ष्य से सिद्ध किया गया है । इसलिए, तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति कथन पर विश्वास नहीं किया जाता है । संस्वीकृति की स्वीकारिता कि यह न्यायिक या न्यायिकेतर संस्वीकृति है, जो स्वैच्छिक और सच्चाई पर निर्भर करती है जब तक संस्वीकृति के बारे में स्वेच्छया से दी गई और उसकी सच्चाई की परख करके समाधान नहीं निकलता है उस पर कार्य नहीं किया जा सकता । हमारा विचारित मत के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि तथाकथित संस्वीकृति पुलिस और ग्रामवासियों के समक्ष की गई थी जो धमकी और अवपीड़िन के अधीन थी । अतः, ऐसी संस्वीकृति पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 24/25 को दृष्टिगत करते हुए साक्ष्य के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार दूसरी परिस्थिति जिस का विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, किसी विधिक साक्ष्य पर आधारित भी नहीं है ।

12. **शरद विरधी चंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक आरोपों के सबूत के संबंध में निम्नलिखित स्वर्णिम सिद्धांत अभिलिखित किए हैं जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर एकमात्र रूप से आधारित हैं :–

> "152. इस विनिश्चय का बारीकी से विश्लेषण करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए जिनके बारे में पूर्ण रूप से साबित किया जाना कहा जा सकता है : (1) परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए । यहां पर यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह उपदर्शित किया है कि संबंधित परिस्थितियां 'होगी या होनी चाहिए', 'न कि हो सकता है' सिद्ध किया जाना चाहिए ।

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

ऐसा केवल अंक गणितीय रूप में नहीं है बल्कि साबित हो सकता है और साबित होगा या साबित होना चाहिए के बीच विधिक विभेद हैं जैसाकि शिवाजी सुब्बाराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2622 वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था । जहां निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां की गई थीं,

"निश्चित रूप से यह प्रारंभिक सिद्धांत है कि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दोषी होगा न केवल हो सकता है उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है और हो सकता है और होना चाहिए, के बीच मानसिक विभेद निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए व्यर्थ, अस्पष्ट अटकलबाजियों पर विभक्त हैं ।

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ।

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए, और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि सम्पूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

153. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं । ये पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत हैं ।"

13. अत: विधि की सुस्थापित स्थिति है कि जब आपराधिक आरोप पारिस्थितिक साक्ष्य पर एकमात्र रूप से आधारित हैं तब सभी

परिस्थितियों को निश्चायक रूप से साबित किया जाना चाहिए और इस तरह साबित की गई परिस्थितियों से पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि इससे यह निष्कर्ष निकलता हो जो केवल संगत हों और अभियुक्त की दोषिता के परिकल्पना के भी संगत हों । द्वितीय परिकल्पना के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या द्वितीय परिकल्पना से संभवत: यह निष्कर्ष निकलना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत हो सके ।

14. ऊपर चर्चित साक्ष्य से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत और प्रतिरोध निष्कर्ष निकालने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला नहीं बननी चाहिए । यद्यपि, परिस्थितियां जिनकी दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए अवलंब लिया गया था उन्हें निश्चायक और यथार्थ रूप से साबित नहीं किया गया था । अत: हम दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि को अभिलिखित करने में विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं और अभियुक्त पर दंड अधिरोपित करने में भी असमर्थ हैं । तद्नुसार हम अभियुक्त/अपीलार्थिनी की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं और अपील को मंजूर करते हैं । यदि अभियुक्त/अपीलार्थिनी जेल में है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा जब तक कि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो ।

15. तद्नुसार अपील का निपटारा किया जाता है ।

16. इस निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जाते हैं । इस निर्णय की प्रति जिला अधीक्षक, जेल बारापेटा को भी भेजी जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

सेरल मंडी

बनाम

झारखंड राज्य

[2014 की दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 753]

तारीख 8 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देओ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 304, भाग II – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अचानक झगड़े के दौरान आवेश की तीव्रता में मृतक के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया जाना – अभियुक्त को क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य करने पर असम्यक् फायदा नहीं दिया जाना – अचानक झगड़ा होने के कारण पूर्व चिन्तन के लिए कोई समय नहीं होना – प्रहार किए जाने की कोई पुनरावृत्ति नहीं की गई – इन परिस्थितियों में अभियुक्त-अपीलार्थी का हत्या करने का आशय नहीं हो सकता, अतः, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 304, भाग II में परिवर्तित किया जाना न्यायसंगत है ।

अभियोजन पक्ष ने मुख्यत: लाखन मंडी (अभि. सा. 3) के पुत्र के फर्दबयान के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की । तारीख 18 नवंबर, 2013 को अन्य बातों के साथ 2 बजे फर्दबयान अभिलिखित किया गया था जिसमें यह अभिकथन किया गया कि मामले में अभियुक्त सेरल मंडी और उसके पिता के बीच विवाद भूमि के संबंध में हुआ था । झगड़े के दौरान अभियुक्त ने पिता के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें क्षतियां पहुंची और उन क्षतियों से रक्त बहने लगा । दस मिनट पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त उस स्थान से भाग गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त मृतक का भतीजा है और पहले से ही उनके बीच भूमि संबंधी विवाद था । तद्नुसार, उसने समुचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया था । अन्वेषण के निष्कर्ष के आधार पर एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर संज्ञान लिया गया था और मामले को सेशन

न्यायालय के सुपुर्द किया गया था । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त के समक्ष उन्हें पढ़ा गया था । अभियुक्त ने घटना होने से इनकार किया तथा निर्दोष होने का अभिवाक् किया । सेशन न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया । दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इन तीनों अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि पक्षकारों के बीच अचानक झगड़ा होने के दौरान अभियुक्त द्वारा आवेश की तीव्रता में लकड़ी के डंडे से मृतक के सिर पर एक हमला किया गया था और अपराधी अभियुक्त को क्रूरता से या अप्रायिक रीति में किए गए कार्य का कोई असम्यक् फायदा नहीं मिलेगा । अचानक झगड़ा होने के कारण पूर्व चिंतन के लिए कोई समय नहीं था जो पक्षकारों के बीच झगड़े के दौरान प्रकट हुआ था । अपीलार्थी के बारे में हत्या करने का आशय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियुक्त ने मृतक के सिर पर या शरीर के किसी नाजुक भाग पर दोबारा कोई प्रहार नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में हमारी यह राय है कि मामले के तथ्यों के अनुसार दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन मामला बनता है । अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर और अपीलार्थी की ओर से दिए गए आधारों पर उत्सुकता से विचार करते हुए, हमारा यह समाधान है कि इस अपीलार्थी का मामला यहां पर हत्या के अपराध का अपवाद 4 के अन्तर्गत आता है जैसाकि दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित किया गया है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी विचारित राय यह है कि न्याय के हित की तभी पूर्ति होगी यदि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन 7 वर्ष का पर्याप्त दंड अधिरोपित किया जाए । (पैरा 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील (डी. बी.) सं. 753.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री महेश कुमार सिन्हा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विनय कुमार तिवारी, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर से विद्वान् सहायक लोक अभियोजक को सुना गया ।

2. 2014 के सेशन विचारण सं. 27 में विद्वान् जिला न्यायाधीश-I, घाटसिला द्वारा तारीख 13 अगस्त, 2014 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कठोर कारावास भोगने के साथ 2,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसके व्यतिक्रम करने पर 6 मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2-क. अभियोजन पक्ष ने मुख्यत: लाखन मंडी (अभि. सा. 3) के पुत्र के फर्दबयान के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की । तारीख 18 नवंबर, 2013 को अन्य बातों के साथ 2 बजे फर्दबयान अभिलिखित किया गया था जिसमें यह अभिकथन किया गया कि मामले में अभियुक्त सेरल मंडी और उसके पिता के बीच विवाद भूमि के संबंध में हुआ था । झगड़े के दौरान अभियुक्त ने पिता के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें क्षतियां पहुंची और उन क्षतियों से रक्त बहने लगा । दस मिनट पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त उस स्थान से भाग गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त मृतक का भतीजा है और पहले से ही उनके बीच भूमि संबंधी विवाद था । तद्नुसार, उसने समुचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया था ।

3. अन्वेषण के निष्कर्ष के आधार पर एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर संज्ञान लिया गया था और मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे और अभियुक्त के समक्ष उन्हें पढ़ा गया था । अभियुक्त ने घटना होने से इनकार किया

तथा निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 साक्षियों की परीक्षा कराई गई । अभि. सा. 1 सुमी मंडी है, अभि. सा. 2 लाखनचंद मंडी है, अभि. सा. 3 लाखन मंडी है, अभि. सा. 4 जितेन्द्र नाथ तुदु है, अभि. सा. 5 नवीन चन्द्र मंडी है, अभि. सा. 6 गोपाल हंसदा है, अभि. सा. 7 डाक्टर उपेन्द्र प्रसाद है, अभि. सा. 8 सोमाई मंडी है, अभि. सा. 9 रामचन्द्र मंडी है, अभि. सा. 10 शिवचरण हंसदा है और अभि. सा. 11 विश्वनाथ सिंह है जो मामले में अन्वेषक अधिकारी है । अभियोजन के साक्ष्य पर निष्कर्ष निकालते हुए तात्विक साक्ष्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के समक्ष रखा गया था । उसने घटना होने से इनकार किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर विचार किया और विधवा सुमी मंडी अभि. सा. 1 जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में है । अभि. सा. 3 इत्तिलाकर्ता, अभि. सा. 8 और 9 मृतक के पुत्र हैं । उनके बारे में यह कहा गया है कि उन्हें अपनी माता के माध्यम से घटना की जानकारी हुई थी । वे अनुश्रुत साक्षी हैं, यद्यपि वे अपराध के तत्काल पश्चात् घटना के स्थान पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने पिता के शव को देखा था जिनके सिर पर क्षति थी ।

5. अभि. सा. 7 चिकित्सा अधिकारी हैं जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया था और शवपरीक्षण रिपोर्ट को साबित किया । तारीख 19 नवंबर, 2013 को 1.15 बजे अपराह्न शवपरीक्षण किया गया था जिसमें केवल एक बाहरी क्षति मृतक के शरीर पर पाई गई थी अर्थात् खोपड़ी के अग्र रेखा के बाईं ओर 3 × 1/2 इंच का विदीर्ण घाव पाया गया था ; शव पर कोई दूसरी क्षति नहीं पाई गई थी । शव को विच्छेदित करने पर खोपड़ी के नीचे तानिका के अग्र अस्थि पर रक्त एकत्र हुआ था ; तानिका के नीचे संकुलित रक्त एकत्र हुआ था ; मस्तिष्क द्रव्य दबा हुआ था बाकी आंतरिक अंग-छाती, फेफड़े, हृदय, उदर, अमाशय यकृत वृक्क और आंतें सामान्य रूप में पाई गई थीं । डाक्टर की यह राय है कि ये क्षति प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थी जिसे कठोर और कुन्द पदार्थों द्वारा कारित किया गया था । मृत्यु का कारण

उक्त क्षति के कारण न्यूरोजेनिक रक्तस्राव और आघात था । मृतक की मृत्यु 20 से 24 घंटे के भीतर हुई थी ।

6. अन्वेषक अधिकारी विश्वनाथ सिंह की अभि. सा. 11 के रूप में परीक्षा की गई थी । अभि. सा. 2 एक अन्य अनुश्रुत साक्षी है जो घटनास्थल पर इस बारे में सुनने के पश्चात् पहुंचा था । मृतक की विधवा (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 2 के चाचा पर अर्थात् मृतक पर हमला करने के बारे में उसे बताया था । मृतक के सिर पर लकड़ी के डंडे से प्रहार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी । उसने पक्षकारों के बीच भूमि संबंधी विवाद होने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना 12.00 बजे पूर्वाह्न घटी और वह उस समय अपने घर के अंदर मौजूद थी और जब भूमि की नाप-जोख की जा रही थी जिसकी वजह से अभियुक्त और उसके मृतक पति के बीच झगड़ा हुआ था । उसने उन दोनों को अलग-अलग करके अपने पति को घर के अंदर ले जाने की कोशिश की, परंतु अभियुक्त ने अपने मकान से लकड़ी का डंडा उठा लिया जो भारी तथा पर्याप्त चौड़ा था और इसके पश्चात् उसने उसके पति के सिर पर हमला कर दिया था । परिणामस्वरूप, उनकी मृत्यु हो गई । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि पक्षकारों के बीच भूमि संबंधी विवाद था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि घटना का स्थान उसके मकान के समीप था और वह अपने मकान में मौजूद थी । अपराध के दौरान अभियुक्त की पुत्री भी मौजूद थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त उसके देवर का पुत्र है । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पति के सिर पर लकड़ी के डंडे से उसकी मौजूदगी में प्रहार किया गया था ।

7. विद्वान् न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया और हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध और हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधों के संघटकों पर चर्चा की तथा इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि अभियुक्त ने साशय क्षति कारित की जो प्रकृति के साधारण अनुक्रम में हत्या कारित करने के लिए पर्याप्त थी । अभि. सा. 1 मृतक की विधवा है जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है,

जिसने अभियोजन पक्षकथन का सम्यक् रूप से समर्थन किया है और अपने पति जिनकी उम्र 62 वर्ष थी, अभियुक्त ने एक भारी डंडा से, जिनके सिर पर हमला किया था और जिस बात की चिकित्सा अधिकारी की राय से भी संपुष्टि हुई है और जिस पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकृति के साधारण अनुक्रम में उससे मृत्यु कारित करना पर्याप्त था और मृत्यु का कारण आघात और न्यूरोजनिक रक्तस्राव था । अत: विद्वान् विचारण न्यायालय ने हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच सूक्ष्म विभेद पाया है और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त जगन मंडी की हत्या का दोषी है । क्षति शरीर के नाजुक भाग पर थी और प्रत्यक्ष और सम्पुष्ट साक्ष्य, दोनों से दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त की दोषिता प्रकट होती है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे आरोपों को साबित करने में समर्थ रहा था ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने खासतौर पर (मृतक की विधवा) अभि. सा. 1 और अन्य नातेदार साक्षियों के साक्ष्य की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया (अभि. सा. 3, 8 और 9) (मृतक के तीन पुत्र हैं) जो साक्षी हैं, उनके स्वयं के कथन के अनुसार क्योंकि वे घटना के पश्चात् घटना के स्थान पर पहुंचे थे, खासतौर पर विधवा का कथन जिस पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा विचार किया गया है, उसके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के बारे में संदेह पैदा करता है । उन्होंने इस ओर भी इंगित किया है कि अभि. सा. 1 ने अपने कथन के प्रथम पैरा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि वह घटना के समय पर अपने मकान में थी । तथापि, उसके पश्चात्वर्ती कथन में और प्रतिपरीक्षा में उसने अपने को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताने की कोशिश की जो घटना के समय पर मौजूद थी जो घटना उसके मकान के बाहर घटी थी । इस साक्षी के कथन का परिशीलन करने पर भी यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त और मृतक के बीच भूमि संबंधी विवाद पहले से ही विद्यमान था जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को झगड़े के रूप में परिवर्तित हुआ था । उन्होंने पैरा 10 पर अभि. सा. 1 कतिपय कथन के बारे में यह भी इंगित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि उसका कथन असंगत है ।

एक स्थान पर उसने यह कथन किया था कि वह मृतक के सामने खड़ी थी जबकि दूसरी ओर उसने यह कथन किया है कि वह उसके बगल में खड़ी थी । अभि. सा. 1 के कथन और चिकित्सा साक्षी अभि. सा. 1 के कथन से यह सुराग मिलता है जिस पर उन्होंने यह निवेदन किया है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषिता का निष्कर्ष जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचा गया है, विधि की दृष्टि में उचित नहीं है । अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए हमले की रीति के बारे में स्पष्टीकरण पर उपधारणा में इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अभियुक्त ने साशय मृतक की हत्या की क्योंकि अभियुक्त द्वारा मृतक के शरीर के सिरे वाले भाग पर या किसी अन्य नाजुक भागों पर दुबारा प्रहार नहीं किया गया था और कारित हुई क्षति बिना पूर्व चिंतन के उस क्षण उत्तेजना में हुई थी क्योंकि मामले में अचानक झगड़ा हुआ था । अभियुक्त ने कोई कार्य असम्यक् फायदा लेते हुए या क्रूरता या अप्रायिक रीति में नहीं किया था । अभियुक्त द्वारा झगड़े के प्रक्रम पर क्षति कारित करने में कोई ज्यादा समय नहीं लिया गया था और अभियुक्त के पास अपने को संयम में रखने के लिए कोई समय नहीं था और उसके पश्चात् मृतक पर घातक क्षति कारित की गई थी क्या मामले में मृतक की हत्या करने का कोई आशय रहा था जो बात मृतक के शरीर पर सिर और अन्य नाजुक भागों पर प्रहार की संख्या को प्रकट करता है । अभियोजन साक्षियों के कथन के अनुसार भी कि झगड़े का आधार भूमि विवाद था । मृतक द्वारा स्वैच्छिक रूप से अभियुक्त को कोई प्रकोपन नहीं दिया गया था जिससे कि वह उसकी हत्या करता या उसे क्षति पहुंचाता । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के महत्व पर भी, दोषसिद्धि हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए अभिलिखित नहीं की जा सकती । आजीवन कारावास के लिए कठोर दंड पूर्ण रूप से अत्यधिक है और अनापेक्षित है । इन निवेदनों के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है या अनुकल्पत: दोषसिद्धि को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी तक कम किया जा सकता है ।

9. राज्य की ओर से विद्वान् सहायक लोक अभियोजक ने प्रबल रूप से अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदनों का विरोध किया है । उन्होंने यह निवेदन किया कि अपराध के संघटकों को अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों के माध्यम से सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया है । घटना का समय, रीति और हेतु और मृतक पर कारित की गई क्षति की प्रकृति, सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे पर्याप्त रूप से साबित की गई है, खासतौर पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के माध्यम से जो मृतक की विधवा (अभि. सा. 1) है तथा चिकित्सा साक्षी अभि. सा. 7 के द्वारा भी इन बातों की संपुष्टि हुई है कि मृतक के शरीर के नाजुक भाग पर अर्थात् लकड़ी के भारी डंडे से एक प्रहार मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थी । मृतक की विधवा (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से अपने परिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त अपने मकान पर गया और वहां से एक डंडा लाया । अत: उसके पास हमला करने से पूर्व चिंतन करने का पर्याप्त समय था । अत:, यह मामला आवेश की तीव्रता वाला नहीं था क्योंकि पक्षकारों के बीच पूर्व से विद्यमान भूमि विवाद संबंधी झगड़ा चल रहा था । अभियोजन पक्ष ने अपराध के नैसर्गिक साक्ष्य के रूप में अभि. सा. 1 की घटनास्थल पर मौजूदगी के बारे में संदेह प्रकट करने के बारे में अपनी साम्यर्थता नहीं दिखाई है, घटना का स्थान इसके मकान के थोड़ा समीप था । यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त मृतक का भतीजा है और ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया जाए । चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा साबित की गई क्षति खोपड़ी के अग्र अस्थि पर 3 × 1/2 इंच की थी जिससे मस्तिष्क द्रव्य पर दबाव पड़ा था और हड्डी के नीचे तानिका से रक्त एकत्रित हुआ था । यह मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थी और इस क्षति से न्यूरोजेनिक रक्तस्राव आघात के कारण मृत्यु हुई थी । डाक्टर ने अभियुक्त द्वारा कारित की गई एक क्षति देखी थी । प्रतिरक्षा पक्ष प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने में पूरी तरह विफल हुआ है । फर्दबयान और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह बात साबित भी हुई थी । घटना घटने और मृतक के मृत्यु के दो

घंटे पश्चात् 2.00 बजे फर्दबयान दर्ज करने में समय नहीं बीता । अभियोजन साक्षी सं. 1 मृतक की विधवा है तथा अशिक्षित महिला है और उस रीति में कोई षड्यंत्र नहीं दिखाई देता है जिसमें उसने सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन के बारे में साक्ष्य दिया है । उसके पुत्र द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसे माता द्वारा घटना बताए जाने पर जानकारी हुई थी । इन सभी कथनों से अभियोजन साक्षियों के आचरण से स्वाभाविक प्रकृति परिलक्षित होती है जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय को अभिलेख पर सम्पूर्ण तात्विक साक्ष्य को विचार में लेने के पश्चात् दोषसिद्धि अधिरोपित करने में कोई संदेह पैदा नहीं हुआ है । अत: आक्षेपित निर्णय में अपील के प्रक्रम पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और न साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य का भी परिशीलन किया जिनका उनके द्वारा अवलंब लिया गया था । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या के आरोप के लिए दोषसिद्धि जैसाकि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा मृतक की विधवा अभि. सा. 1 के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य तथा अभि. सा. 7 का सम्पुष्ट साक्ष्य जिन्होंने शवपरीक्षण किया था, के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की गई है । शेष अभियोजन साक्षी खासतौर पर मृतक के तीन पुत्र जो अपराध के साक्षी नहीं थे और घटना के बारे में सुनने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे । घटना के तुरन्त पश्चात् पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी गई थी और तारीख 18 नवंबर, 2013 को घटना के दो घंटे पश्चात् 2 बजे फर्दबयान अभिलिखित किया गया था । हमने घटना के तात्विक साक्ष्य के साथ चिकित्सा अधिकारी अभि. सा. 7 के सम्पुष्ट साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है । मृतक की विधवा (अभि. सा. 1) का परिसाक्ष्य जिसकी मौजूदगी के बारे में घटना के स्थान पर होने के बारे में प्रतिपरीक्षा में अविश्वास नहीं किया गया है, इससे स्वत: यह दर्शित होता है कि अपराध घटने की रीति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शित करता है । उसने सम्यक् रूप से यह कथन किया है कि मृतक और उसके भतीजे, अभियुक्त के बीच भूमि संबंधी विवाद था और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को

भूमि की नाप-जोख करने के दौरान 12.00 बजे पूर्वाह्न झगड़ा हुआ था । झगड़े के समय वह मौजूद थी और उसने अभियुक्त से अपने पति को अलग करने की कोशिश की जो प्रकटत: झगड़े में शामिल रही थी और उस समय अभियुक्त बिना समय गुजारे अपने मकान से लकड़ी का डंडा लाया था और उसने मृतक के सिरे पर एक क्षति कारित कर दी जो मृत्यु का कारण बनी । अभि. सा. 1 का पति मृतक क्षति के कारण नीचे गिर गया और उसके शरीर से रक्त बहना प्रारंभ हो गया था तथा 10 मिनट के भीतर उसकी मृत्यु हो जाने का कथन किया गया है । अभि. सा. 1 ने अभियुक्त द्वारा मृतक पर कारित एक से अधिक क्षति के बारे में कोई भी प्राख्यान नहीं किया है । अभियुक्त मृतक के सिर केवल एक क्षति कारित करने के पश्चात् घटनास्थल से भाग गया था । पक्षकारों के बीच भूमि संबंधी विवाद विद्यमान था, जिस बात की अभि. सा. 3, इत्तिलाकर्ता और मृतक के दूसरे पुत्र अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य से सम्पुष्टि भी हुई है और अभि. सा. 7 चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट को साबित किया है जिसमें उन्होंने खोपड़ी के अग्र अस्थि पर 3 × 1/2 इंच का एक विदीर्ण घाव पाया था । सभी आंतरिक अंग, वक्ष, हृदय, फेफड़े, उदर, अमाशय, यकृत किडनी और आंतें सामान्य पाई गई थीं । मृत्यु कठोर और कुंद वस्तु से मृत्यु पूर्व क्षति के परिणामस्वरूप हुई थी जिससे न्यूरोजेनिक और रक्तस्राव आघात लगा था ।

11. इन तीनों अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि पक्षकारो के बीच अचानक झगड़ा होने के दौरान अभियुक्त द्वारा आवेश की तीव्रता में लकड़ी के डंडे से एक हमला किया गया था और अपराधी अभियुक्त को क्रूरता से या अप्रायिक रीति में किए गए कार्य का कोई असम्यक् फायदा नहीं मिलेगा । अचानक झगड़ा होने के कारण पूर्व चिंतन के लिए कोई समय नहीं था जो पक्षकारों के बीच झगड़े के दौरान प्रकट हुआ था । अपीलार्थी के बारे में हत्या करने का आशय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभियुक्त ने मृतक के सिर पर या शरीर के किसी नाजुक भाग पर दोबारा कोई प्रहार नहीं किया गया । इन परिस्थितियों में हमारी यह राय है कि मामले के तथ्यों के अनुसार दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अधीन मामला

बनता है । धारा 300 को उसके अपवादों के साथ पढ़ने पर इस प्रकार है :–

"धारा 300. **हत्या** – एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे ।

अपवाद 1 – आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे ।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न

हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो ।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो ।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो ।

स्पष्टीकरण – प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है ।

अपवाद 2 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो ।

अपवाद 3 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक् निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे ।

अपवाद 4 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए

बिना किया गया हो ।

स्पष्टीकरण – ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है ।

अपवाद 5 – आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए ।"

12. अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और अपीलार्थी की ओर से दिए गए आधारों पर उत्सुकता से विचार करते हुए, हमारा यह समाधान है कि इस अपीलार्थी का मामला यहां पर हत्या के अपराध का अपवाद 4 के अन्तर्गत आता है जैसाकि दंड संहिता की धारा 300 के अधीन परिभाषित किया गया है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी विचारित राय यह है कि न्याय के हित की तभी पूर्ति होगी यदि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अधीन 7 वर्ष का पर्याप्त दंड अधिरोपित किया जाए ।

13. इसमें ऊपर लेखबद्ध कारणों और तथ्यों और परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए हम दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं । तद्नुसार, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा आजीवन कठोर कारावास के दंड के आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है । भोगी गई अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजरा किया जाएगा ।

14. अपील भागत: मंजूर की गई ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

आर्य

विष्णु कान्त पंडित

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2014 की दांडिक प्रकीर्ण सं. 49013)

तारीख 12 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्ला

दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 204 – आदेशिका का जारी किया जाना – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड संहिता की धारा 498क, 323 और 379 के अधीन अपराधों का संज्ञान लेकर मामला उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया और साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशिका का जारी किया जाना न्यायसंगत और उचित है ।

याची का विवाह विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ तारीख 24 जुलाई, 2010 को समस्तीपुर के रजिस्ट्रीकरण विभाग के विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष हुआ । परिवाद में यह कथन है कि उसका विवाह संजय पंडित के साथ हुआ था जिसकी मृत्यु सात वर्ष पहले हो गई और जिनसे उसके पास तीन बच्चे हैं और यह कि याची ने विवाह का प्रस्ताव किया जिसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया और जिसके पश्चात् विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह सम्पन्न हुआ । विपक्षी पक्षकार सं. 2 का यह अभिकथन है कि इसके पश्चात् एक लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की गई जिसके कारण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः यह अभिकथित है कि तारीख 8 जनवरी, 2012 को याची सहित अभियुक्त बेगुसराय उसके घर आए और उस पर हमला किया । परिवाद मामला तारीख 10 जनवरी, 2012 को फाइल किया गया । याची ने बेगुसराय के विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद मामला सं. 74-सी/12 में तारीख 12 जुलाई, 2012 के उस आदेश को अभिखंडित करने के लिए है जिसके द्वारा और जिसके अधीन याची के विरुद्ध

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 379/34 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, के विरुद्ध अनुतोष के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन न्यायालय में आवेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि पक्षकारों के बीच विवाह संधार्यनीय न होने का लिया गया अभिवाक् इस कारण मात्र एक बहाना है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 के प्रथम पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह विधवा हो गई और इस प्रकार, विधवा होने के पूर्व जिससे उसका विवाह किया गया था, से दूसरा विवाह करने का कोई परिणाम नहीं होगा, बशर्ते यह प्रतिषिद्ध क्षेत्र में न आता हो । इस प्रकार, अन्यथा भी विपक्षी पक्षकार सं. 2 से याची का विवाह करने की अनुज्ञा न देने के संबंध में कोई आक्षेप न उठाए जाने के कारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसे आक्षेप का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, स्वयं याची के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों के अनुसार, ऐसा आधार विवाह-विच्छेद अर्जी में न उठाए जाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष उठाए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, और तो और जब ऐसा आधार अभिवचनों में भी नहीं लिया गया है । इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि याची एक अर्ह अभियन्ता होते हुए और वह भी विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष, विपक्षी पक्षकार सं. 2 से विवाह करने का सोच-समझकर विनिश्चय करना स्वयं इस तथ्य का परिचायक है कि याची द्वारा विपक्षी पक्षकार सं. 2 से विवाह करने का सोचा-समझा और स्वैच्छिक विनिश्चय था । याची बेरोजगार है और जब उसे नौकरी मिली, तो उसने दहेज की मांग और यातना करना आरम्भ किया । स्पष्टतः यह तथ्य ऐसा कारण प्रतीत होता है कि क्यों विवाह-विच्छेद मामला फाइल किया गया और विपक्षी पक्षकार सं. 2 को ससुराल से निकाल दिया गया । याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन कि विवाह-विच्छेद मामले में लिया गया मुख्य आधार ससुराल में विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा अधित्यजन था, मिथ्या है, जबकि आज विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची के साथ रहने को तैयार है और उसकी ओर से तर्क यह है कि वह उसे रखने को तैयार नहीं है । इस प्रकार, जब स्वयं विवाह-विच्छेद मामला इस

आधार पर था विपक्षी पक्षकार सं. 2 ससुराल में रहने को तैयार नहीं है और विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से न्यायालय के समक्ष लिया गया आधार यह है कि वह ससुराल में रहने को तैयार है और याची के विद्वान् काउंसेल अनुदेशों पर ऐसे प्रस्ताव से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, तो न्यायालय का निष्कर्ष है कि स्वयं विवाह-विच्छेद मामला दूरस्थ कारणों से फाइल किया गया था । इस मामले के गुणदोष पर विचार करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि न्यायालय के पास परिवाद और साक्षियों के कथन दोनों के आधार पर निचले न्यायालय के समक्ष सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध विचारण झेलने की आदेशिका जारी करने के साथ कार्यवाही आरम्भ करने हेतु पर्याप्त प्रतीत होती हैं । (पैरा 17, 18, 19 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] 2019 (1) पी. एल. जे. आर. 517 :
भोनू इदरीसी बनाम **बिहार राज्य** ; 5

[2016] 2016 (3) पी. एल. जे. आर. 258 = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 4998 (भाग) :
पद्म चन्द गर्ग बनाम **बिहार राज्य** ; 5

[2013] (2013) 2 एस. सी. सी. 435 :
उदय शंकर अवस्थी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 5

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 100 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286 :
वाई. अब्राहम अजित बनाम **पुलिस निरीक्षक** । 5

आरम्भिक (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण सं. 49013.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका ।

याची की ओर से श्री जयप्रकाश सिंह

विपक्षी पक्षकारों की ओर से सर्वश्री झारखंडी उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक, जियाउल होडा

आदेश

न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्ला – याची के विद्वान् काउंसेल, राज्य के विद्वान् सहायक लोक अभियोजक और विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

2. याची ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" कहा गया है) की धारा 482 के अधीन न्यायालय में आवेदन किया :–

> "यह याचिका बेगुसराय के विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद मामला सं. 74-सी/12 में तारीख 12 जुलाई, 2012 के उस आदेश को अभिखंडित करने के लिए है जिसके द्वारा और जिसके अधीन याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323, 379/34 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है ।"

3. विपक्षी पक्षकार सं. 2, जो याची की पत्नी थी, ने दहेज की मांग, यातना और हमले का भी अभिकथन करते हुए परिवाद मामला फाइल किया ।

4. याची का विवाह विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ तारीख 24 जुलाई, 2010 को समस्तीपुर के रजिस्ट्रीकरण विभाग के विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष हुआ । परिवाद में यह कथन है कि उसका विवाह संजय पंडित के साथ हुआ था जिसकी मृत्यु सात वर्ष पहले हो गई और जिनसे उसके पास तीन बच्चे हैं और यह कि याची ने विवाह का प्रस्ताव किया जिसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया और जिसके पश्चात् विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह सम्पन्न हुआ । विपक्षी पक्षकार सं. 2 का यह अभिकथन है कि इसके पश्चात् एक लाख रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की गई जिसके कारण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अंततः यह अभिकथित है कि तारीख 8 जनवरी, 2012 को याची सहित अभियुक्त बेगुसराय उसके घर आए और उस पर हमला किया । परिवाद मामला तारीख 10 जनवरी, 2012 को फाइल किया गया ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची के मामा की पत्नी है और इस प्रकार उनके बीच कोई विवाह नहीं हो सकता क्योंकि संबंध हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर आता है । यह निवेदन किया गया कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 ने याची और उसके कुटुम्ब के सदस्यों पर उसे रखने के लिए दबाव डालने के लिए ही मिथ्या अभिकथन किया । विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि याची ने पहले ही बेगुसराय के न्यायालय के समक्ष तारीख 8 सितम्बर, 2011 को 2011 का विवाह-विच्छेद मामला सं. 152 फाइल किया है और यह मामला उक्त मामले के जवाबी हमले के लिए है । यह निवेदन किया गया कि विवाह-विच्छेद की ईप्सा के लिए यह आधार लिया गया था कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची के ससुराल से चली गई थी और पहले ससुराल में रह रही थी । विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि संहिता की धारा 202(1) में यथाउपबंधित आदेशिका जारी करने के पूर्व निचले न्यायालय के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया । ऐसी प्रतिपादना के लिए विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **उदय शंकर अवस्थी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया । यह निवेदन किया गया कि बेगुसराय के मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के भीतर कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ और स्वयं निचले न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संधार्य नहीं है क्योंकि सभी अभिकथन समस्तीपुर से संबंधित हैं । ऐसी प्रतिपादना के लिए, विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **वाई. अब्राहम अजित** बनाम **पुलिस निरीक्षक**[2] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब लिया । उन्होंने आगे **भोनू इदरीसी** बनाम **बिहार राज्य**[3] और **पद्म चन्द गर्ग** बनाम **बिहार राज्य**[4] वाले मामलों के इस न्यायालय के समवर्ती न्यायपीठों के विनिश्चयों को निर्दिष्ट किया । विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अपराध सतत् अपराध न होने के कारण समस्तीपुर जिले से संबंधित अभिकथनों

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 435.

[2] (2004) 8 एस. सी. सी. 100 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286.

[3] 2019 (1) पी. एल. जे. आर. 517.

[4] 2016 (3) पी. एल. जे. आर. 258 = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 4998 (भाग).

के लिए विपक्षी पक्षकार सं. 2 बेगुसराय में परिवाद फाइल नहीं कर सकता । विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि तारीख 16 फरवरी, 2019 को विवाह-विच्छेद की डिक्री याची के पक्ष में पारित हुई है ।

6. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया कि निचले न्यायालय ने संहिता की धारा 202 के अधीन की गई जांच के आधार पर याची को केवल समन जारी किया था और इस प्रकार कानूनी अपेक्षा का अनुपालन पूरी तरह से किया गया है । यह निवेदन किया गया कि निचले न्यायालय ने उचित ही विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसने आदेश पारित किया है, को मामले के अन्तरण के अनुसरण में जांच के दौरान उसके समक्ष लाई गई सामग्री के आधार पर आदेशिका जारी की गई ।

7. विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने विद्वान् अपर लोक अभियोजक के तत्वों को अपनाया और आगे कहा कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची के साथ जाने और उनके साथ रहने को तैयार है ।

8. इस प्रक्रम पर, जब न्यायालय ने याची के विद्वान् काउंसेल को उनका मत जानने के लिए बुलाया कि क्या वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 को अपने साथ रखने के लिए तैयार है तो उसने यह स्पष्ट आधार लिया कि वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 को रखने के लिए तैयार नहीं है । न्यायालय के आगे पूछताछ करने पर कि क्यों याची अपनी पत्नी के रूप में विपक्षी पक्षकार सं. 2 को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है जबकि विद्वान् काउंसेल के अनुसार विवाह-विच्छेद मामले में मुख्य आधार यह था कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 ससुराल में रहने की इच्छुक नहीं है जबकि अब वह उनके साथ जाने और रहने को तैयार है । याची के विद्वान् काउंसेल कोई कारण नहीं बता सके ।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय ने इस आवेदन में कोई सार नहीं पाया । स्वयं आदेश को चुनौती देने का मुख्य आधार भ्रामक प्रतीत होता है । विद्वान् काउंसेल ने संहिता की धारा 202 के उपबंधों का अवलंब लिया । यह इस प्रकार है :-

"202. **आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना** –

(1) यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है तो और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है :

परन्तु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निदेश वहां नहीं दिया जाएगा –

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है ; अन्यथा

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की (यदि कोई हो) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है :

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो यह परिवादी से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति

द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी ।"

10. इसके परिशीलन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ऐसे मामले में जो संहिता की धारा 192 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाता है, यदि अभियुक्त ऐसे क्षेत्र के परे स्थान में रहता है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी किया जाएगा और या तो मजिस्ट्रेट से स्वयं मामले की जांच करने या पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण कराने का निदेश देने जैसा वह यह विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे कि क्या कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है या नहीं, अपेक्षा है । इस मामले में स्वयं आदेश तारीख 12 जुलाई, 2012 इस वृत्तांत से आरम्भ होता है कि मामला संहिता की धारा 192(1) के अधीन बेगुसराय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया था । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपराध का संज्ञान पहले ही बेगुसराय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया था और तब मामले को बेगुसराय के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजा गया ।

11. संहिता की धारा 192 इस प्रकार है :-

"192. **मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना** -

(1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है ।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान करने के पश्चात्, मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर

सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है ।"

12. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का अन्तरण संज्ञान करने के पश्चात् ही किया गया है । इस प्रकार, न्यायालय ने उचित ही यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेशिका जारी की है कि याची के विरुद्ध विचारण अपेक्षित है और इस प्रकार आदेशिका जारी की गई । यह संज्ञान लेने का आदेश नहीं है । केवल यह अनुबंध जो संहिता की धारा 202(1) में आदेशिका जारी करने के पूर्व मजिस्ट्रेट के संबंध में अधिकथित है, यह है कि वह या तो स्वयं मामले की जांच करे या पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह ठीक समझे, इसे जांच के लिए सौंपे । इस मामले में स्वयं आदेश तारीख 12 जुलाई, 2012 में यह उल्लेख है कि बेगुसराय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त आदेश के अनुसरण में तीन साक्षियों की परीक्षा के माध्यम से जांच कराई गई । इस प्रकार, इस मामले में जांच कराने की अपेक्षा पूरी की गई है । इस विधिक विवाद्यक पर याची का आक्षेप बिल्कुल भ्रामक है और इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति के भी प्रतिकूल है ।

13. **उदय शंकर अवस्थी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलम्बित विनिश्चय पर विचार करने पर यह पाते हैं कि उस मामले के तथ्य बिल्कुल भिन्न थे । उक्त मामले में तीसरी शिकायत फाइल की गई थी जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लेने के पश्चात् सीधे समन जारी किया था और बाद में अजमानतीय वारंट भी जारी किया था । इस मामले में, बेगुसराय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया जिसने आगे संहिता की धारा 192(1) के अधीन बेगुसराय के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच/विचारण के लिए मामला सुपुर्द किया । आगे, ऐसे मामले की प्राप्ति पर बेगुसराय के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वयं जांच कर संहिता की धारा 202(1) के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जिसमें उन्होंने तीन साक्षियों की परीक्षा की । इस प्रकार, पूर्वोक्त मामले का तर्काधार इस मामले के तथ्यों पर लागू

नहीं होता ।

14. इसी प्रकार, **वाई. अब्राहम अजित** (पूर्वोक्त) वाले मामले में, विषय न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित था । उक्त मामले में, सभी अपराध स्थान 'एन' पर किए गए थे और वाद हेतुक का कोई भाग स्थान 'सी' जहां कार्यवाही आरम्भ की गई थी, पर उद्भूत नहीं हुआ, उस संदर्भ में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपराध जारी अपराध न होने के कारण, स्थान 'सी' के मजिस्ट्रेट को मामले पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं थी और कार्यवाहियों को अभिखंडित किया गया । इस मामले में, अपराधों के जारी रहने या जारी न रहने के संबंध में कोई विवाद्यक नहीं है । जब स्वयं परिवाद में यह विनिर्दिष्ट अभिकथन है कि बेगुसराय में भी अभियुक्त आया था और परिवादी पर हमला किया था जिसकी पुष्टि एक ऐसे साक्षी द्वारा होती है जो बेगुसराय में परिवादी का पड़ोसी था । सुस्पष्टतः बेगुसराय में भी वाद हेतुक उद्भूत हुआ, इस प्रकार, परिवादी को मंच के संबंध में विवेकाधिकार है कि किस मंच के समक्ष वह आवेदन प्रस्तुत करे और न्यायालय की विचारित राय में, बेगुसराय में जहां अंत में अभियुक्त द्वारा अपराध का किया जाना अभिकथित है, उसके परिवाद फाइल किए जाने में कोई खामी नहीं है ।

15. **भोनू इदरीसी** बनाम **बिहार राज्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले के विनिश्चय पर विचार करने पर यह पाते हैं कि उसके तथ्य बिल्कुल भिन्न थे । उक्त मामले में, क्योंकि भभुआ स्थान पर कोई घटना नहीं हुई थी क्योंकि अभिकथित प्रपीड़न उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर में ससुराल में हुई थी, इसलिए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भभुआ के न्यायालय को मामले पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है ।

16. इसी प्रकार, **पद्म चन्द गर्ग** बनाम **बिहार राज्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि अभियुक्त न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के परे रह रहे थे इसलिए, न्यायालय को अधिनियम के अधीन परिकल्पित जांच कराने की अपेक्षा थी । इस मामले में, दोहराते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि संहिता की धारा 202(1) के अधीन

जांच कराने की अपेक्षा पूरी हो गई है क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने के पूर्व परिवाद के समर्थन में बेगुसराय के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तीन साक्षियों की परीक्षा कराई गई । इस प्रकार, उक्त मामले का तर्काधार भी इस मामले में याची को कोई सहायता प्रदान नहीं करता ।

17. न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि पक्षकारों के बीच विवाह संधार्यनीय न होने का लिया गया अभिवाक् इस कारण मात्र एक बहाना है कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 के प्रथम पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह विधवा हो गई और इस प्रकार, विधवा होने के पूर्व जिससे उसका विवाह किया गया था, से दूसरा विवाह करने का कोई परिणाम नहीं होगा, बशर्ते यह प्रतिषिद्ध क्षेत्र में न आता हो । इस प्रकार, अन्यथा भी विपक्षी पक्षकार सं. 2 से याची का विवाह करने की अनुज्ञा न देने के संबंध में कोई आक्षेप न उठाए जाने के कारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसे आक्षेप का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, स्वयं याची के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों के अनुसार, ऐसा आधार विवाह-विच्छेद अर्जी में न उठाए जाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष उठाए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, और तो और जब ऐसा आधार अभिवचनों में भी नहीं लिया गया है ।

18. इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि याची एक अर्ह अभियन्ता होते हुए और वह भी विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष, विपक्षी पक्षकार सं. 2 से विवाह करने का सोच-समझकर विनिश्चय करना स्वयं इस तथ्य का परिचायक है कि याची द्वारा विपक्षी पक्षकार सं. 2 से विवाह करने का सोचा-समझा और स्वैच्छिक विनिश्चय था ।

19. इस सन्निधि पर, विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने यह सूचित किया कि याची बेरोजगार है और जब उसे नौकरी मिली उसने दहेज की मांग और यातना करना आरम्भ किया । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में, स्पष्टतः यह तथ्य ऐसा कारण प्रतीत होता है कि क्यों विवाह-विच्छेद मामला फाइल किया गया और विपक्षी पक्षकार सं. 2 को

ससुराल से निकाल दिया गया । इसके अतिरिक्त, याची के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन कि विवाह-विच्छेद मामले में लिया गया मुख्य आधार ससुराल में विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा अधित्यजन था, मिथ्या है, जबकि आज विपक्षी पक्षकार सं. 2 याची के साथ रहने को तैयार है और उसकी ओर से तर्क यह है कि वह उसे रखने को तैयार नहीं है । इस प्रकार, जब स्वयं विवाह-विच्छेद मामला इस आधार पर था विपक्षी पक्षकार सं. 2 ससुराल में रहने को तैयार नहीं है और विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से न्यायालय के समक्ष लिया गया आधार यह है कि वह ससुराल में रहने को तैयार है और याची के विद्वान् काउंसेल अनुदेशों पर ऐसे प्रस्ताव से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, तो न्यायालय का निष्कर्ष है कि स्वयं विवाह-विच्छेद मामला दूरस्थ कारणों से फाइल किया गया था ।

20. तथापि, विवाह-विच्छेद की डिक्री होते हुए पक्षकारों द्वारा समुचित मंच के समक्ष मामला उठाया जाए ।

21. इस मामले के गुणदोष पर विचार करते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि न्यायालय के पास परिवाद और साक्षियों के कथन दोनों के आधार पर निचले न्यायालय के समक्ष सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध विचारण झेलने की आदेशिका जारी करने के साथ कार्यवाही आरम्भ करने हेतु पर्याप्त प्रतीत होती हैं ।

22. पूर्वोक्त कारणों से, आवेदन खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पा.

प्रकाश कुशवाहा और एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य

[2017 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 853]

तारीख 3 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 354 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 304ख तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख और 136] – निर्णय की अन्तर्वस्तु – न्यायाधीश को अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित अपराधों से संबंधित साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में सूक्ष्मता से संवीक्षा करनी चाहिए और धारा 354 के अनुसार निर्णय की अन्तर्वस्तु का ठीक से उल्लेख करना चाहिए, यदि न्यायाधीश दहेज मृत्यु के मामले में साक्ष्य की ग्राह्यता का विनिश्चय करने में असफल रहता है तो निर्णय अनुचित और विधिविरुद्ध है अतः मामले को विद्वान् निचले न्यायालय को नए सिरे से विनिश्चय के लिए पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

ज्ञानती देवी (अभि. सा. 5) ने तारीख 14 नवम्बर, 2013 को इस तथ्य को प्रकट करते हुए कि मृतका किरन कुमारी का विवाह प्रकाश कुशवाह (अपीलार्थी सं. 1) के साथ हुआ था, ग्राम रामपुर खुर्द में अपनी मृतका पुत्री किरन कुमारी की ससुराल में थी, अपना फर्दबयान दिया । मृतका किरन कुमारी अपने ससुराल आई जहां उसने दो वर्ष तक खुशी-खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताया । तब इसके पश्चात्, उसके पति, ससुर, सास ने एक सोने की चेन और एक लाख रुपए की मांग की जिसे अपनी वित्तीय विपन्नता के कारण पूरी नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप उसे पीड़ित और प्रताड़ित किया गया । कई बार उसे घर से निकाला गया किन्तु नातेदारों के हस्तक्षेप के कारण उसे अपने ससुराल में रहने दिया गया । जिसके दौरान उसे एक पुत्री पैदा हुई, जो इस समय दो माह की है । उसने आगे यह प्रकट किया कि आज यह

सूचना प्राप्त होने पर कि उसके पति, ससुर और सास द्वारा उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है वह अन्य लोगों के साथ उस स्थान पर आई जहां उन्होंने मृतका के शरीर को देखा जिसके गर्दन पर चिन्ह थे । इसी बीच, पुलिस भी सूचना पाने पर वहां आई । गोपालपुर थाना मामला सं. 139/2013 दर्ज होने के पश्चात् अन्वेषण आरम्भ हुआ और इसे पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् संज्ञान आदेश जारी किया गया तदुपरि अभियुक्त का विचारण किया गया और अंतिम परिणाम निकला जो इस अपील की विषयवस्तु है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विचारण के दौरान मृतका के ससुर अर्थात् सत्य नारायण भगत की मृत्यु हो गई जिसके कारण उनके नाम को तारीख 3 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा निकाल दिया गया । अभियोजन ने अपने पक्षकथन को पुष्ट करने के लिए कुल आठ अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराई जिनके नाम इस प्रकार हैं – अभि. सा. 1 अमरीक प्रसाद, अभि. सा. 2 कृष्णा कुशवाह, अभि. सा. 3 उमेश कुमार, अभि. सा. 4 रामनाथ प्रसाद, अभि. सा. 5 ज्ञानती देवी, अभि. सा. 6 दुलम भगत, अभि. सा. 7 उमा शंकर चौधरी, अभि. सा. 8 डा. इम्तियाज अहमद । उन्होंने प्रदर्श 1-लिखित रिपोर्ट पर कृष्णा कुशवाह का हस्ताक्षर, प्रदर्श 1/1 लिखित रिपोर्ट पर उमेश कुमार का हस्ताक्षर, प्रदर्श 1/2 लिखित रिपोर्ट पर दुलम भगत का हस्ताक्षर, प्रदर्श 2 लिखित रिपोर्ट पर ज्ञानती देवी का हस्ताक्षर, प्रदर्श 3-अभिग्रहण रिपोर्ट भी प्रदर्शित की । साथ ही साथ प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से तीन प्रतिरक्षा साक्षियों की भी परीक्षा कराई गई जिनके नाम प्रतिरक्षा साक्षी सं. 1-महेन्द्र कुशवाह, प्रतिरक्षा साक्षी 2-अरुण कुमार शर्मा और प्रतिरक्षा साक्षी 3-राजीव रंजन श्रीवास्तव हैं और प्रदर्श ए/1-मृतका किरण देवी द्वारा लिखित पत्र, प्रदर्श ए/2-किरण देवी द्वारा लिखित पत्र, प्रदर्श ए-1 की छाया प्रति चिन्हित एक्स, प्रदर्श ए-2 की छाया प्रति चिन्हित वाई, प्रदर्श बी-विशेषज्ञ रिपोर्ट भी प्रदर्शित की । अपीलार्थियों ने विद्वान् निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने रहस्यमय प्रकृति का

निर्णय पारित किया जिसके कारण यह अपास्त किए जाने योग्य है और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् नए सिरे से निर्णय पारित करने के लिए मामला विद्वान् निचले न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । ऐसा होने के कारण वर्तमान निर्णय साक्ष्यों के साथ मामले के गुणदोष के आधार पर परस्पर प्रतिकूल पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों से कतई बोझिल नहीं है । स्वयं बहस के प्रक्रम पर निर्णय की खामियों को इंगित किया गया है जिसपर दोनों पक्षकारों ने न्यायालय से ध्यान देने का अनुरोध किया था । अपीलार्थी की ओर से मात्र यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय की खामियां हैं और इसलिए अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाए जबकि अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदनों का विरोध करते हुए विद्वान् अपर लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया जाना चाहिए बल्कि निचले न्यायालय को नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाना चाहिए । अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/34 और धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किए गए थे और इसके अधीन विचारण किया गया था । यथापूर्वोक्त, अभियोजन पक्षकथन की समाप्ति के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे और इसके दौरान निचले न्यायालय की समाप्ति पर इसी प्रकार के क्रियाकलाप अपनाए गए । प्रतिरक्षा में, तीन प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त ने मानसिक असामान्यता के कारण आत्महत्या का मामला होने का अभिवचन किया । तथापि, जब आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 304ख के अधीन आरोप की विरचना के प्रतिनिर्देश के सिवाय अभियोजन/प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्यों के पैरा 6, 7, 8 से, अभियोजन पक्षकथन के संक्षिप्त निर्देश पर विचार किया गया । इसके दौरान, यह स्पष्ट है कि निचले न्यायालय ने साक्ष्य और आगे प्रतिपरीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनर्परीक्षा, यदि कोई जो साक्ष्य अधिनियम की

धारा 136 के अनुसार है, को स्पष्ट करने की कतई सावधानी नहीं बरती । उपरोक्त खामी के कारण, निचला विद्वान् न्यायालय यह पता लगाने के लिए की क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 या धारा 304ख/34 के अधीन मामला बनता है या नहीं, साक्ष्य की उचित संवीक्षा करने में असफल रहा । दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में विद्वान् निचले न्यायालय की ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । इस तथ्य के कारण कि विद्वान् पीठासीन अधिकारी ने साक्ष्य को क्रमबद्ध नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने यह राय बनाने के लिए साक्ष्य की संवीक्षा नहीं की कि क्या अभिलेख के साक्ष्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 या धारा 304/34 के अधीन मामला सिद्ध होता है या नहीं । इसके अलावा, विद्वान् निचला न्यायालय अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश सामग्री के उचित मूल्यांकन के अनुकूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन यथाउपबंधित यद्यपि खंडन योग्य उपधारणा के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के लक्षणों को समझने में असफल रहा । (पैरा 6, 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2083 :
प्रेम कौर बनाम **पंजाब राज्य** ; 10

[2009] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1911 :
प्रसाद उर्फ **हरि प्रसाद आचार्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 11

[1995] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 686 :
मुख्तियार सिंह और एक अन्य बनाम **पंजाब राज्य** ; 12

[1974] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1822 :
जमुना चौधरी और अन्य बनाम **बिहार राज्य** । 13

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 853.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. लाल और हरेन्द्र प्रसाद

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विपिन कुमार

न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी – अपीलार्थी-प्रकाश कुशवाह और चन्द्रावती देवी को 2014 के सेशन विचारण संख्या 140 में गोपालगंज के 5वें अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 14 फरवरी, 2017 के दोषसिद्ध निर्णय और तारीख 15 फरवरी, 2017 के दंडादेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और प्रत्येक को सात वर्ष का कठोर कारावास भोगने और दस हजार रुपए तक का जुर्माना अदा करने, जिसके व्यतिक्रम की दशा में अतिरिक्त रूप से छह मास का साधारण कारावास भोगने से दंडादिष्ट किया गया ।

2. ज्ञानती देवी (अभि. सा. 5) ने तारीख 14 नवम्बर, 2013 को इस तथ्य को प्रकट करते हुए कि मृतका किरन कुमारी का विवाह प्रकाश कुशवाह (अपीलार्थी सं. 1) के साथ हुआ था, ग्राम रामपुर खुर्द में अपनी मृतक पुत्री किरन कुमारी की ससुराल में थी, अपना फर्दबयान दिया । मृतका किरन कुमारी अपने ससुराल आई जहां उसने दो वर्ष तक खुशी-खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिताया । तब इसके पश्चात्, उसके पति, ससुर, सास ने एक सोने की चेन और एक लाख रुपए की मांग की जिसे अपनी वित्तीय विपन्नता के कारण पूरी नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप उसे पीड़ित और प्रताड़ित किया गया । कई बार उसे घर से निकाला गया किन्तु नातेदारों के हस्तक्षेप के कारण उसे अपने ससुराल में रहने दिया गया । जिसके दौरान उसे एक पुत्री पैदा हुई, जो इस समय दो माह की है । उसने आगे यह प्रकट किया कि आज यह सूचना प्राप्त होने पर कि उसके पति, ससुर और सास द्वारा उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है वह अन्य लोगों के साथ उस स्थान पर आई जहां उन्होंने मृतका के शरीर को देखा जिसके गर्दन पर चिह्न थे । इसी बीच, पुलिस भी सूचना पाने पर वहां आई ।

3. गोपालपुर थाना मामला सं. 139/2013 दर्ज होने के पश्चात् अन्वेषण आरम्भ हुआ और इसे पूरा करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत

किया गया तत्पश्चात् संज्ञान आदेश जारी किया गया तदुपरि अभियुक्त का विचारण किया गया और अंतिम परिणाम निकला जो इस अपील की विषयवस्तु है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विचारण के दौरान मृतका के ससुर अर्थात् सत्य नारायण भगत की मृत्यु हो गई जिसके कारण उनके नाम को तारीख 3 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा निकाल दिया गया ।

4. प्रतिपरीक्षा के तरीके और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन से प्रतिरक्षा मामले में पूर्णतः प्रत्याख्यान किया गया है । आगे यह अभिवचन किया गया है कि मृतका किसी प्रकार की असामान्यता से ग्रस्त थी जिसके कारण आत्महत्या की । इसे सिद्ध करने के लिए भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए ।

5. अभियोजन ने अपने पक्षकथन को पुष्ट करने के लिए कुल आठ अभियोजन साक्षियों की परीक्षा कराई जिनके नाम इस प्रकार हैं – अभि. सा. 1 अमरीक प्रसाद, अभि. सा. 2 कृष्णा कुशवाह, अभि. सा. 3 उमेश कुमार, अभि. सा. 4 रामनाथ प्रसाद, अभि. सा. 5 ज्ञानती देवी, अभि. सा. 6 दुलम भगत, अभि. सा. 7 उमा शंकर चौधरी, अभि. सा. 8 डा. इम्तियाज अहमद । उन्होंने प्रदर्श 1 लिखित रिपोर्ट पर कृष्ण कुशवाह का हस्ताक्षर, प्रदर्श 1/1 लिखित रिपोर्ट पर उमेश कुमार का हस्ताक्षर, प्रदर्श 1/2 लिखित रिपोर्ट पर दुलम भगत का हस्ताक्षर, प्रदर्श 2 लिखित रिपोर्ट पर ज्ञानती देवी का हस्ताक्षर, प्रदर्श 3-अभिग्रहण रिपोर्ट भी प्रदर्शित की । साथ ही साथ प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से तीन प्रतिरक्षा साक्षियों की भी परीक्षा कराई गई जिनके नाम प्रतिरक्षा साक्षी सं. 1-महेन्द्र कुशवाह, प्रतिरक्षा साक्षी 2-अरुण कुमार शर्मा और प्रतिरक्षा साक्षी 3-राजीव रंजन श्रीवास्तव हैं और प्रदर्श ए/1-मृतका किरण देवी द्वारा लिखित पत्र, प्रदर्श ए/2-किरण देवी द्वारा लिखित पत्र, प्रदर्श ए-1 की छाया प्रति चिन्हित एक्स, प्रदर्श ए-2 की छाया प्रति चिन्हित वाई, प्रदर्श बी-विशेषज्ञ रिपोर्ट भी प्रदर्शित की ।

6. आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने रहस्यमय प्रकृति का निर्णय पारित किया जिसके कारण यह अपास्त किए जाने योग्य है और

पक्षकारों को सुनने के पश्चात् नए सिरे से निर्णय पारित करने के लिए मामला विद्वान् निचले न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए । ऐसा होने के कारण वर्तमान निर्णय साक्ष्यों के साथ मामले के गुणदोष के आधार पर परस्पर प्रतिकूल पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों से कतई बोझिल नहीं है । स्वयं बहस के प्रक्रम पर निर्णय की खामियों को इंगित किया गया है जिस पर दोनों पक्षकारों ने न्यायालय से ध्यान देने का अनुरोध किया था । अपीलार्थी की ओर से मात्र यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय की खामियां हैं और इसलिए अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाए जबकि अपीलार्थी की ओर से किए गए निवेदनों का विरोध करते हुए विद्वान् अपर लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया जाना चाहिए बल्कि निचले न्यायालय को नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाना चाहिए ।

7. अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/34 और धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किए गए थे और इसके अधीन विचारण किया गया था । यथापूर्वोक्त, अभियोजन पक्षकथन की समाप्ति के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए गए थे और इसके दौरान निचले न्यायालय की समाप्ति पर इसी प्रकार के क्रियाकलाप अपनाए गए । प्रतिरक्षा में, तीन प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त ने मानसिक असामान्यता के कारण आत्महत्या का मामला होने का अभिवचन किया ।

8. तथापि, जब आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया गया तो उससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 304ख के अधीन आरोप की विरचना के प्रतिनिर्देश के सिवाय अभियोजन/प्रतिरक्षा की ओर से साक्ष्यों के पैरा 6, 7, 8 से, अभियोजन पक्षकथन के संक्षिप्त निर्देश पर विचार किया गया । इसके दौरान, यह स्पष्ट है कि निचले न्यायालय ने साक्ष्य और आगे प्रतिपरीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनर्परीक्षा, यदि कोई जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अनुसार है, को स्पष्ट करने की कतई सावधानी नहीं बरती ।

उपरोक्त खामी के कारण, निचला विद्वान् न्यायालय यह पता लगाने के लिए की क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 या धारा 304ख/34 के अधीन मामला बनता है या नहीं, साक्ष्य की उचित संवीक्षा करने में असफल रहा । दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में विद्वान् निचले न्यायालय की ओर से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । इस तथ्य के कारण कि विद्वान् पीठासीन अधिकारी ने साक्ष्य को क्रमबद्ध नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने यह राय बनाने के लिए साक्ष्य की संवीक्षा नहीं की कि क्या अभिलेख के साक्ष्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 या धारा 304/34 के अधीन मामला सिद्ध होता है या नहीं । इसके अलावा, विद्वान् निचला न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से पेश सामग्री के उचित मूल्यांकन के अनुकूल साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन यथाउपबंधित यद्यपि खंडन योग्य उपधारणा के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के लक्षणों को समझने में असफल रहा ।

9. निर्णय लिखने की कला और उसकी अपेक्षाओं से निचले न्यायालय को ग्रथित करने के लिए सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 पर विचार किया जाना चाहिए और बेहतर मूल्यांकन के लिए इसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

> "धारा 354. **निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु** - (1) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय -
>
> (क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा ;
>
> (ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगा ;
>
> (ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(घ) यदि निणर्य दोषमुक्ति का है तो, उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए ।

(2) जब दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओंमें से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा ।

(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा ।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है ।

(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निदेश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए ।

(6) धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।"

10. **प्रेम कौर** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"10. निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस आधार पर अनुचित हो सकते हैं कि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति के लिए कोई भी ठोस कारण अभिलिखित नहीं किए हैं यद्यपि अभियोक्त्री का यह पक्षकथन है कि वह अस्पताल में भर्ती रही थी । उसने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह उपर्युक्त अपराध का शिकार हुई है । उच्च न्यायालय ने भी मामले में सच्चाई का पता लगाए बिना विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारणों को अनदेखा किया है ।

11. एच. बी. गांधी और अन्य **बनाम** गोपी नाथ एंड सन्स [ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2083] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि सुसंगत सामग्री को अनदेखा या अपवर्जित करके या असंगत सामग्री पर विचार करके निष्कर्ष निकाला गया है या निष्कर्ष से ऐसी तर्कणा का खंडन होता है जो अयुक्तियुक्तता से ग्रसित हो या अनुचित हो, तब ऐसी स्थिति में निकाला गया निष्कर्ष विधि की दृष्टि से शिथिल होगा ।

12. त्रिवेणी रबर एंड प्लास्टिक्स **बनाम** कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, कोच्चि [ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1341] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश अनुचितता से ग्रस्त होगा यदि सुसंगत साक्ष्य पर विचार न किया गया हो या कतिपय अग्राह्य साक्ष्य पर विचार किया गया हो या यह कहा जा सकता हो कि प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष बिल्कुल भी किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं या वे इतने अनुचित हैं कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर न पहुंच सके ।

13. कुलदीप सिंह **बनाम** पुलिस आयुक्त और अन्य [ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 677 = 1999 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 129] वाले मामले में इस न्यायालय ने इसी मत को

---

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2083.

दोहराते हुए यह मत अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य है जिसे स्वीकार किया जा सके और जिस पर विश्वास किया जा सके चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, तब ऐसे निकाले गए निष्कर्षों को अनुचित नहीं माना जा सकता और उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

14. गया दीन और अन्य **बनाम** हनुमान प्रसाद और अन्य [ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 386 = 2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4275] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि कोई आदेश अनुचित माना जाएगा यदि वह प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है ।

15. राजेन्द्र कुमार किन्द्रा **बनाम** दिल्ली प्रशासन [ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1805] वाले मामले में इस न्यायालय ने एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामले पर कार्यवाही करते समय इस मुद्दे पर विचार किया और निम्न अभिनिर्धारित किया –

> "यह उतना ही सुस्थापित है कि जब न्यायिककल्प ट्राइब्युनल या मध्यस्थ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचता है जो किसी भी विधिक साक्ष्य पर आधारित न हों और ये निष्कर्ष उसके अपने शब्द हों या अनुमान और अटकलों पर आधारित हों तब ऐसी स्थिति में की गई जांच विवेक का प्रयोग न किए जाने जैसी अतिरिक्त शिथिलताओं से ग्रस्त होगी और दूषित मानी जाएगी ..... और इससे पूर्णतया यह प्रकट होता है कि विवेक से काम नहीं लिया गया है ..... । हमारी राय में उच्च न्यायालय ने इस दलील पर विचार करने से इनकार करके गलती की है कि निकाले गए निष्कर्ष अधूरे होने के कारण अनुचित हैं और इस आधार पर पूर्ण रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है कि मामला साक्ष्य के मूल्यांकन पर ही आधारित होता है ।"

16. सत्यवीर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(2010) 3 एस. सी. सी. 174 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 651 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1442] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है –

> "'अनुचित' को व्यवहार कहा गया है जिसे बहुत से लोग गलत, अस्वीकार्य और अयुक्तियुक्त मानते हैं तथा अनुचित निर्णय को संभवतः इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह साक्ष्य के सार के प्रतिकूल ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से सार के विरुद्ध होता है । इसके अतिरिक्त, जो निष्कर्ष अनुचित होता है, वह विकृत निष्कर्षों और सुस्पष्ट गलतियों से ग्रसित होता है ।"

17. यदि निचले न्यायालयों के निर्णयों पर उपर्युक्त सुस्थापित विधिक प्रतिपादना के आधार पर विचार किया जाए तो उसे अनुचितता से ग्रसित माना जाएगा ।

18. विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'संहिता' कहा गया है) की धारा 354 के उपबंधों के आधार पर मामले को विनिश्चित नहीं किया है । उक्त उपबंधों के अधीन किसी दांडिक मामले में निर्णय देते समय एक विशिष्ट प्रक्रिया और रीति का उल्लेख किया गया है और ऐसे प्रारूप के अंतर्गत अवधारण किया जाना चाहिए, उसके आधार पर विनिश्चय किया जाना चाहिए और ऐसे विनिश्चय के लिए कारण दिए जाने चाहिएं, युक्तियुक्त निर्णय के बिना दिया गया अंतिम आदेश विधिमान्य और विधि की दृष्टि से शुद्ध नहीं हो सकता है । निर्णय से यह दर्शित होना चाहिए कि वह न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप दिया गया है और यह कि अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन भी किया गया है और निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य के ऐसे मूल्यांकन पर ही आधारित है । इस प्रकार, प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारणों का उल्लेख करे ।

19. पंजाब राज्य **बनाम** जागीर सिंह, बलजीत सिंह और करम

सिंह [ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2407] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है –

> "दांडिक विचारण किसी परी की कहानी की तरह नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति कोई भी कल्पना कर सके । इसका संबंध इस प्रश्न से होता है कि क्या जिस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है वह उस अपराध का दोषी है या नहीं जिससे उसे आरोपित किया गया है । अपराध वास्तविक जीवन में हुई घटना है और विभिन्न मानवीय भावनाओं के आदान-प्रदान का परिणाम है । किसी अपराध से आरोपित अभियुक्त के दोषी होने से संबंधित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, न्यायालय को संभाव्यताओं की कसौटी पर साक्ष्य को परखना चाहिए, साक्ष्य के मूल सार और साक्षियों के व्यवहार पर विचार करना चाहिए । अंतिम विश्लेषण के दौरान प्रत्येक मामला अपने ही तथ्यों पर निर्भर होता है । यद्यपि प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए और न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य को उसी समय खारिज नहीं कर देना चाहिए जो प्रथमदृष्ट्या बनावटी या अटकलों पर आधारित प्रतीत हो ।"

20. मुख्तियार सिंह और एक अन्य **बनाम** पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 686 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 467] वाले मामले में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 354 की कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन पर बल देते हुए निम्न मत व्यक्त किया है –

> ".....इसका समाधान नहीं किया जा सकता है । विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति तथा दोषसिद्धि दोनों के आदेश अत्यंत लापरवाही से, बिना विचार किए पारित किए गए हैं, यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर न तो विचार किया गया है और न ही चर्चा की गई है तथा न्यायालय में दी गई दलीलों पर भी विचार नहीं किया गया है .....। ऊपर उल्लिखित पैरा 28 से 32 में यह पाया गया है कि दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के आदेश किए गए हैं । विचारण न्यायालय ने हत्या जैसे गंभीर मामले में कार्यवाही

की है । विचारण न्यायालय से यह प्रत्याशा की जाती है कि वह साक्ष्य पर विचार करे और उसकी संवीक्षा करे और न्यायालय में दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् समुचित निष्कर्ष पर पहुंचे .....। निर्णय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि विचारण के दौरान अनेक साक्षियों ने क्या-क्या अभिसाक्ष्य दिए हैं, सिवाय चिकित्सा साक्षी के । इस निर्णय से यह भी प्रकट नहीं होता है कि अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष क्या दलील दी गई है । यह निर्णय अत्यंत ढुलमुल है .....। यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने आनंदमय होकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(i)(ख) के अधीन अपेक्षाओं को अनदेखा किया है । चूंकि प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, इसलिए विचारण न्यायालय को न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों को अभिलिखित करने के अतिरिक्त साक्षियों के साक्ष्य के कम से कम महत्वपूर्ण भाग की ही चर्चा करनी चाहिए थी ताकि अपील न्यायालय को वह आधार प्राप्त हो जाता जिस पर वह निर्णय देता । विनिश्चय का अर्थ मात्र निष्कर्ष से नहीं है - इसके अंतर्गत वे कारण भी आते हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं । विचारण न्यायालय के निर्णय में केवल निष्कर्ष दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । अतः विचारण न्यायालय के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है । यह मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजने योग्य है ताकि विधि के अनुसरण में नए सिरे से निर्णय देते हुए मामले का निपटारा किया जा सके ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

21. इस प्रकार, उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए यह विधि अधिकथित की जा सकती है कि न्यायालय को अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कारण व्यक्त करने चाहिए । निचले न्यायालयों ने

इस मामले में अत्यंत संक्षिप्त रूप से विचार किया है । न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए अत्यंत स्पष्ट कारण दिए जाने चाहिए थे जिनका यहां अभाव है । निचले न्यायालयों के निर्णयों में, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकथित कानूनी उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है । निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त है और इससे घोर अन्याय हुआ है । न्यायालयों को त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट निर्णय नहीं देने चाहिए थे । वास्तव में, विधि की दृष्टि से इसे निर्णय कहा ही नहीं जा सकता है । हम निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की शुद्धता, वैधता और औचित्य पर विचार करने की स्थिति में नहीं हैं । निचले न्यायालयों के निर्णयों में ठोस कारणों का अभाव ही एकमात्र अनियमितता नहीं है अपितु प्रत्यक्ष अवैधता भी है ।"

11. **प्रसाद** उर्फ **हरि प्रसाद आचार्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :–

"8. कारणों से आदेश में स्पष्टता आती है । सामान्य रूप से न्याय प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय को इसके कारण उपवर्णित करने चाहिए चाहे संक्षेप में ही क्यों न हो । उनके आदेश में विवेक के प्रयोग का उपदर्शन होना चाहिए । कारणों के अभाव से उच्च न्यायालय का निर्णय कायम रखे जाने योग्य नहीं रह जाता है ।

9. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी, लार्ड डेनिंग, एम. आर. ने ब्रीन **बनाम** अमाल्गमाटेड इंजि. संघ [(1971) 1 आल ई. आर. 1148] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया 'कारण बताया जाना अच्छे प्रशासन का एक आधार है' इन एलेकजेन्डर मशीनरी (डूडले) लिमिटेड **बनाम** कारवेट्री [1974 आई. सी. आर. आई. 20 (एन. आई. आर. सी.)] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया था : 'कारण देने की असफलता न्याय के इनकार के समान है ।' 'कारण

---

[1] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1911.

प्रश्नगत संविवाद में विनिश्चय लेने वाले के विवेक और निकाले गए विनिश्चय या निष्कर्ष के बीच जीवित कड़ी है ।' कारण के स्थान पर वस्तुनिष्ठता द्वारा व्यक्तिनिष्ठता प्रतिस्थापित किया जाता है । कारण अभिलिखित करने पर बल देने का आशय यह है कि यदि विनिश्चय 'रहस्यमय व्यक्ति के रहस्यमयी चेहरे को' उजागर करता है तो यह अपने मौन द्वारा, विनिश्चय की विधिमान्यता के न्यायनिर्णयन में अपने अपीली कृत्य का पालन करने या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने में न्यायालयों को वस्तुतः अशक्य बना देगा । कारण का अधिकार ठोस न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य भाग है; कम से कम न्यायालय के समक्ष मामले में विवेक का प्रयोग करने को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए । दूसरी तर्कणा यह है कि प्रभावित पक्षकार यह जान सके कि विनिश्चय उसके विरुद्ध क्यों हुआ है । नैसर्गिक न्याय की यह एक हितकर अपेक्षा है कि किए गए आदेश का कारण स्पष्ट करें; दूसरे शब्दों में, साफ-साफ बताएं । 'रहस्यमय व्यक्ति का रहस्यमय चेहरा' सामान्यतः न्यायिक या अर्ध-न्यायिक पालन से असंगत है ।"

12. **मुख्तियार सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है :-

"12. हमने विद्वान् विचारण न्यायाधीश के निर्णय का परिशीलन किया और यह पाया कि यह संतोषजनक नहीं है । दोषमुक्ति का आदेश और दोषसिद्धि का आदेश दोनों विचारण न्यायालय द्वारा बहुत सरसरी तौर पर यहां तक कि अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य या अधिवक्ताओं द्वारा किए गए बहस पर विचार और चर्चा किए बिना पारित किए गए थे । विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैरा 1 से 23 में विभिन्न तारीखों पर भिन्न-भिन्न अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के अलावा अभियोजन पक्षकथन, चिकित्सा साक्ष्य और मामले के अन्वेषण के दौरान एकत्रित की गई सामग्री पर ध्यान दिया । पैरा 24 में

---

[1] ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 686.

उसने अभियोजन साक्षियों के नामों पर ध्यान दिया और पैरा 25 और 26 में उसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन की गई थी । उपरोक्त पर ध्यान देते हुए, पैरा 28 से 32 में दोषमुक्ति और दोषसिद्धि के आदेश दिए गए थे । विचारण न्यायालय हत्या के गंभीर मामले पर विचारण कर रहा था । उससे साक्ष्य पर ध्यान देने और संवीक्षा करने की और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात् समुचित निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रत्याशा थी । हमारे द्वारा विचारण न्यायालय के रहस्यमय निर्णय में कारण का पता नहीं लगाया जा सका जो 1985 की दांडिक अपील संख्या 489 में प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति या 1985 की दांडिक अपील संख्या 434 में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के बारे में था । न्याय और निष्पक्ष विचारण की सामान्य अपेक्षा के होते हुए विचारण न्यायालय से कम से कम यह प्रत्याशा थी कि विभिन्न साक्षियों के साक्ष्य और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर कम से कम संक्षेपतः ध्यान दे, विचार करे और चर्चा करे । विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है । विचारण न्यायालय प्रकटतः अपने अनिवार्य कृत्यों का निर्वहन करने में असफल रहा । चिकित्सा साक्षी के साक्ष्य के अलावा, निर्णय में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि भिन्न-भिन्न साक्षियों ने विचारण में क्या अभिसाक्ष्य दिया । निर्णय में यह नहीं बताया गया है कि अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उसके समक्ष क्या तर्क दिए गए । निर्णय इतना खामीग्रस्त है कि हम यह मूल्यांकन करने में असफल हैं कि निष्कर्ष कैसे निकाला गया । विचारण न्यायालय का निर्णय वस्तुतः विधि की दृष्टि में निर्णय के समान नहीं है । यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(i)(ख) की अपेक्षाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ है । क्योंकि प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष की जाती है इसलिए विचारण न्यायालय को अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों को अभिलिखित करने के अलावा कम से कम साक्षियों के साक्ष्य के आवश्यक भाग को दोहराना और चर्चा करनी चाहिए जिससे कि अपील न्यायालय उस

आधार के बारे में जान सके जिस पर 'विनिश्चय' आधारित है । 'विनिश्चय' का अभिप्राय मात्र 'निष्कर्ष' नहीं है यह अपनी परिधि के भीतर उन कारणों को भी समाविष्ट करता है जो 'निष्कर्ष' पर पहुंचने का आधार गठित करते हैं । विचारण न्यायालय के निर्णय में केवल 'निष्कर्ष' है और कुछ नहीं । अतः, विचारण न्यायालय के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता । मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से निर्णय लिखकर इसके नए सिरे से निपटान के लिए विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने की आवश्यकता है ।"

13. **जमुना चौधरी और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है :-

"18. जब अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की तब न तो साक्षियों के साक्ष्य पर और न ही जमुना के मामले के सिवाय अलग-अलग अभियुक्तों के मामले पर विचार किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जो दलीलें दी गई हैं उनको दृष्टि में रखते हुए वह अपीलार्थी जमुना के सिवाय प्रत्येक अभियुक्त का दण्ड घटाकर आधा कर देगा । जहां तक अपीलार्थी जमुना का संबंध है, उच्च न्यायालय ने मामले पर केवल यह बताने के लिए विचार किया कि सिर की क्षति अप्रत्याशित क्षति थी । इस क्षति के विषय में उच्च न्यायालय ने भी यह अभिनिर्धारित किया था कि वह सामान्य उद्देश्य की परिधि के बाहर है । उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी जमुना को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन लालधारी के सिर की क्षति के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । इसलिए उसे उस धारा के अधीन दोषसिद्ध करते हुए उच्च न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कठिन कारावास से दण्डादिष्ट किया । उच्च न्यायालय ने आवश्यक उपान्तरणों सहित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन उसकी दोषसिद्धि को कायम रखा, अपीलार्थी की अपीलें खारिज कर दी गई थीं ।

---

[1] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1822.

19. हम उच्च न्यायालय के निर्णय से यह खोज निकालने में असमर्थ हैं कि क्या अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अपने तर्कों को दण्डादेश पर प्रभाव डालने वाली बातों तक या उस धारा को बदलने तक ही सीमित रखा जिसके अपील अपीलार्थी जमुना को दोषसिद्ध किया जाना था । उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मतों से हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि इससे वही थोथी रीति स्पष्ट होगी जिस रीति से उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया था । किन्तु हम यह मत व्यक्त करते हैं कि विद्वान् काउन्सेलों से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मामले में सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय की सहायता करें जिसमें इतने साक्ष्य और इतने साक्षी और विचारणीय प्रश्न थे । उच्च न्यायालय ने मामले पर बहुत ही संक्षिप्त रीति से विचार किया है । यह अधिक अच्छा होता यदि उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के कारण का कथन अधिक प्रकाश डालने वाला होता । अपीलाधीन निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता ।"

14. तद्नुसार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है । अपील मंजूर की जाती है । मामला विद्वान् निचले न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनने और नए सिरे से निर्णय पारित करने के लिए वापस किया जाता है । वे अपीलार्थी जो अभिरक्षाधीन हैं, को विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष पेश होने का निदेश दिया जाता है । अभिरक्षा की अवधि की पृष्ठभूमि में, विद्वान् निचले न्यायालय को निर्णय/निचले न्यायालय अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर इसे निपटाने का निदेश दिया जाता है । कार्यालय को तत्काल विशेष वाहक के माध्यम से विद्वान् निचले न्यायालय को निर्णय के साथ अभिलेख को प्रेषित करने का निदेश दिया जाता है जिससे कि विचारण का समापन निदेशों के अनुसार किया जा सके ।

अपील मंजूर की जाती है ।

पा.

संजीव कुमार और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2009 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 96)

तारीख 30 मई, 2018

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 379 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – चोरी – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का महत्व – साक्ष्य की ग्राह्यता – वृक्षों से काटे गए स्लीपरों का अभियुक्तों द्वारा चोरी किए जाने का अभिकथन – चोरी की गई लकड़ी (स्लीपर) के स्वामित्व का सुनिश्चित न किया जाना – स्लीपरों के स्वामित्व से संबंधित बनाए गए रजिस्टर का न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना – चोरी किए गए स्लीपरों के स्वामित्व से संबंधित तैयार किए गए रजिस्टर को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और उनकी शनाख्त भी नहीं की जा सकी है जिसके परिणामस्वरूप उनका स्वामित्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, अतः चोरी के अपराध के लिए आवेदकों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

आवेदकों के विरुद्ध अभिकथन इस प्रकार किए गए हैं कि तारीख 11 जनवरी, 2005 को शिकायतकर्ता गीताराम ने पुलिस के समक्ष 12 स्लीपरों के चोरी हो जाने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया गया कि तारीख 15 जून, 2004 को उसने अपनी घासनी में 12 स्लीपर रखे थे जो उसने देवदार के तीन वृक्षों से काटे थे जिनमें 10×10×5 माप के तीन स्लीपर, 10×10×7 माप के तीन स्लीपर, 10×10×5 माप के तीन स्लीपर, 8×10×5 माप के दो स्लीपर और 10×5×6 माप का एक स्लीपर था । इसके पश्चात् उसने उन स्लीपरों पर अपना नाम जी. आर. लिख दिया था । वह समय-समय पर

अपने स्लीपरों की जांच-पड़ताल कर लिया करता था किन्तु तारीख 11 जनवरी, 2005 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न में उसने देखा कि उसके स्लीपर वहां मौजूद नहीं हैं । सभी आवेदक वाहन सं. एचपी-13-0911 में बैठकर सड़क के आसपास भ्रमण कर रहे थे और इसी कारण शिकायतकर्ता को यह संदेह हुआ कि आवेदकों ने उसके स्लीपरों की चोरी की है जिनका मूल्य 13,000/- रुपए है । इस मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और इसके पश्चात् सभी आवेदकों को गिरफ्तार किया गया और उनके कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनके आधार पर देवदार के 12 स्लीपरों की बरामदगी की गई जिनमें से 5 स्लीपर गौशाला से और शेष स्लीपर पवन कुमार की आरा मशीन से बरामद किए गए । इसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 379/34 और अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन आवेदकों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । याचियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजे गए और उन्हें आरोप पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या मामला गठित होने के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिस पर आवेदकों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात्, आवेदकों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसमें उन्होंने यह कथन किया कि वे अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं । साक्ष्य अभिलिखित करने और उसका मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने आवेदकों को दोषमुक्त कर दिया । तथापि, राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट के उस आदेश की पुष्टि की गई जिसके द्वारा आवेदकों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दोषमुक्त किया गया था, किन्तु दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन की गई दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उन्हें दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन छह मास का साधारण कारावास भोगने और प्रत्येक को 5,000/- रुपए जुर्माने

का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर आवेदकों को एक मास का साधारण कारावास भोगने का निदेश भी दिया गया । दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर आवेदकों ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया । पुनरीक्षण आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार उसने एक रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें उन-उन व्यक्तियों के नाम अभिलिखित किए हुए थे जिन-जिन के पास स्लीपर थे । किन्तु अन्वेषण अभिकरण उस रजिस्टर को अपने कब्जे में लेने में असफल रहा है और इसी कारण यह न्यायालय इसके प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध है । जैसे कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए "जी. आर." शब्दों को साबित ही नहीं कर पाया है बल्कि अभिलेख से यह दर्शित होता है कि उक्त शब्द बाद में लिखे गए थे । जैसा कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक ही व्यक्त किया गया है कि पुलिस स्लीपरों की बरामदगी को संदेह के परे साबित करने में असफल रही है और यह कि परिवहन-अनुज्ञा (ट्रांसपोर्ट परमिट) के बिना स्लीपरों का परिवहन किए जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई भी सामग्री नहीं है । विरोधाभास के अतिरिक्त यह देखा गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभिकथित लकड़ी उन्हीं पेड़ों को काटकर प्राप्त की गई है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने बरामद किए गए स्लीपरों के व्यास की तुलना पेड़ों के तनों के व्यास के साथ नहीं की है । जैसा कि पहले ही विचार किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कुल मिलाकर तीन प्रकटीकरण कथन तात्पर्यित रूप से अभिलिखित किए गए हैं । धारा 27 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में प्राप्त हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या

नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी । अतः, ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि जब एक बार कोई तथ्य अन्य किसी स्रोत से प्रकट होता है तब नए सिरे से कोई भी प्रकटन नहीं हो सकता चाहे अभियुक्त से सुसंगत जानकारी क्यों न प्राप्त हो और न्यायालयों को अन्वेषण अधिकारी की त्रुटियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के उपबंधों के अधीन प्राप्त संरक्षा का दुरुपयोग केस डायरी के अभिलेख में मात्र हेरा-फेरी करने से न किया जा सके । इन परिस्थितियों में अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए इस जानकारी का अवलंब लेना किसी सीमा तक अनुचित होगा । यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा समनुदेशित निष्कर्षों और कारणों को उलटने के लिए गंभीरता से विचार करना भी उचित नहीं समझा है और एक अलग से निर्णय लिखते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के निर्णय को उलट दिया है । स्पष्ट है कि अपील विनिश्चित करने के दौरान विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं कही जा सकती है क्योंकि अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा समनुदेशित कारणों को अवश्य निर्दिष्ट करे और उसके पश्चात् उन कारणों से असहमति व्यक्त करने हेतु अपने कारण स्पष्ट करे और ऐसे अपील न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह साक्ष्य के आधार पर अलग से निर्णय लिखे जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध है । निर्णय लिखने के दौरान विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए उन टिप्पणों का उल्लेख नहीं किया है जो अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान किए गए थे । इसके अतिरिक्त, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा पर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझा है जिसके परिसाक्ष्य पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्षकथन में आए विरोधाभासों का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं समझा है जिन पर विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान दिया गया था और कुछ विरोधाभासों पर इस न्यायालय द्वारा भी ध्यान दिया गया है । (पैरा 22, 23, 24, 25, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] (2005) 11 एस. सी. सी. 600 =
ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3820 :
राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)
बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु** । 26

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2009 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 96.

विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट के दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदकों की ओर से श्री अनूप चितकारा और सुश्री शीतल व्यास

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विनोद ठाकुर, सुधीर भटनागर (अपरमहाधिवक्ता) और भूपिन्दरठाकुर (उप महाधिवक्ता)

आदेश

आवेदकों को विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 379 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 41 और 42 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था । राज्य द्वारा अपील फाइल किए जाने पर आवेदकों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त करते हुए दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया ।

2. आवेदकों के विरुद्ध अभिकथन इस प्रकार किए गए हैं कि तारीख 11 जनवरी, 2005 को शिकायतकर्ता गीताराम ने पुलिस के समक्ष 12 स्लीपरों के चोरी हो जाने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया गया कि तारीख 15 जून, 2004 को उसने अपनी

घासनी में 12 स्लीपर रखे थे जो उसने देवदार के तीन वृक्षों से काटे थे जिनमें 10×10×5 माप के तीन स्लीपर, 10×10×7 माप के तीन स्लीपर, 10×10×5 माप के तीन स्लीपर, 8×10×5 माप के दो स्लीपर और 10×5×6 माप का एक स्लीपर था । इसके पश्चात् उसने उन स्लीपरों पर अपना नाम जी. आर. लिख दिया था । वह समय-समय पर अपने स्लीपरों की जांच-पड़ताल कर लिया करता था किन्तु तारीख 11 जनवरी, 2005 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न में उसने देखा कि उसके स्लीपर वहां मौजूद नहीं हैं । सभी आवेदक वाहन सं. एचपी-13-0911 में बैठकर सड़क के आसपास भ्रमण कर रहे थे और इसी कारण शिकायतकर्ता को यह संदेह हुआ कि आवेदकों ने उसके स्लीपरों की चोरी की है जिनका मूल्य 13,000/- रुपए है ।

3. इस मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और इसके पश्चात् सभी आवेदकों को गिरफ्तार किया गया और उनके कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनके आधार पर देवदार के 12 स्लीपरों की बरामदगी की गई जिनमें से 5 स्लीपर गौशाला से और शेष स्लीपर पवन कुमार की आरा मशीन से बरामद किए गए । इसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 379/34 और अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन आवेदकों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

4. याचियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजे गए और उन्हें आरोप पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या मामला गठित होने के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए जिस पर आवेदकों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

6. अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के पश्चात्, आवेदकों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसमें उन्होंने यह कथन किया कि वे अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं ।

7. साक्ष्य अभिलिखित करने और उसका मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने आवेदकों को दोषमुक्त कर दिया । तथापि, राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत किए जाने पर विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट के उस आदेश की पुष्टि की गई जिसके द्वारा आवेदकों को अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दोषमुक्त किया गया था, किन्तु दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन की गई दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया गया और उन्हें दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन छह मास का साधारण कारावास भोगने और प्रत्येक को 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर आवेदकों को अतिरिक्त एक मास का साधारण कारावास भोगने का निदेश भी दिया गया ।

8. दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर आवेदकों ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन इस आधार पर फाइल किया है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अनुचित हैं, अतः वे अपास्त किए जाने चाहिए ।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है ।

10. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण साक्ष्य अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर आधारित है । अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता है और अभि. सा. 2 वह व्यक्ति है जिसके समक्ष प्रकटीकरण कथन दिए जाने का अभिकथन किया गया है ।

11. जहां तक अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य का संबंध है, यद्यपि इस साक्षी ने यह कहते हुए अपना पक्षकथन न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है कि उसने स्लीपरों पर अंग्रेजी भाषा में "जी. आर." लिख दिया था और उसने इसी लिखावट को देखकर स्लीपरों की शनाख्त की थी, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इस वृत्तान्त को विद्वान् विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा वास्तव में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि जब मुकदमे से संबंधित संपत्ति को उस लिखावट के साथ विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय प्रस्तुत किया गया था जब

शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा की जा रही थी, तब विद्वान् मजिस्ट्रेट ने निम्न मत व्यक्त किया :-

> "(मुकदमे से संबंधित संपत्ति का परीक्षण - मैंने स्वयं लकड़ी के तख्तों और उसके साथ आरे से चीरकर प्राप्त की गई लकड़ियों पर लगे रंग के धब्बे देखें हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यह स्लीपर चीरने के पश्चात् बची हुई लकड़ी है । पटरों के मध्य भाग में रंग से चिह्न लगाए गए हैं । ये चिह्न लकड़ी के दूसरे भाग पर भी लग गए हैं और यह तथ्य साक्षी के कथन के प्रतिकूल है ।)
>
> न्यायालय का समय समाप्त हो जाने के कारण इस साक्षी की परीक्षा स्थगित कर दी जाती है ।"

इस मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा मात्र यही गड़बड़ नहीं की गई है अपितु प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किए जाने की कहानी भी सत्य प्रतीत नहीं होती है ।

12. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दुर्गा सिंह (अभि. सा. 2) अभिकथित रूप से प्रकटीकरण कथन का साक्षी है जिसके समक्ष प्रत्येक आवेदक का कथन अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अमर सिंह वर्मा के साथ बाजार में चाय पी रहा था और तब उसने टाटा मोबाइल वाहन (रजिस्ट्रेशन सं. एचपी-13-0911) देखा । उस समय गीताराम इस साक्षी के पास आया और यह कहा कि उसके जो स्लीपर चोरी हो गए थे, वे बरामद हो गए हैं और इस वाहन से पुलिस थाने लाए गए हैं । यदि ऐसा है, तब मुझे वास्तव में आश्चर्य होगा कि अभि. सा. 2 कैसे साक्षी हो सकता है और मुझे इस पर भी हैरत होगी कि आवेदकों से किस प्रकार ऐसी बरामदगी की जा सकती है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । यह महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 2 ने अपने कथन के पूर्ववर्ती भाग में यह अभिसाक्ष्य देने का प्रयास किया है कि सभी आवेदकों ने पुलिस के समक्ष यह कथन दिया था कि 12 स्लीपर चोरी किए गए हैं जिनमें से उन्होंने 7 स्लीपर पवन कुमार की आरा मशीन पर भेज दिए थे और पांच स्लीपर गौशाला में रख लिए थे और

इन आवेदकों के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/सी हैं जिन पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं ।

13. जहां तक एक अन्य साक्षी ईश्वर दत्त, जिसने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी परीक्षा अभि. सा. 3 के रूप में कराई गई है, का संबंध है, पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इस साक्षी ने मात्र यह कथन किया है कि उसने उपरोक्त दस्तावेज पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किए थे और लकड़ियों पर चिह्न बाद में लगाए गए थे ।

14. पवन कुमार (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि आवेदक टाटा मोबाइल वाहन (एचपी-13-0911) से उसके पास आए थे और उन्होंने उसमें से 7 स्लीपर चीरने के लिए दिए जिनमें से 20 फ्रेम और चिप्स तैयार किए गए । उस समय केवलराम मौजूद था । उन स्लीपरों पर लाल रंग से अंग्रेजी भाषा में "जी. आर." लिखा हुआ था । पुलिस ने लकड़ी के सभी 20 फ्रेमों को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/डी के अनुसार कब्जे में लिया जिस पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने इस मुकदमे से संबंधित संपत्ति की शनाख्त प्रदर्श पी. 6 से पी. 25 के रूप में न्यायालय में की । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि फ्रेम बनाने के पूर्व लकड़ी को धोया गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब आवेदकों द्वारा उसकी आरामशीन पर इन स्लीपरों को लाया गया था तब उसने रजिस्टर में प्रविष्टि की थी किन्तु उसने पुलिस को रजिस्टर नहीं दिया था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि आरामशीन पर चीरने के लिए आवेदकों द्वारा कोई भी लकड़ी नहीं दी गई थी ।

15. अभि. सा. 5 भी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी का साक्षी है और इस साक्षी ने न्यायालय में प्रदर्श पी. 1 से पी. 5 के रूप में स्लीपरों की शनाख्त की है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस बात से इनकार किया है कि पुलिस कार्मिकों ने बरामद की गई लकड़ी पर किसी प्रकार के चिह्न बनाए थे ।

16. प्रकाश चन्द (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि

आवेदकों ने 12 स्लीपरों के चोरी होने के संबंध में पुलिस को कथन दिए थे जिनके आधार पर ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी तैयार किया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह शिकायतकर्ता गीताराम को जानता था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तीन वृक्ष काटे गए थे जो प्रथम श्रेणी में आते थे किन्तु वह यह नहीं बता सकता कि ये वृक्ष कब काटे गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आवेदकों के कथन एक कागज पर अभिलिखित किए थे और इस बात से इनकार किया है कि उसके समक्ष ऐसा कोई भी कथन अभिलिखित नहीं किया गया । स्वीकृत रूप से यह कथन अभिलेख के प्रतिकूल है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उनके कथन अभिलिखित किए गए हैं ।

17. बाबू राम (अभि. सा. 7) ने इस वाहन को सुपरदारी पर न्यायालय से छुड़ाया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसे लकड़ी चोरी किए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी । सेवक राम (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि लकड़ी काटने और साफ करने के पश्चात् 12 स्लीपर तैयार किए गए थे जिसके लिए गीताराम ने 850/- रुपए का संदाय किया था । इसके अतिरिक्त, गीताराम ने अपनी घासनी से स्लीपरों के चोरी हो जाने के बारे में बताया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि स्लीपरों पर वन विभाग द्वारा लगाया गया कोई चिह्न नहीं था । वह नहीं बता सकता कि किस जाति के वृक्ष काटे गए थे ।

18. कृष्ण सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 9/ए पुलिस द्वारा तैयार किया गया था और उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे ।

19. प्रकाश चंद (अभि. सा. 10) पटवारी है जिसने अभिलेख पर जामाबंदी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ए और ततिम्मा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/बी साबित किए हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/सी के आधार पर घटनास्थल पर गया था और उसने

अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/डी प्रस्तुत की । अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह निशानदेही कराने के लिए सक्षम नहीं था ।

20. सहायक उप निरीक्षक प्रबल सिंह (अभि. सा. 11) ने अभिलेख पर प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की है और यह कथन किया है कि चालान उप निरीक्षक अवतार चन्द द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था ।

21. पुलिस उप-निरीक्षक राम सिंह (अभि. सा. 12) ने इस मामले में अन्वेषण किया और यह कथन किया कि शिकायतकर्ता ने अन्वेषण में भाग लिया था और उसकी निशानदेही पर तारीख 12 जनवरी, 2005 को स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/बी) तैयार किया गया था । शिकायतकर्ता ने वाहन सं. एचपी 13-0911 की शनाख्त की जो जंगा रोड, साधु पुल पर खड़ा हुआ था जिसमें सभी आवेदक बैठे हुए थे । उन्हें गिफ्तार किया गया और वाहन कब्जे में लिया गया । इस संबंध में ज्ञापन तैयार किए गए और तद्नुसार सभी आवेदकों ने चोरी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अपने कथन दिए और चोरी की गई कुल संपत्ति बरामद कराई जिसमें से 5 स्लीपर संजीव कुमार की गौशाला से बरामद किए गए और स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/सी) भी तैयार किया गया । तारीख 13 जनवरी, 2005 को पवन कुमार की आरा मशीन से 20 फ्रेम बरामद किए गए जिसके आधार पर स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/डी) तैयार किया गया । उसने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् अभ्यंकन कराया गया था और फोटो खींचे गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभ्यंकन कानूनगो द्वारा नहीं किया गया था और इस बात से इनकार किया है कि आवेदकों ने उसके समक्ष कोई भी कथन नहीं दिया था । उसने इस प्रश्न का उत्तर देने में अपनी असमर्थता दर्शाई है कि उसने (न्यायालय में) रजिस्टर प्रस्तुत क्यों नहीं किया जबकि अभिलेख पर विशेष रूप से यह आ चुका था कि इस संबंध में एक रजिस्टर बनाया गया था । इस साक्षी ने यह इनकार किया है कि

शिकायतकर्ता की मिली-भगत से अंग्रेजी भाषा में "जी. आर." शब्द बाद में लिखे गए थे ।

22. अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य पर पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य के अनुसार उसने एक रजिस्टर बनाया हुआ था जिसमें उन-उन व्यक्तियों के नाम अभिलिखित किए हुए थे जिन-जिन के पास स्लीपर थे । किन्तु अन्वेषण अभिकरण उस रजिस्टर को अपने कब्जे में लेने में असफल रहा है और इसी कारण यह न्यायालय इसके प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध है ।

23. जैसे कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता द्वारा अंग्रेजी में लिखे गए "जी. आर." शब्दों को साबित ही नहीं कर पाया है बल्कि अभिलेख से यह भी दर्शित होता है कि उक्त शब्द बाद में लिखे गए थे । जैसा कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा ठीक ही व्यक्त किया गया है कि पुलिस स्लीपरों की बरामदगी को संदेह के परे साबित करने में असफल रही है और यह कि परिवहन-अनुज्ञा (ट्रांसपोर्ट परमिट) के बिना स्लीपरों का परिवहन किए जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई भी सामग्री नहीं है ।

24. विरोधाभास के अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभिकथित लकड़ी उन्हीं पेड़ों को काटकर प्राप्त की गई है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी ने बरामद किए गए स्लीपरों के व्यास की तुलना पेड़ों के तनों के व्यास के साथ नहीं की है ।

25. जैसा कि पहले ही विचार किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कुल मिलाकर तीन प्रकटीकरण कथन तात्पर्यित रूप से अभिलिखित किए गए हैं । धारा 27 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में प्राप्त हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से

स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी । अतः, ऐसा कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि जब एक बार कोई तथ्य अन्य किसी स्रोत से प्रकट होता है तब नए सिरे से कोई भी प्रकटन नहीं हो सकता चाहे अभियुक्त से सुसंगत जानकारी क्यों न प्राप्त हो और न्यायालयों को अन्वेषण अधिकारी की त्रुटियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के उपबंधों के अधीन प्राप्त संरक्षा का दुरुपयोग केस डायरी के अभिलेख में मात्र हेरा-फेरी करने से न किया जा सके । इन परिस्थितियों में अभियुक्त के दोष को साबित करने के लिए इस जानकारी का अवलंब लेना किसी सीमा तक अनुचित होगा ।

26. इसके अतिरिक्त, धारा 27 का अवलंब लेकर संयुक्त कथन के आधार पर कार्यवाही करना उचित नहीं होगा क्योंकि दो या दो से अधिक अभियुक्त बिलकुल एक जैसी जानकारी नहीं दे सकते जैसा कि **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** बनाम **नवजोत संधु** उर्फ **अफसान गुरु**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "हमें यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का अवलंब लेते हुए संयुक्त प्रकटीकरण कथनों, जो दो या दो से अधिक अभियुक्तों द्वारा दिए जाते हैं, के आधार पर कार्यवाही न करने का वास्तविक कारण एक अन्तर्निहित दुविधा है । वास्तव में, संयुक्त या समान्तर रूप से किया गया प्रकटन मिथ्या होता है क्योंकि दो या दो से अधिक अभियुक्त एक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते । बहुत से बहुत यह हो सकता है कि एक व्यक्ति मौखिक कथन देगा तो दूसरा व्यक्ति उसी बात को कुछ ही सेकेंडों या मिनटों के बाद उसी तरह कह देगा या वह दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से भिन्न बात कहेगा । या अभिरक्षा में मौजूद दो व्यक्ति अलग-अलग या साथ-साथ परिप्रश्न किए जाने पर एक जैसा प्रकटन या एक जैसे तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं । या बहुत कम ऐसा होता है कि दो

---

[1] (2005) 1 एस. सी. सी. 600 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3820.

अभियुक्त लिखकर जानकारी दें और पुलिस अधिकारी को एक साथ अपना टिप्पण प्रस्तुत करें । हमारा यह विचार नहीं है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिए गए प्रकटीकरण कथन धारा 27 की परिधि के भीतर बिलकुल नहीं आते हैं । यदि जानकारी एक के बाद एक रूप में बिना किसी बाधा के दी जाती है और यदि उसके पश्चात् जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा शनाख्त भी कराई जाती है तब हमें धारा 27 के आधार पर ऐसे साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । तथापि, ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेने के लिए व्यवहारिक रूप से बाधाएं आ सकती हैं । किस साक्षी ने क्या कथन किया है और किस क्रम में किया है, यह बताना एक साक्षी (आमतौर पर पुलिस अधिकारी) के लिए बहुत कठिन होता है । दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि दो अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी और उससे प्राप्त बरामदगी के संबंध में अभिसाक्ष्य विश्वसनीयता की दृष्टि से आलोचना का विषय बन सकता है । साक्ष्य की ग्राह्यता और विश्वसनीयता दो अलग-अलग पहलू हैं जैसा कि श्री गोपाल सुब्रहमण्यम द्वारा इंगित किया गया है । न्यायालय द्वारा किस सीमा तक साथ-साथ किए गए प्रकटन पर विश्वास किया जाना चाहिए, वास्तव में, साक्ष्य के मूल्यांकन का विषय है ।"

27. एक लम्बे समय के पश्चात् धारा 27 का दुरुपयोग निरन्तर पुलिस द्वारा किया गया है, अतः न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस धारा का प्रयोग किए जाने के संबंध में सतर्क रहें । न्यायालयों को पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि इस धारा का दुरुपयोग किए जाने की संभावना बनी रहती है । साथ ही, इसका यह अर्थ नहीं है कि उपरोक्त धारा के निबंधनों में अभिलिखित किसी भी कथन पर संदेह किया जाए, इसलिए ऐसे साक्ष्य को इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि यह अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष अभिलिखित किया गया था । न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा

कोई प्रयास नहीं किया गया है कि मात्र बरामदगी को प्रकटीकरण के रूप में दर्शाया गया हो ताकि उपरोक्त धारा के उपबंध लागू हो सकें ।

28. यह स्पष्ट है कि मात्र ईश्वर दत्त (अभि. सा. 3) वह साक्षी है जिसके सामने संजीव कुमार के गाय के बाड़े से लकड़ी बरामद की गई थी किन्तु जैसा कि पहले ही देखा गया है कि इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

29. उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेख पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि संजीव कुमार का घर, जहां से अभिकथित बरामदगी कराई गई है, उसके भाई विनोद कुमार के साझे में है और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वह स्थान जहां से लकड़ी बरामद कराई गई है उस पर संजीव कुमार का भानपूर्ण और एकमात्र कब्जा था ।

30. यह महत्वपूर्ण है कि यद्यपि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने आवेदकों को दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है, फिर भी उक्त न्यायालय द्वारा विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित युक्तियुक्त निर्णय को उलटने के लिए कोई भी कारण समनुदेशित नहीं किए गए हैं । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन साक्षियों के कथनों पर विचार करने के पश्चात् आवेदकों को निर्णय के पैरा 16 में अन्तर्विष्ट मताभिव्यक्तियों के आधार पर दोषसिद्ध किया है जो निम्न प्रकार है :-

> "16. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल हो गया है कि गीताराम द्वारा देवदार के तीन वृक्ष वन विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् काटकर गिराए गए थे जो कि उसकी भूमि पर लगे हुए थे और गीताराम ने उन वृक्षों में से 12 स्लीपर काटकर निकाले थे जो कुछ दिनों बाद लापता हो गए । जब अभियुक्तों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने प्रकटीकरण कथन दिए और उनके इन कथनों के अनुसार अभियुक्त संजीव के गाय के बाड़े में से 5 स्लीपर बरामद किए गए

और यह बताया गया कि शेष 12 स्लीपर पवन कुमार को, जो आरा मशीन का मालिक है, बीस छोटे-छोटे लट्ठों में काटने के लिए दे दिए गए थे और इस साक्ष्य का समर्थन अभि. सा. 4 द्वारा किया गया है । इस प्रकार, मेरी राय में अभियोजन पक्ष पेड़ काटकर गिराने के तथ्य को साबित करने में सफल हुआ है । निःसंदेह, साक्ष्य में कुछ विरोधाभास हैं किन्तु ये महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं हैं जो मूल अर्थ को प्रभावित कर सके । ऐसी असंगतताएं तुच्छ हैं और इनसे मामले की गुणता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । यह सामान्य बात है कि जब कोई व्यक्ति लम्बे समय के बाद न्यायालय में आता है तब वह घटना का ज्यों का त्यों वर्णन नहीं कर सकता । इस प्रकार, इन सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 379/34 के अधीन मामला सम्यक् रूप से सिद्ध कर दिया गया है ।"

31. यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने, विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा समनुदेशित निष्कर्षों और कारणों को उलटने के लिए गंभीरता से विचार करना भी उचित नहीं समझा है और एक अलग से निर्णय लिखते हुए विद्वान् मजिस्ट्रेट के निर्णय को उलट दिया है । स्पष्ट है कि अपील विनिश्चित करने के दौरान विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं कही जा सकती है क्योंकि अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा समनुदेशित कारणों को अवश्य निर्दिष्ट करे और उसके पश्चात् उन कारणों से असहमति व्यक्त करने हेतु अपने कारण स्पष्ट करे और ऐसे अपील न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह साक्ष्य के आधार पर अलग से निर्णय लिखे जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध है ।

32. निर्णय लिखने के दौरान विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए उन टिप्पणों का उल्लेख नहीं किया है जो अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान किए गए थे । इसके अतिरिक्त, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा पर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझा है जिसके परिसाक्ष्य पर पहले ही ऊपर

चर्चा की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्षकथन में आए विरोधाभासों का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं समझा है जिन पर विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा ध्यान दिया गया था और कुछ विरोधाभासों पर इस न्यायालय द्वारा भी ध्यान दिया गया है ।

33. ऊपर कथित कारणों के आधार पर, मेरा यह निष्कर्ष है कि इस पुनरीक्षण आवेदन में सार है और तद्नुसार मंजूर किया जाता है । परिणामतः, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय, जिसके अनुसार दंड संहिता की धारा 379/34 के अधीन आवेदकों को दोषसिद्ध किया गया था, अपास्त किया जाता है और उन्हें उपरोक्त अपराध से ससम्मान दोषमुक्त किया जाता है । जमानतपत्र यदि आवेदकों द्वारा निष्पादित किए गए हैं, उन्मोचित किए जाते हैं ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

अस.

संसद् के अधिनियम

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

(2006 का अधिनियम संख्यांक 4)

[20 जनवरी, 2006]

बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों के गठन तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत ने 1990 में हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया ;

और, भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को हुए बालक अधिकार संबंधी अभिसमय (बा.अ.अ.) को भी स्वीकार कर लिया है ;

और बालक अधिकार संबंधी अभिसमय एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वे अभिसमय में प्रगणित बालकों के अधिकारों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें ;

और बालकों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बालकों के लिए हाल ही में जो एक नई पहल आरम्भ की है वह यह है कि उसने राष्ट्रीय बालक चार्टर, 2003 को अंगीकार किया है ;

और मई, 2002 में हुए बालकों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में "बालकों के लिए उपयुक्त विश्व" नामक निष्कर्ष दस्तावेज को अंगीकृत किया गया था, जिसमें वर्तमान दशक के लिए सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्य, उद्देश्य, युक्तियां और क्रियाकलाप अंतर्विष्ट हैं ;

और यह समीचीन है कि इस संबंध में सरकार द्वारा अंगीकृत नीतियों, बालक अधिकार संबंधी अभिसमय में विहित मानकों और अन्य

सभी सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय लिखतों को कार्यान्वित करने के लिए बालकों से संबंधित विधि अधिनियमित की जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "बालक अधिकारों" के अन्तर्गत 20 नवम्बर, 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसम्बर, 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य आयोग" से धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

3. **राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक निकाय का, जो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, –

(i) शिक्षा ;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देख-रेख, कल्याण या बाल विकास ;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या नि:शक्त बालकों की देख-रेख ;

(iv) बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण ;

(v) बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र ; और

(vi) बालकों से संबंधित विधियां ।

(3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा ।

4. **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति** – केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगी :

परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा [1][महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री] की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

---

[1] 2007 के अधिनियम सं. 4 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें** – (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य –

(क) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु ; और

(ख) सदस्य की दशा में, साठ वर्ष की आयु,

प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

6. **अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उसमें अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे ।

7. **पद से हटाया जाना** – (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है ; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

(ग) कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ; या

(ङ) अपने पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो जाता है ; या

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(छ) आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना उसकी तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है ।

(3) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

8. **अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना** – (1) यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य, –

(क) धारा 7 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अधीन हो जाता है ; या

(ख) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपना त्यागपत्र निविदत्त कर देता है,

तो उस पर उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार नब्बे दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पद उस पदावधि के उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जिसके लिए, यथास्थिति, वह अध्यक्ष या सदस्य, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, उस पद को धारण करता है ।

9. **रिक्तियों, आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना** – आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

10. **कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया** – (1) आयोग अपने कार्यालय में, ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे, नियमित रूप से अधिवेशन करेगा किन्तु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच तीन मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) अधिवेशन में सभी विनिश्चय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे :

परन्तु बराबर मतों की दशा में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य पीठासीन होगा ।

(4) आयोग किसी अधिवेशन में अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया के, ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित, ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

11. **आयोग के सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त-सचिव या अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से निम्न अधिकारी को आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) सदस्य-सचिव, आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और

उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

12. **वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा 11 में निर्दिष्ट सदस्य-सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 27 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा ।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

13. **आयोग के कृत्य** – (1) आयोग, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा, –

(क) बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाहियां आरम्भ करने की सिफारिश करना ;

(घ) उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और शोषण, अश्लील साहित्य और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(ङ) उन बालकों से, जिन्हें विशेष देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अन्तर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, किशोर, कुटुम्ब रहित बालक और कैदियों के बालक भी हैं, संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(च) बालक अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना ;

(छ) बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना ;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना ;

(झ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य निवास स्थान या बालकों के लिए बनाई गई संस्था, जिसके अन्तर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी है, का निरीक्षण करना या करवाना ; जहां बालकों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना या किसी उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना ;

(ञ) निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर स्वप्रेरणा से विचार करना –

(i) बालक अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण ;

(ii) बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का अक्रियान्वयन ;

(iii) बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बालकों को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का अननुपालन ; या ऐसे विषयों से उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना ; और

(ट) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपर्युक्त कृत्यों से आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(2) आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है ।

14. **जांच से संबंधित शक्तियां** – (1) आयोग को धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(2) आयोग को किसी मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजने की शक्ति होगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह

मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया है ।

15. **जांच के पश्चात् कार्रवाई** – आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर, निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :–

(i) जहां जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण का या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है वहां, वह सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां या ऐसी अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे, आरम्भ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा ;

(ii) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निदेशों, आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे, अनुरोध कर सकेगा ;

(iii) पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसे तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग उचित समझे, सम्बद्ध सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा ।

16. **आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट** – (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और सम्बद्ध राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अतिआवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सम्बद्ध राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएगी और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 4

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग

17. **राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन** – (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन एक निकाय का, राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो..... (राज्य का नाम) बालक अधिकार संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, गठन कर सकेगी ।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से –

(i) शिक्षा ;

(ii) बाल स्वास्थ्य, देख-रेख, कल्याण या बाल विकास ;

(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या नि:शक्त बालकों की देख-रेख ;

(iv) बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण ;

(v) बालक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र ; और

(vi) बालकों से संबंधित विधियां ।

(3) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

18. **अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति** – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी :

परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी ।

19. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें** – (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य दो पदावधियों से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य –

(क) अध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु ; और

(ख) सदस्य की दशा में, साठ वर्ष की आयु,

प्राप्त होने के पश्चात् उस हैसियत में अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

20. **अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में तथा न उसकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात्, उसमें अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा ।

21. **राज्य आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) सचिव, राज्य आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राज्य आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते, तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

22. **वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय किया जाना** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत धारा 21 में निर्दिष्ट सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 28 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा ।

23. **राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें** – (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित और ऐसी सिफारिशों में से किसी की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हो, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार की जाएगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

24. **राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना** – धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 13 की उपधारा (1) और धारा 14 तथा धारा 15 के उपबंध राज्य आयोग को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, और प्रभावी होंगे, अर्थात् :–

(क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रति निर्देश हैं ;

(ख) "केन्द्र सरकार" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा

कि वे "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश हैं ; और

(ग) "सदस्य सचिव" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "सचिव" के प्रति निर्देश हैं ।

अध्याय 5

बालक न्यायालय

25. **बालक न्यायालय** – राज्य सरकार, बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य में कम-से-कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए –

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है ; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है ।

26. **विशेष लोक अभियोजक** – राज्य सरकार, प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

27. **केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान** – (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने

के लिए, ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

28. **राज्य सरकारों द्वारा अनुदान** – (1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

29. **आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) आयोग उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रति वर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

30. **राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति वर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

31. **सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में अथवा किसी

रिपोर्ट या कागज-पत्र केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

32. **अध्यक्ष, सदस्यों और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना** – आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आयोग या राज्य आयोग में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

33. **केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश** – (1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और आयोग के बीच इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय प्रयोजन से संबंधित नीति विषयक प्रश्न है या नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

34. **विवरणियां या जानकारी** – आयोग, केन्द्रीय सरकार को अपने उन क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

35. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा धारा 6 के अधीन उनके वेतन और भत्ते ;

(ख) आयोग द्वारा धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सदस्य-सचिव द्वारा किया जाएगा ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा अन्य निबंधन और शर्तें ; और

(ङ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण और अन्य अभिलेख का प्ररूप ।

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

36. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, तथा धारा 20 के अधीन उनके वेतन और भत्ते ;

(ख) राज्य आयोग द्वारा धारा 24 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन बैठक में उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) वे शक्तियां और कर्तव्य जिनका प्रयोग और पालन धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा ;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; और

(ङ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली लेखा विवरणी और अन्य अभिलेख का प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां, ऐसे राज्य विधान-मंडल में एक सदन है तो उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

37. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

Cover 111

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iv

पी एल डी (पी. डी)-6-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in